भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

राज्य सरकार के वित्त

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

उत्तर प्रदेश सरकार

अनुक्रमणिका

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन	-	v
कार्यकारी सार	-	vii
अध्याय I राज्य सरकार के वित्त		
उत्तर प्रदेश राज्य का परिदृश्य	-	1
प्रस्तावना	1.1	1
राज्य के संसाधन	1.2	8
राजस्व प्राप्तियाँ	1.3	11
पूंजीगत प्राप्तियाँ	1.4	17
लोक लेखे प्राप्तियाँ	1.5	18
संसाधनों के अनुप्रयोग	1.6	19
व्ययों की गुणवत्ता	1.7	24
राज्य सरकार द्वारा किये गये व्ययों एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण	1.8	27
परिसम्पत्तियाँ एवं देयतायें	1.9	30
ऋण प्रबन्धन	1.10	33
राजकोषीय असंतुलन	1.11	40
निष्कर्ष	1.12	43
संस्तुतियाँ	1.13	44
अध्याय II वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय नियंत्रण		
प्रस्तावना	2.1	45
विनियोग लेखों का संक्षिप्त विवरण	2.2	45
वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन	2.3	46
चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम	2.4	55
कोषागार निरीक्षण के परिणाम	2.5	56
निष्कर्ष	2.6	57
संस्तुतियाँ	2.7	57

अध्याय III वित्तीय रिपोर्टिंग		
उपभोग प्रमाण–पत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब	3.1	59
विस्तृत आकस्मिक बिल	3.2	60
विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम	3.3	60
लम्बित प्रकरणों की रिर्पोटिंग	3.4	61
लघुलेखा शीर्ष–800 के अन्तर्गत 'अन्य राजस्व प्राप्तियाँ' एवं 'अन्य व्यय' का दर्शाया जाना	3.5	62
धनराशियों का केन्द्रीय सड़क निधि में हस्तांतरण न किया जाना	3.6	63
नकद अवशेषों में भिन्नता	3.7	63
वैयक्तिक जमा लेखाओं में धनराशियों का अन्तरण	3.8	63
प्राप्तियों एवं व्यय का मिलान	3.9	64
दिये गए अनुदान/ऋण के विवरण का अप्रस्तुतीकरण/विलम्बित प्रस्तुतीकरण	3.10	64
निष्कर्ष	3.11	64
संस्तुतियाँ	3.12	65

परिशिष्ट		
परिशिष्ट 1.1	उत्तर प्रदेश राज्य का परिदृश्य	67
परिशिष्ट 1.2	भाग–अ: राज्य सरकार के लेखे का रूप एवं संरचना	68
	भाग–ब: वित्त लेखे का प्रारूप	68
परिशिष्ट 1.3	वर्ष 2012–13 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	70
परिशिष्ट 1.4	वर्ष 2012–13 के लिए वास्तविक प्राप्तियों एवं व्यय की बजट अनुमान से तुलना	74
परिशिष्ट 1.5	राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आंकड़े	76
परिशिष्ट 1.6	(अ) स्वयं का कर राजस्व वर्ष 2008–13 के लिए (ब) करेतर राजस्व वर्ष 2008–13 के लिए	79
परिशिष्ट 1.7	31 मार्च 2013 को राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त सार	80
परिशिष्ट 1.8	आरक्षित निधि का विवरण	81
परिशिष्ट 2.1	बचत के अर्न्तगत अनुदानों एवं विनियोगों के प्रकरण	84
परिशिष्ट 2.2	अनुदानों/विनियोगों का विवरण, जहाँ प्रत्येक में बचत ₹ 10 करोड़ से अधिक अथवा कुल प्रावधान के 20 *प्रतिशत* से अधिक थी	92

परिशिष्ट 2.3	अनुदानों/विनियोगों का विवरण, जहाँ प्रत्येक के अन्तर्गत व्यय ₹ 10 करोड़ से अधिक अथवा कुल प्रावधान के 20 *प्रतिशत* से अधिक था	96
परिशिष्ट 2.4	प्रकरण, जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	97
परिशिष्ट 2.5	अनुदानों/विनियोगों का विवरण जहाँ प्रत्येक में ₹ दो करोड़ से अधिक के अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुए	99
परिशिष्ट 2.6	निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोग	100
परिशिष्ट 2.7	वर्ष 2012–13 में अत्यधिक धनराशियों का समर्पण	106
परिशिष्ट 2.8	वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण (₹ 50 लाख या अधिक)	120
परिशिष्ट 2.9	अनुदानों/विनियोगों का विवरण, जिनमें बचतें हुई परन्तु उसका कोई भाग अभ्यर्पित नहीं किया गया	121
परिशिष्ट 2.10	अभ्यर्पित न की गयी ₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक की बचतों का विवरण	123
परिशिष्ट 2.11	व्यय की अधिकता	125
परिशिष्ट 2.12	दो समीक्षित अनुदानों का सार	127
परिशिष्ट 2.13	दो समीक्षित अनुदानों के अप्रयुक्त बजट प्रावधानों का विवरण	128
परिशिष्ट 2.14	पेंशन की असंवितरित धनराशि जो शासकीय लेखे में जमा नहीं की गई	129
परिशिष्ट 3.1	31 मार्च 2013 को अवशेष उपभोग प्रमाण पत्र	130
परिशिष्ट 3.2	विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के लेखाओं का अंतिमीकरण और निवेशो का विवरण	132
परिशिष्ट 3.3	दुर्विनियोग, गबन आदि के विभागवार/वर्षवार प्रकरणों का विवरण (जिनमें अंतिम कार्यवाही मार्च 2013 तक लम्बित थी)	133
परिशिष्ट 3.4	चोरी, दुर्विनियोग, सरकारी सामग्रियों की हानि एवं गबन के कारण राज्य सरकार को हुई क्षति के प्रकरणों का विभागवार/श्रेणीवार विवरण	134
परिशिष्ट 3.5	वर्ष 2012–13 में विभागवार निस्तारित/अपलेखित किये गये प्रकरणों का विस्तृत विवरण	135
परिशिष्ट 4	**शब्दावली (अतिरिक्त आँकड़े)**	
	गणना का आधार	136
	पदों की व्याख्या	137
	प्रथमाक्षरी	139

प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

2. इस प्रतिवेदन के अध्याय 1 तथा 2 में 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखे और विनियोग लेखे की जाँच से उत्पन्न मामलों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ सम्मिलित हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से भी, जहाँ पर आवश्यक था, सूचनाएं प्राप्त की गयी हैं।

3. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आधारित अध्याय 3 वर्तमान वर्ष में विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों का सरकार द्वारा अनुपालन की स्थिति एवं उसका विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

4. विभिन्न विभागों के लेन–देनों की लेखापरीक्षा तथा निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों तथा सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों एवं परिषदों की लेखापरीक्षा तथा राजस्व प्राप्तियों पर अनुमानों को सम्मिलित करते हुए प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किए गये हैं।

कार्यकारी सार

इस प्रतिवेदन में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के 31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लेखापरीक्षा किये गये लेखों के आधार पर, राज्य सरकार के वार्षिक लेखों की विश्लेषणात्मक समीक्षा है। यह विश्लेषणात्मक समीक्षा राज्य सरकार के वित्तीय निष्पादन के अनुमान, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम 2004 एवं इसके द्वितीय संशोधन अधिनियम 2011, बजट अभिलेखों, तेरहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन और विभिन्न विभागों तथा संस्थाओं से प्राप्त विभिन्न वित्तीय आंकड़ों पर आधारित है। यह प्रतिवेदन तीन अध्यायों में है।

अध्याय 1 वित्त लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा 31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष पर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। इस अध्याय में राज्य के सम्पूर्ण वित्त का मूल्यांकन, पुनरीक्षित अनुमानों के विरूद्ध वास्तविक व्यय, वचनबद्ध व्ययों की प्रवृत्तियाँ एवं लिये गये ऋणों के प्रतिरुप के साथ–साथ केन्द्र सरकार द्वारा सीधे तौर पर (बिना राज्य सरकार के बजट के माध्यम से) राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को हस्तान्तरित की गयी धनराशियों का एक संक्षिप्त विवरण भी है। 2012–13 के दौरान बाजार ऋण पर एक समीक्षा की गई थी जिसके लेखा परीक्षा निष्कर्षों को अध्याय 1 में शामिल किया गया है।

अध्याय 2 विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है। इसमें अनुदानवार विनियोगों, बजट अनुमानों की तैयारियाँ तथा शासन के विभिन्न विभागों द्वारा किस प्रकार से आवंटित संसाधनों का प्रबन्धन किया गया है, का विवरण है।

अध्याय 3 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न रिपोर्टिंग आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के अनुपालन का लेखा–जोखा है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ

राज्य का निष्पादन

वर्ष 2012–13 में राज्य सरकार के पास ₹ 5,180 करोड़ का राजस्व आधिक्य था एवं राजकोषीय घाटा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन *प्रतिशत* से कम था। वर्ष 2012–13 के अन्त में कुल देयता, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 45.1 *प्रतिशत* से कम बनाए रखा, जैसा कि राजकोषीय उत्तरादायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2004 एवं इसके संशोधन 2011 द्वारा निर्धारित किये गये थे। राजस्व आधिक्य मुख्यतया राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि के फलस्वरूप था।

राजकोषीय घाटा वर्ष 2011–12 में ₹ 15,433 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012–13 में ₹ 19,238 करोड़ हो गया। यह राजस्व आधिक्य में कमी निवल ऋण एवं अग्रिम के

साथ–साथ निवल पूंजीगत व्यय के कारण था। वर्ष 2012–13 की समाप्ति पर, प्राथमिक घाटा ₹ 2,317 करोड़, वर्ष 2012–13 में राजकोषीय घाटा में ₹ 3,805 करोड़ की वृद्धि के साथ–साथ अवधि में व्याज की अदायगी में ₹ 1,440 करोड़ की वृद्धि के कारण था।

राज्य के स्वयं के संसाधन

वर्ष 2012–13 में, वर्ष 2011–12 की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में ₹ 15,034 करोड़ (11 *प्रतिशत*) की वृद्धि मुख्यतः कर राजस्व, करेतर राजस्व एवं केंद्रीय करों में राज्यांश में वृद्धि के कारण हुई।

राज्य बजट के बाहर राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे हस्तान्तरित निधि

भारत सरकार ने वर्ष 2012–13 में ₹ 9,632 करोड़ राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे हस्तान्तरित किया। यद्यपि, वर्तमान तंत्र, राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित संसाधनों का पूर्ण विवरण प्रस्तुत नहीं करता है।

राजस्व व्यय

वर्ष 2012–13 में राजस्व व्यय वर्ष 2011–12 की तुलना में ₹ 16,839 करोड़ (14 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। राजस्व व्यय के अंर्तगत वर्ष 2011–12 की तुलना में आयोजनागत व्यय में ₹ 3,262 करोड़ (14 *प्रतिशत*) एवं आयोजनेत्तर व्यय में ₹ 13,577 (13 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई।

कुल व्यय के *प्रतिशत* के रूप में राजस्व व्यय वर्ष 2011–12 में 84 *प्रतिशत* से बढ़कर वर्ष 2012–13 में 85 *प्रतिशत* हो गया। आयोजनेत्तर राजस्व व्यय का अधिकांश भाग (₹ 93,561 करोड़) वेतन, पेंशन, ब्याज अदायगियों तथा सब्सिडी पर वचनबद्ध व्यय के रूप में उपभोग किया गया।

व्यय उपभोग की दक्षता

कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अंश वर्ष 2011–12 में 15 *प्रतिशत* से कम होकर वर्ष 2012–13 में 14 *प्रतिशत* हो गया।

आरक्षित निधियाँ

राज्य सरकार के लेखे में कई आरक्षित निधियाँ विद्यमान हैं जो विशिष्ट एवं सुपरिभाषित उद्देश्यों के लिए राज्य सरकार के समेकित निधि के अंशदान से सृजित की गई हैं। वर्ष 2010–13 की अवधि में 22 आरक्षित निधियों में से 10 आरक्षित निधियाँ अपरिचालित थीं।

ऋण संवहनीयता

वर्ष 2012–13 के अन्त में ऋण और सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात 34 *प्रतिशत* था जो कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2011 द्वारा 2014–15 के अंत तक निर्धारित 41.9 *प्रतिशत* से कम था।

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

वर्ष 2012–13 की अवधि में कुल अनुदानों एवं विनियोगों में ₹ 29,701.70 करोड़ की कुल बचत, प्रक्रिया में कमी को दर्शाता है। कृषि एवं अन्य (पंचायती राज) अनुदानों, गृह (पुलिस) अनुदानों, लोक निर्माण (अधिष्ठान) अनुदानों, शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) अनुदानों, समाज कल्याण (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) अनुदानों तथा वित्त विभाग (ऋण, सेवाएं एवं अन्य व्यय) अनुदानों द्वारा विगत पाँच वर्षों से अनवरत बचत अंकित की गयी। वर्ष 2005–12 की अवधि में किये गये ₹ 15,363.76 करोड़ तथा वर्ष 2012–13 की अवधि में किये गये ₹ 2,380 करोड़ के आधिक्य का भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अंर्तगत नियमन किये जाने की आवश्यकता है। धनराशियों के अनावश्यक/अपर्याप्त पूरक प्रावधान एवं अत्यधिक, अनावश्यक पुनर्विनियोग के प्रकरण भी पाये गये। अनुमानित बचतों को समर्पित न किये जाने के प्रकरण भी प्रकाश में आये। वर्ष के अन्त में व्यय का बाहुल्य भी वित्तीय प्रबंधन की एक गम्भीर समस्या है।

वित्तीय रिपोर्टिंग

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न नियमों एवं कार्यप्रणालियों के अनुपालन में कमियाँ थीं। अनुदान प्राप्तकर्ताओं से अत्यधिक धनराशि (₹ 66,625 करोड़) के उपभोग प्रमाण–पत्र अप्राप्त थे। 1,502 वैयक्तिक जमा खातों में मार्च 2013 तक ₹ 2,311 करोड़ की धनराशि अवरूद्ध थी। ₹ 65 करोड़ के 7,654 विस्तृत आकस्मिक बिल प्रतीक्षित थे। निकायों/प्राधिकरणों जिन्हें विगत वर्षों के दौरान अनुदान/ऋण भुगतान किये गये थे, के विवरण लेखा परीक्षा में चिन्हित करने के लिए प्रेषित नहीं किये गये थे।

मुख्य प्रतिवेदन

अध्याय I

राज्य सरकार के वित्त

अध्याय I

राज्य सरकार के वित्त

उत्तर प्रदेश राज्य का परिदृश्य

उत्तर प्रदेश राज्य भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है एवं भौगोलिक क्षेत्रफल[1] की दृष्टि से यह भारत का पाँचवा बड़ा राज्य एवं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। प्रदेश की जनसंख्या वर्ष 2001 में 16.62 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013 में 20.63 करोड़[2] हो गई। राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों का *प्रतिशत* अखिल भारतीय औसत 21.92 *प्रतिशत* के सापेक्ष 29.43 *प्रतिशत* था। पुनः वर्ष 2012–13 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य (2004–05) पर ₹ 7,69,729 करोड़ था। राज्य की साक्षरता दर 56.27 *प्रतिशत* (वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार) से बढ़कर 69.72 *प्रतिशत* (2011 की जनगणना के अनुसार) हो गई। राज्य की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय ₹ 33,269 थी।

उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य आंकड़े, उदाहरणार्थ जनसंख्या घनत्व, शिशु मृत्यु दर एवं शिशु जन्म दर आदि **परिशिष्ट 1.1** में दिये गये हैं।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद दिये गये समयावधि में राज्य में उत्पादित सभी आधिकारिक रूप से स्वीकृत अंतिम सामग्रियों एवं सेवाओं का बाजार मूल्य होता है। इसका विकास, राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण सूचक है क्योंकि यह राज्य की जनसंख्या के जीवन स्तर को सूचित करता है। वर्तमान मूल्य (आधार वर्ष 2004–05) पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद एवं राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्तियाँ **सारणी 1.1** में दी गयी है।

सारणी 1.1: वर्तमान मूल्य (आधार वर्ष 2004–05) पर देश के सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
भारत का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	53,03,567	61,08,903	72,66,967	83,53,495	94,61,013
सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर (*प्रतिशत* में)	15.70	15.20	19.00	15.00	13.30
राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	4,12,151	4,91,302	5,88,467	6,87,836	7,69,729
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की विकास दर (*प्रतिशत* में)	15.27	19.20	19.78	16.89	11.91

(स्रोतः सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में निदेशक, आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशालय)

1.1 प्रस्तावना

राज्य सरकार ने 1 जून 2012 को वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए बजट प्रस्तुत किया। बजट भाषण के अनुसार, राज्य सरकार ने 280 नई योजनाएँ शुरू कीं जिसके लिए ₹ 13,650 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया। राज्य सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं विस्तार हेतु ₹ 33,263 करोड़, अवस्थापना सुविधाओं के लिए ₹ 23,592 करोड़, समाज कल्याण योजनाओं हेतु ₹ 14,951 करोड़, चिकित्सा एवं

[1]2.41 लाख वर्ग कि0मी0
[2]पुनरीक्षित अग्रिम आगणन

₹ 23,592 करोड़, समाज कल्याण योजनाओं हेतु ₹ 14,951 करोड़, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार एवं विस्तार हेतु ₹ 7,034 करोड़ तथा कृषि एवं अन्य सम्बद्ध गतिविधियों हेतु ₹ 5,432 करोड़ का बजट प्रावधान किया।

यह अध्याय उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के वर्ष 2012–13 के वित्त का लेखापरीक्षित परिदृश्य प्रस्तुत करता है एवं विगत पांच वर्षों की अवधि के समग्र संघटकों को ध्यान में रखते हुए मुख्य राजकोषीय समूहों का वर्ष 2011–12 की तुलना में समीक्षात्मक परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। यह विश्लेषण राज्य सरकार के वित्त लेखे एवं उसमें निहित सूचनाओं के आधार पर किया गया है।

राज्य सरकार के लेखे की संरचना ***परिशिष्ट 1.2*** **भाग–अ** और वित्त लेखे की रूपरेखा ***परिशिष्ट 1.2*** **भाग–ब** में दर्शाया गया है।

1.1.1 वर्ष 2012–13 में राजकोषीय लेन–देनों का सारांश

सारणी 1.2 में राज्य सरकार के वर्ष 2012–13 के राजकोषीय लेन–देनों का सारांश प्रस्तुत है तथा ***परिशिष्ट 1.3*** में वर्ष 2012–13 की प्राप्तियों एवं संवितरणों के साथ–साथ राजकोष की समग्र स्थिति प्रस्तुत है।

सारणी 1.2: वर्ष 2012–13 में राजकोषीय लेन–देनों का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण				
	2011-12	2012-13		2011-12	2012-13		
भाग–अ: राजस्व					आयोजनेत्तर	आयोजनागत	योग
राजस्व प्राप्तियाँ	**1,30,869.70**	**1,45,903.98**	**राजस्व व्यय**	**1,23,885.17**	**1,14,845.73**	**25,877.91**	**1,40,723.64**
कर राजस्व	52,613.43	58,098.36	सामान्य सेवायें	52,946.92	59,119.18	787.54	**59,906.72**
करेतर राजस्व	10,145.30	12,969.98	सामाजिक सेवायें	47,390.94	32,235.57	21,064.75	**53,300.32**
संघीय करों/ शुल्कों का अंश	50,350.95	57,497.85	आर्थिक सेवायें	18,292.21	17,311.74	4,025.62	**21,337.36**
भारत सरकार से अनुदान	17,760.02	17,337.79	सहायता अनुदान एवं अंशदान	5,255.10	6,179.24	-	**6,179.24**
भाग–ब: पूंजीगत एवं अन्य							
विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	-	-	**पूंजीगत परिव्यय**	**21,573.96**	**1,225.78**	**22,608.51**	**23,834.29**
ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	**133.17**	**418.80**	**संवितरित ऋण एवं अग्रिम**	**975.57**	**619.49**	**383.75**	**1,003.24**
लोक ऋण प्राप्तियाँ	**19,652.30**	**15,819.95**	**लोक ऋणों की अदायगी**	**8,287.61**	**8,909.04**	-	**8,909.04**
आकस्मिकता निधि	**39.89**	**309.65**	**आकस्मिकता निधि**	**309.64**	**262.45**	-	**262.45**
लोक लेखा प्राप्तियाँ	**1,38,449.36**	**1,43,477.51**	**लोक लेखा संवितरण**	**1,30,970.76**	**1,29,471.51**	-	**1,29,471.51**
प्रारम्भिक रोकड़ अवशेष	**10,304.99**	**13,446.70**	**अंतिम रोकड़ अवशेष**	**13,446.70**	**15,172.42**	-	**15,172.42**
योग	**2,99,449.41**	**3,19,376.59**	**योग**	**2,99,449.41**	**2,70,506.42**	**48,870.17**	**3,19,376.59**

(स्रोतः वित्त लेखे 2011–12 एवं 2012–13)

वर्ष 2011–12 के सापेक्ष वर्ष 2012–13 के राजकोषीय लेन देनों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए:

- **राजस्व प्राप्तियों** में वर्ष 2011–12 की तुलना में ₹ 15,034 करोड़ (11 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः कर राजस्व (₹ 5,485 करोड़,10 *प्रतिशत*) एवं केन्द्रीय करों में राज्यांश (₹ 7,147 करोड़, 14 *प्रतिशत*) के कारण थी। ₹ 1,45,904 करोड़ की राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 1,56,688 करोड़[3] के पुनरीक्षित अनुमान से कम (₹ 10,784 करोड़) थी।

- **कर राजस्व** में वर्ष 2011–12 की तुलना में ₹ 5,485 करोड़ (10 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। इस वृद्धि में मुख्यतः बिक्री, व्यापार आदि करों (₹ 1,763 करोड़; पांच *प्रतिशत*), राज्य उत्पाद शुल्क (₹ 1,643 करोड़; 20 *प्रतिशत*) एवं स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क (₹ 1,048 करोड़; 14 *प्रतिशत*) का विगत वर्ष के सापेक्ष हुई वृद्धियों में योगदान था। ₹ 58,098 करोड़ का कर राजस्व पुनरीक्षित अनुमान के ₹ 60,472 करोड़ के लक्ष्य से कम था परन्तु तेरहवें वित्त आयोग के आकलन (₹ 47,065 करोड़) से अधिक था।

- **करेतर राजस्व** में वर्ष 2011–12 के सापेक्ष ₹ 2,825 करोड़ (28 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। यद्यपि, यह तेरहवें वित्त आयोग के आकलन से (₹ 3,483 करोड़) एवं राज्य के पुनरीक्षित बजट अनुमान (₹ 828 करोड़) से कम थी।

- **भारत सरकार से सहायता अनुदान** में वर्ष 2011–12 (₹ 17,760 करोड़) के सापेक्ष वर्ष 2012–13 (₹ 17,338 करोड़) में ₹ 422 करोड़ (दो *प्रतिशत*) की कमी हुई।

- **केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य के अंश** में वर्ष 2011–12 के सापेक्ष ₹ 7,147 करोड़ (14 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। यद्यपि, यह (₹ 57,498 करोड़) पुनरीक्षित बजट अनुमान (₹ 59,528 करोड़) से ₹ 2,030 करोड़ कम थी।

- **राजस्व व्यय** में वर्ष 2011–12 की तुलना में ₹ 16,839 करोड़ (14 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। यद्यपि यह (₹ 1,40,724 करोड़) पुनरीक्षित बजट अनुमान (₹ 1,51,142 करोड़) से कम था।

- **राजस्व व्यय के अन्तर्गत** आयोजनेत्तर व्यय में वर्ष 2011–12 के सापेक्ष ₹ 13,577 करोड़ (13 *प्रतिशत*) एवं आयोजनागत व्यय में ₹ 3,262 करोड़ (14 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। आयोजनेत्तर व्यय, तेरहवें वित्त आयोग (₹ 38,536 करोड़, 50 प्रतिशत) के आकलन से बहुत अधिक था।

- **पूंजीगत व्यय** (₹ 23,834 करोड़) में वर्ष 2011–12 के सापेक्ष ₹ 2,260 करोड़ (10 *प्रतिशत*) की वृद्धि मुख्यतः शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और नगर विकास आदि में पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि होने के कारण थी, यद्यपि यह पुनरीक्षित बजट अनुमान (₹ 26,147 करोड़) से कम थी।

- **ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली** (₹ 419 करोड़) में वर्ष 2011–12 की तुलना में ₹ 286 करोड़ (215 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई परंतु यह पुनरीक्षित बजट अनुमान (₹ 559 करोड़) से ₹ 140 करोड़ (25 *प्रतिशत*) कम थी। ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण (₹ 1,003 करोड़) भी पुनरीक्षित बजट अनुमान (₹ 1,168 करोड़) से कम था।

[3] मध्यकालिक राजकोषीय पुनर्संरचना नीति 2013 को प्रस्तुत करता है।

- **लोक ऋण प्राप्तियों** (₹ 15,820 करोड़) में वर्ष 2011–12 की तुलना में ₹ 3,832 करोड़ (19 *प्रतिशत*) की कमी आई जो कि राज्य के ऋण प्रबंधन में सुधार को दर्शाता है बावजूद इसके कि 2011–12 के सापेक्ष पुनर्भुगतान में ₹ 621 करोड़ की वृद्धि हुई।

- **लोक लेखों की प्राप्तियों में** (₹ 1,43,478 करोड़) वर्ष 2011–12 की तुलना में ₹ 5,029 करोड़ (चार *प्रतिशत*) की वृद्धि मुख्यतः उचंत एवं विविध शीर्षों के अवशेषों में ₹ 9,761 करोड़ (11 *प्रतिशत*) की वृद्धि के फलस्वरूप थी जो कि प्रेषण में ₹ 2,751 करोड़ (15 *प्रतिशत*) एवं निक्षेपों और अग्रिमों में ₹ 1,922 करोड़ (18 *प्रतिशत*) की हुई कमी द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित थी।

- **लोक लेखा संवितरण में** वर्ष 2011–12 की तुलना में ₹ 1,499 करोड़ (एक *प्रतिशत*) की मामूली कमी दर्ज हुई।

- वर्ष 2012–13 में **आकस्मिकता निधि से** ₹ 262.45 करोड़ के प्रत्याहरण की प्रतिपूर्ति शेष थी।

- **नकद अवशेषों** (₹ 15,172 करोड़) में विगत वर्ष के ₹ 13,447 करोड़ की तुलना में ₹ 1,725 करोड़ (13 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, फरवरी 2004 में पारित किया गया था जिसमें अर्थव्यवस्था के विकास एवं स्थिरता के लिए दीर्घकालीन लक्ष्यों का निर्धारण किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार का यह उत्तरदायित्व था कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बजट के साथ मध्यकालिक राजकोषीय पुनर्संरचना नीति विधान सभा में रखे जिसमें निर्धारित राजकोषीय सूचकों को पांच वर्षों में प्राप्त करने का परिवर्तनीय लक्ष्य निर्धारित हो एवं अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने हेतु नियम बनाये। अधिनियम को अक्टूबर 2006 में अधिसूचित किया गया। अधिनियम में प्रावधानित राजकोषीय सिद्धान्त को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सरकार के लिए निम्नलिखित वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए गयेः

- 1 अप्रैल 2004 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च 2009 को समाप्त होने वाले पांच वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर राजस्व घाटा शून्य पर लाया जाना।

- राजकोषीय घाटे को प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन *प्रतिशत* से अनधिक तक कम किया जाना। यद्यपि, अर्थव्यवस्था में व्यापक मन्दी को देखते हुये भारत सरकार ने राज्यों को उनका वित्तीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के चार *प्रतिशत* की सीमा तक बढ़ाने की अनुमति प्रदान की थी।

- 1 अप्रैल 2004 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले 14 वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर सुनिश्चित करना कि अन्तिम वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कुल दायित्व उस वर्ष के लिए प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 25 *प्रतिशत* से अधिक न हो।

- यह सुनिश्चित करना कि इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के समय विद्यमान राज्य सरकार के किसी नियम या विधि या इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात

राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले किसी नियम या विधि के अधीन नियत सीमा से अधिक किसी धनराशि के लिए प्रत्याभूति नहीं दी जाये।

- इसके अतिरिक्त, आन्तरिक गड़बड़ियों या दैवीय आपदाओं से उपजी अप्रत्याशित मांग को इस शर्त के साथ कि आपदा को प्रदान की गई वास्तविक राजकोषीय लागत से अधिक न हो, को छोड़कर, राजस्व घाटा और वित्तीय घाटा अधिनियम में निर्दिष्ट सीमा को नहीं लांघ सकता है।

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसानुरूप राज्य सरकार ने अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2004 में संशोधन किया (सितम्बर 2011) तथा स्वयं के लिए वर्ष 2011–12 से वर्ष 2014–15 की अवधि में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण पथ विकसित किया जिसका मुख्य उद्देश्य राजकोषीय घाटे को कम करना एवं धीरे–धीरे वर्ष 2014–15 तक ऋण के स्तरों में कमी लाना था। **सारणी 1.3** में विस्तृत विवरण दिया गया है।

सारणी 1.3: राजकोषीय सुदृढ़ीकरण पथ

वर्ष	राजकोषीय घाटा	कुल देयता (जी.एस.डी.पी.के *प्रतिशत* में)
2011-12	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन *प्रतिशत* से अधिक नहीं	46.9
2012-13	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन *प्रतिशत* से अधिक नहीं	45.1
2013-14	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन *प्रतिशत* से अधिक नहीं	43.4
2014-15	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन *प्रतिशत* से अधिक नहीं	41.9

(स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार की राजपत्रित अधिसूचना)

बजट में उपबंधित मुख्य परिवर्ती कारक तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम द्वारा निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य पर आधारित है, जिसे **सारणी 1.4** में दर्शाया गया है।

सारणी 1.4: वर्ष 2012–13 में राज्य का निष्पादन

मुख्य राजकोषीय लक्ष्य	तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्य/प्रक्षेप	पुनरीक्षित अनुमान द्वारा निर्धारित लक्ष्य	पंचवर्षीय वित्तीय योजना में प्रक्षेप/एम.टी.एफ.पी.	वास्तविक आंकड़े
राजस्व घाटा (–)/आधिक्य (+) (₹ करोड़ में)	शून्य घाटा	शून्य घाटा	(+) 5,546	(+) 5,546	(+)5,180
राजकोषीय घाटा (–)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन *प्रतिशत* से अधिक नहीं अर्थात ₹(-) 23,092 करोड़	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन *प्रतिशत* से अधिक नहीं अर्थात ₹(-) 23,092 करोड़	2.91 *प्रतिशत*	2.91 *प्रतिशत*	2.5 *प्रतिशत*
कुल बकाया ऋण और सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 45.1 *प्रतिशत* अर्थात ₹ 3,47,148 करोड़	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 45.1 *प्रतिशत* अर्थात ₹ 3,47,148 करोड़	30.10 *प्रतिशत*	30.10 *प्रतिशत*	33.73 *प्रतिशत*

(स्रोतः तेरहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट एवं उत्तर प्रदेश सरकार की राजपत्रित अधिसूचना)

वर्ष 2012–13 की समाप्ति पर राज्य सरकार के पास ₹ 5,180 करोड़ का राजस्व आधिक्य था, साथ ही राजकोषीय घाटे तथा कुल बकाया ऋण और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में भी कमी हुई। इस प्रकार राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हुए। यद्यपि वर्ष 2012–13 के अंत में कुल बकाया ऋण एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात पुनरीक्षित बजट अनुमान द्वारा निर्धारित

लक्ष्य (30.10 *प्रतिशत*) एवं पंचवर्षीय राजकोषीय योजना द्वारा किए गये अनुमान से अधिक (33.73 *प्रतिशत*) था।

1.1.3 बजट अनुमान एवं वास्तविक आँकड़े

पुनरीक्षित अनुमान

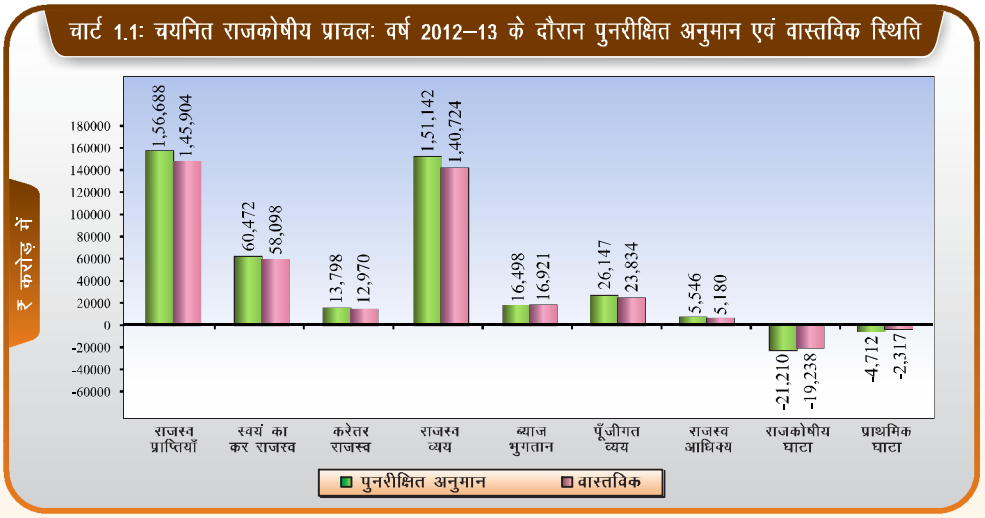
प्राप्तियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार का उद्देश्य राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाना था जिसमें मुख्यतः भारत सरकार से प्राप्त होने वाले संघीय करों एवं शुल्कों (₹ 59,528 करोड़) में राज्य के अंश में वृद्धि लाना था तथा व्ययों में सामाजिक सेवाओं (राजस्व व्यय: ₹ 59,081 करोड़ एवं पूँजीगत व्यय: ₹ 8,506 करोड़) तथा सामान्य सेवाओं (राजस्व व्यय: ₹ 62,176 करोड़ एव पूँजीगत व्यय: ₹ 1,914 करोड़) की ओर केन्द्रित करना था। राज्य सरकार ने अपने बजट अनुमानों में राजकोष के अंतर्गत राजस्व आधिक्य और राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटे का आकलन किया।

पुनरीक्षित अनुमान और वास्तविक आंकड़े

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट एक वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व प्राप्तियों और व्यय के अनुमानों का विवरण है। राजस्व प्राप्तियों एवं व्यय के अनुमानों में शुद्धता के महत्व को व्यापक रूप से समग्र आर्थिक प्रबन्धन हेतु राजकोषीय नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के संदर्भ में स्वीकार किया जाता है। बजट अनुमानों से किसी प्रकार का विचलन या तो ऐसी घटनाओं के घटित होने जिसका कि पूर्व में अनुमान न किया जा सका हो अथवा बजट की तैयारियों के स्तर पर ही व्ययों या राजस्व प्राप्तियों का कम/अधिक अनुमान वांछित राजकोषीय उद्देश्यों को पूरा न कर पाने की ओर संकेत करते हैं।

वर्ष 2012–13 के पुनरीक्षित अनुमान के सापेक्ष वास्तविक आंकड़े **चार्ट 1.1** और **परिशिष्ट 1.4** में दिए गये हैं।

चार्ट 1.1: चयनित राजकोषीय प्राचल: वर्ष 2012–13 के दौरान पुनरीक्षित अनुमान एवं वास्तविक स्थिति



(स्रोतः बजट एवं वित्त लेखे 2012-13)

- वर्ष 2012–13 में **वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ** (₹ 1,45,904 करोड़) पुनरीक्षित अनुमान (₹ 1,56,688 करोड़) से ₹ 10,784 करोड़ कम थी। वर्ष 2012–2013 में राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत **स्वयं के कर राजस्व एवं करेतर राजस्व** में क्रमशः ₹ 2,374 करोड़ (चार *प्रतिशत*) और ₹ 828 करोड़ (छः *प्रतिशत*) की कमी हुई। **स्वयं के कर राजस्व** में कमी मुख्यतः बिक्री, व्यापार आदि कर (₹ 1,746 करोड़; पांच *प्रतिशत*) एवं राज्य आबकारी कर (₹ 288 करोड़; तीन *प्रतिशत*) में कमी के

कारण हुई। **करेतर राजस्व** में कमी मुख्यतः विविध सामान्य सेवाओं (₹ 420 करोड़; नौ *प्रतिशत*) एवं ब्याज प्राप्तियों (₹ 236 करोड़; 17 *प्रतिशत*) में कमी होने के कारण हुई।

- वर्ष 2012–13 में राजस्व व्यय (₹ 1,40,724 करोड़) में पुनरीक्षित अनुमान (₹ 1,51,142 करोड़) के सापेक्ष कमी हुई। यह कमी (₹ 10,418 करोड़) विकास व्ययों (सामाजिक सेवाओं: ₹ 5,781 करोड़; 10 *प्रतिशत* एवं आर्थिक सेवाओं: ₹ 2,302 करोड़; 10 *प्रतिशत*) में पायी गई। **सामाजिक सेवाओं** के अंतर्गत कमी मुख्यतः शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹ 2,620 करोड़), श्रम एवं श्रम कल्याण (₹ 1,123 करोड़) तथा सामाजिक कल्याण एवं पोषण (₹ 1,120 करोड़) में कम व्यय होने के कारण हुई। इसी प्रकार, **आर्थिक सेवाओं** के अंतर्गत कमियाँ मुख्यतः ग्रामीण विकास (₹ 1,023 करोड़), कृषि एवं अन्य सम्बद्ध सेवाओं (₹ 679 करोड़) तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (₹ 530 करोड़) के कारण हुई कमी तथा परिवहन मद के अंतर्गत अधिक व्यय (₹ 148 करोड़) के कारण आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।
- वर्ष 2012–13 में **ब्याज की अदायगी** (₹ 16,921 करोड़) पर हुआ व्यय पुनरीक्षित बजट अनुमान (₹ 16,498 करोड़) से ₹ 423 करोड़ (दो *प्रतिशत*) अधिक था।
- **पूँजीगत व्यय** पुनरीक्षित बजट अनुमान की तुलना में ₹ 2,313 करोड़ (नौ *प्रतिशत*) कम था। यह कमी मुख्यतः सामाजिक सेवाओं में ₹ 912 करोड़ (11 *प्रतिशत*) तथा आर्थिक सेवाओं एवं सामान्य सेवाओं में क्रमशः ₹ 892 करोड़ (छः *प्रतिशत*) एवं ₹ 510 करोड़ (27 *प्रतिशत*) कम व्यय होने के कारण हुई।
- **राजस्व आधिक्य** वर्ष 2012–13 के अन्त में ₹ 5,546 करोड़ के पुनरीक्षित बजट अनुमान के सापेक्ष ₹ 366 करोड़ (सात *प्रतिशत*) कम था। यद्यपि, वर्ष 2012–13 में **राजकोषीय घाटे** (₹ 19,238 करोड़) में पुनरीक्षित अनुमान (₹ 21,210 करोड़) के सापेक्ष ₹ 1,972 करोड़ (नौ *प्रतिशत*) का आधिक्य था। **प्राथमिक घाटा** अच्छी तरह से प्रबन्धित था क्योंकि यह पुनरीक्षित बजट अनुमान (₹ 4,712 करोड़) के सापेक्ष ₹ 2,317 करोड़ था।

 वर्ष 2012–13 में प्राप्तियों एवं व्ययों का पैटर्न तैयार किये गये मूल बजट के स्तर से भिन्न था। ***परिशिष्ट 1.4*** में भिन्नता की स्थिति दर्शायी गयी है।

1.1.4 राज्य सरकार की राजकोषीय नीति संबंधी विवरण

राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने अपने बजट में स्वयं के कर राजस्व में 22 *प्रतिशत* (2011–12 के सापेक्ष) की वृद्धि की घोषणा की एवं तदनुसार वर्ष 2012–13 की अवधि में विभिन्न उपभोज्य एवं अनुपभोज्य मदों के कर आधार में वृद्धि के प्रस्ताव दिये। जैसे कि उ0प्र0 वैट अधिनियम, 2008 के अनुसूची–V में उल्लिखित मदों पर व्यापार कर में अतिरिक्त वृद्धि (0.5 *प्रतिशत*) की गई। फिजिकल एक्सरसाइजर, स्वस्थता उपकरण एवं शहद पर पांच *प्रतिशत* कर लगाया गया। मेडिकेटेड साबुन, शैम्पू, एंटीसेप्टिक क्रीम, प्लाईवुड, फ्लश डोर आदि पर मौजूदा पांच *प्रतिशत* कर को बढ़ा कर 14 *प्रतिशत* कर दिया गया।

राज्य सरकार के स्वयं के कर राजस्व वर्ष 2011–12 के सापेक्ष वर्ष 2012–13 में हुई वृद्धि (*प्रतिशत* में) **सारणी 1.5** में दिया गया है। यह वर्ष 2012–13 में स्वयं के कर राजस्व में 22 *प्रतिशत* की वृद्धि की घोषणा के विरूद्ध 10.42 *प्रतिशत* की वृद्धि इंगित करती है।

सारणी 1.5: स्वयं के कर राजस्व

विवरण	धनराशि
वर्ष 2011–12 के स्वयं के कर राजस्व के वास्तविक आकड़े (₹ करोड़ में)	52,613
वर्ष 2012–13 के स्वयं के कर राजस्व के वास्तविक आकड़े (₹ करोड़ में)	58,098
वर्ष 2012–13 के स्वयं के कर राजस्व के वास्तविक आकड़ों में वृद्धि (₹ करोड़ में)	5,485
वर्ष 2012–13 के स्वयं के कर राजस्व के वास्तविक आकड़ों में वृद्धि (*प्रतिशत* में)	10.42

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

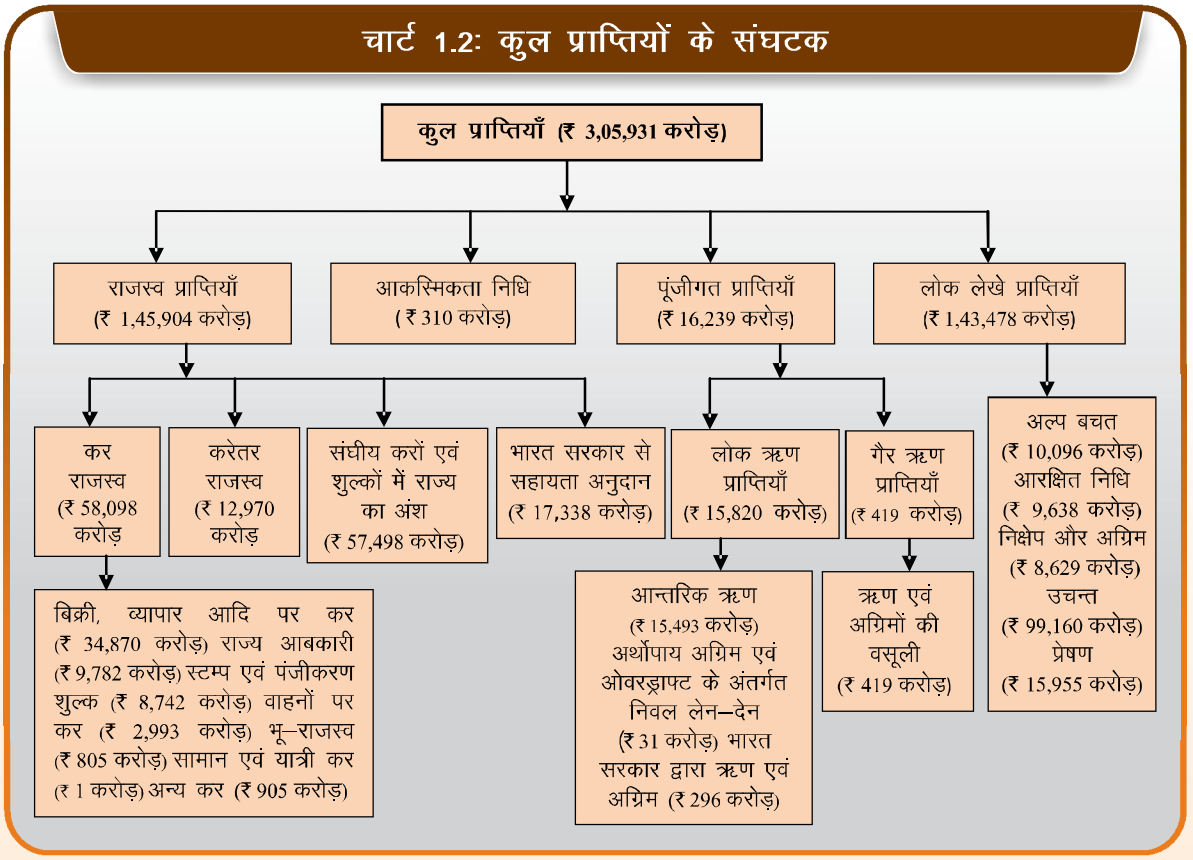
1.2 राज्य के संसाधन

1.2.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन

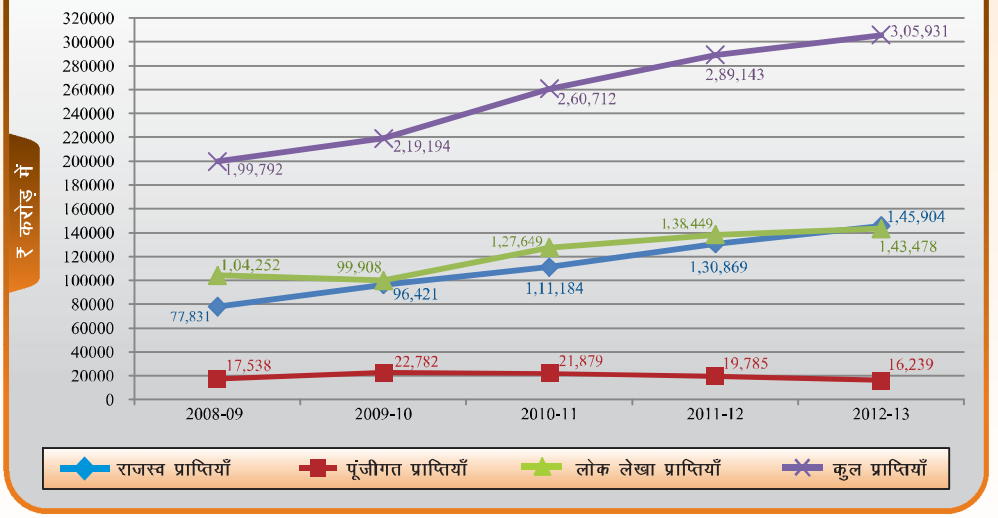
राज्य सरकार के संसाधनों के अंतर्गत दो स्रोत राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियाँ हैं। राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत कर राजस्व, करेतर राजस्व, राज्यों के संघीय करों एवं शुल्क तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान सम्मिलित होते हैं। पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत प्रकीर्ण पूंजीगत प्राप्तियाँ तथा विनिवेशों से प्राप्तियाँ, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) से ऋण प्राप्तियाँ एवं भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों के साथ ही साथ लोक लेखे से उपार्जित प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।

सारणी 1.2 राज्य सरकार के वर्ष 2012–13 में वार्षिक वित्त लेखे में अंकित प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रस्तुत करती है। **चार्ट 1.2** कुल प्राप्तियों की संरचना दर्शाता है। **चार्ट 1.3** वर्ष 2008–13 में राज्य में प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्ति तथा **चार्ट 1.4** वर्ष 2012–13 में राज्य के संसाधनों के संघटकों को प्रदर्शित करता है।

चार्ट 1.2: कुल प्राप्तियों के संघटक

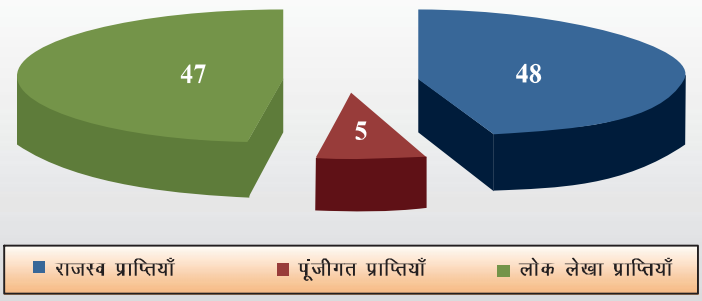


चार्ट 1.3: राज्य की आकस्मिकता निधि से प्राप्ति को छोड़कर प्राप्तियों की प्रवृत्ति



(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 1.4: वर्ष 2012–13 में प्राप्तियों के घटक



(स्रोतः वित्त लेखे 2012–13)

वर्ष 2012–13 में राज्य सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 3,05,931 करोड़ थी। इसमें से राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 1,45,904 करोड़, पूंजीगत प्राप्तियाँ ₹ 16,239 करोड़, आकस्मिकता निधि से प्राप्तियाँ ₹ 310 करोड़ और लोक लेखा प्राप्तियाँ ₹ 1,43,478 करोड़ थी। पुनः, कुल प्राप्तियाँ में वर्ष 2008–13 की अवधि में ₹ 1,06,139 करोड़ (53 *प्रतिशत*) बढ़कर ₹ 3,05,931 करोड़ हो गई।

चार्ट 1.4 यह दर्शाता है कि कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का अंश 48 *प्रतिशत* था जबकि लोक लेखा प्राप्तियाँ 47 *प्रतिशत* एवं पूंजीगत प्राप्तियाँ पांच *प्रतिशत* थी।

1.2.2 राज्य बजट के बाहर राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को हस्तान्तरित धनराशियाँ

भारत सरकार द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों की विभिन्न परियोजनाओं/कार्यक्रमों, जो कि दोषग्राही माने गये हैं, के क्रियान्वयन हेतु राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे वृहद मात्रा में धनराशियाँ हस्तान्तरित की जाती हैं। चूंकि वर्तमान तंत्र में ये धनराशियाँ राज्य बजट/राज्य कोषागार प्रणाली के माध्यम से परिचालित नहीं होती हैं इसलिए राज्य के वार्षिक वित्त लेखे में इनका उल्लेख नहीं किया जाता है। इस प्रकार राज्य के वार्षिक वित्त लेखे में राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित संसाधनों का पूर्ण विवरण परिलक्षित नहीं होता है।

वर्ष 2012–13 में ₹ 9,631.63 करोड़ की केन्द्रीय निधि राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे हस्तातंरित की गई। भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त कार्यक्रम, जिनको धनराशियाँ हस्तांतरित की गई थी, **सारणी 1.6** में प्रस्तुत है।

सारणी 1.6: राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे हस्तान्तरित धनराशियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	कार्यक्रम / परियोजना	राज्य में क्रियान्वयन अभिकरण	भारत सरकार द्वारा सीधे हस्तान्तरित धनराशियाँ	
			2011-12	2012-13
1	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	मण्डलायुक्त, ग्रामीण विकास	4,240.48	1,695.78
2	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	उ. प्र. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ	213.77	शून्य
3	सर्व शिक्षा अभियान	निदेशक, उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना बोर्ड	2,097.33	2,880.74
4	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	निदेशक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	505.90	1,398.88
5	ग्रामीण आवास इंदिरा आवास योजना	ग्राम विकास आयुक्त, लखनऊ	1,680.43	1,175.53
6	ग्रामीण पेयजल– त्वरित पेयजल आपूर्ति योजना	प्रबंध निदेशक, उ. प्र. जल निगम, लखनऊ	802.32	982.01
7	स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना	ग्राम विकास आयुक्त, लखनऊ	271.78	341.57
8	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	जिलाधिकारी	276.00	559.50
9	एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम	जिला ग्राम्य विकास अभिकरण	168.91	129.31
10	सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान	निदेशक, पंचायती राज संस्थान, लखनऊ	169.20	289.76
11	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना	राजकीय शहरी विकास अभिकरण, उ0 प्र0	57.73	47.07
12	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन	ग्राम विकास आयुक्त, लखनऊ	63.26	64.70
13	हथकरघा	निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्र	0.04	0.05
14	शोध एवं विकास समर्थन	विभिन्न सांविधिक निकाय आदि, जैसे आई.आई.टी. कानपुर, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	शून्य	18.90
15	एकीकृत तेलहन, दाल, मक्का विकास	विभिन्न सरकारी स्वायत्त निकाय	6.67	8.53
16	औषधीय पौधे	सरकारी स्वायत्त निकाय	1.80	8.39
17	समाजिक आर्थिक विकास हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	समुदाय अनुप्रयुक्त विज्ञान हेतु स्वैच्छिक संस्थान	85.38	5.28
18	नैनो विज्ञान एवं नैनो प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय अभियान	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	6.31	0.57
19	प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम	कृषि–वन हेतु राष्ट्रीय शोध केन्द्र	5.28	4.52
20	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	केन्द्रीय एवं राजकीय सांविधिक निकाय, पी.एस.यू. आदि	1.71	2.71
21	पंचायती राज संस्थानों स्वैच्छिक संगठन स्वमदद हेतु सहायता	विभिन्न गैर सरकारी संगठन जैसे शहीद स्मारक समिति	1.68	0.82
22	जैव प्रौद्योगिकी विभाग में अनुसंधान एवं विकास	विभिन्न सांविधिक निकायों, स्वायत्त निकायों आदि उदाहरणार्थ आई. आई.टी. कानपुर, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	26.53	17.01
		योग	**10,682.51**	**9,631.63**

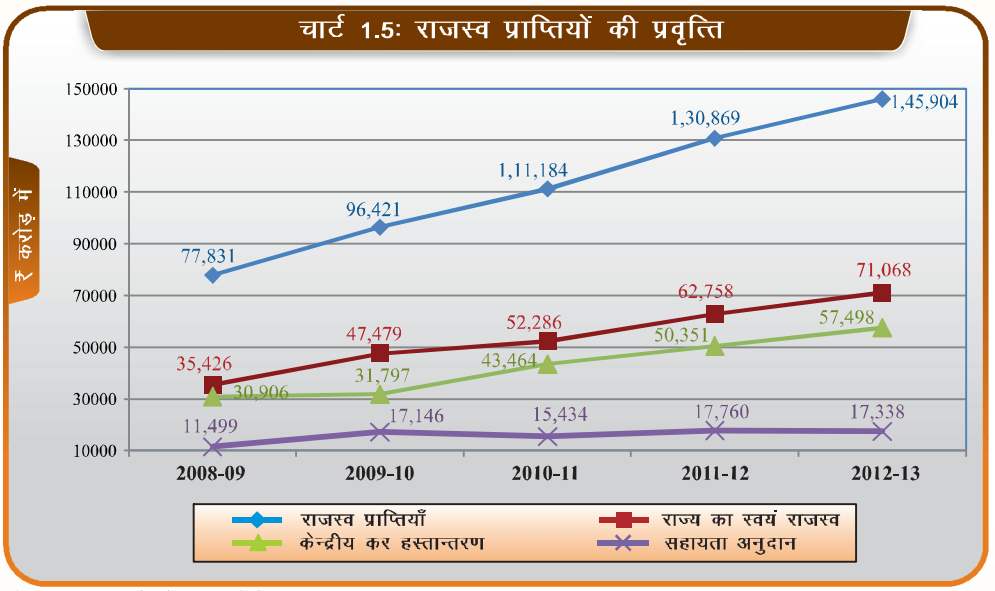
(स्रोतः वित्त लेखे 2012-13)

सारणी 1.6 में दर्शाया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ₹ 892.98 करोड़ (177 *प्रतिशत*), सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ₹ 783.41 करोड़ (37 *प्रतिशत*) तथा कुल स्वच्छता अभियान के अंतर्गत ₹ 120.56 करोड़ (71 *प्रतिशत*) की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। इसी प्रकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत ₹ 2,544.70 करोड़ (60 *प्रतिशत*), इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत ₹ 504.90 करोड़ (30 *प्रतिशत*) तथा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत ₹ 213.77 करोड़ (100 *प्रतिशत*) की महत्वपूर्ण कमी हुई।

1.3 राजस्व प्राप्तियाँ

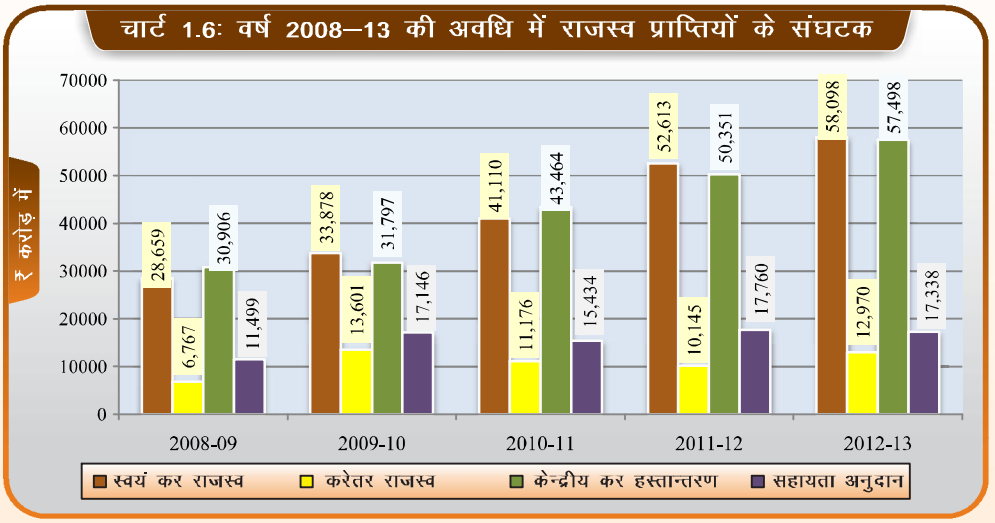
वित्त लेखे के **विवरण–11** में राज्य सरकार के राजस्व प्राप्तियों को विस्तृत रूप से दर्शाया गया है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के कर एवं करेतर राजस्व, केन्द्रीय कर हस्तान्तरण तथा भारत सरकार के सहायता अनुदान सम्मिलित होते हैं। वर्ष 2008–13 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संरचना ***परिशिष्ट 1.5*** में प्रस्तुत की गयी हैं एवं क्रमशः **चार्ट 1.5** एवं **1.6** में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 1.5: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति



(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 1.6: वर्ष 2008–13 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों के संघटक



(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 1.5 यह इंगित करता है कि वर्ष 2012–13 में वर्ष 2011–12 के सापेक्ष राज्य की राजस्व प्राप्तियों में ₹ 15,035 करोड़ की वृद्धि (11.49 *प्रतिशत*) हुई। वर्ष 2008–13 की अवधि में प्राप्तियाँ अनवरत रूप से बढ़ते हुए ₹ 77,831 करोड़ से ₹ 1,45,904 करोड़ हो गयी। **चार्ट 1.6** यह वर्णित करता है कि वर्ष 2012–13 में ₹ 71,068 करोड़ स्वयं के स्रोतों से प्राप्त हुए तथा शेष ₹ 74,836 करोड़ भारत सरकार के संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश (₹ 57,498 करोड़) एवं सहायता अनुदान (₹ 17,338 करोड़) से प्राप्त हुए।

वर्ष 2012–13 में राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को निवल प्राप्तियों का अधिक आवंटन, व्यापार कर अधिनियम के अंतर्गत अधिक कर संग्रह तथा प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत अन्य प्राप्तियों एवं माध्यमिक शिक्षा में मान्य फीस के अधिक संग्रह के कारण थी।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्ति की प्रवृत्तियाँ **सारणी 1.7** में प्रस्तुत की गई है।

सारणी 1.7: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजस्व प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	**77,831**	**96,421**	**1,11,184**	**1,30,869**	**1,45,904**
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	13.34	23.89	15.31	17.70	11.49
राजस्व प्राप्तियाँ/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (*प्रतिशत* में)	18.88	19.63	18.89	19.03	18.96
उत्प्लावनता अनुपात[4]					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावनता	0.874	1.244	0.774	1.048	0.964
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य के स्वयं के कर की उत्प्लावनता	0.971	0.948	1.079	1.657	0.88
राज्य के स्वयं के कर के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावनता	0.901	1.312	0.717	0.633	1.10
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	4,12,151	4,91,302	5,88,467	6,87,836	7,69,729
सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर	15.27	19.20	19.78	16.89	11.91

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी 1.7 से देखा गया कि:

- वर्ष 2011–12 के सापेक्ष वर्ष 2012–13 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावनता में 0.084 की कमी आयी। वर्ष 2009–10 और वर्ष 2011–12 में राजस्व प्राप्तियों की विकास दर तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की विकास दर में समानता थी। यद्यपि, वर्ष 2008–09, 2010–11 और 2012–13 की अवधि में प्राप्तियों में हुई वृद्धि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में हुई वृद्धि के समानुपातिक नहीं थी।

[4]उत्प्लावनता अनुपात राजकोषीय चर की, आधार चर में दिये गये परिवर्तन के सापेक्ष प्रतिक्रियाशीलता/लचीलापन की मात्रा को इंगित करता है। उदाहरणार्थ वर्ष 2008–09 के लिए राजस्व उत्प्लावनता का मान 0.8 का अर्थ है कि जी.एस.डी.पी. की एक *प्रतिशत* की बढ़त होने पर राजस्व प्राप्ति में 0.8 *प्रतिशत* की बढ़त होगी।

- राज्य के स्वयं के कर की उत्प्लावनता सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में वर्ष 2011–12 में 1.657 से कम होकर वर्तमान वर्ष के दौरान 0.88 हो गयी।

1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

केन्द्रीय कर एवं सहायता अनुदान में राज्यांश का निर्धारण वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर किया जाता है, इसलिए संसाधन के संग्रहण में राज्य का निष्पादन उसके स्वयं के संसाधन के रूप में निर्धारित किया गया था। राज्य के स्वयं के संसाधन के अंतर्गत स्वयं के कर राजस्व एवं करेतर राजस्व शामिल हैं।

वर्ष 2008–13 की अवधि में करों एवं शुल्कों तथा करेतर राजस्व की प्राप्तियों का सकल संग्रह ***परिशिष्ट 1.6*** में दिया गया है। स्वयं के संसाधन वर्ष 2008–09 में ₹ 35,426 करोड़ से बढ़कर (101 *प्रतिशत*) वर्ष 2012–13 में ₹ 71,068 करोड़ हो गये।

सारणी 1.8 में वर्ष 2012–13 में राज्य के वास्तविक कर एवं करेतर राजस्व प्राप्तियों की तुलना तेरहवें वित्त आयोग एवं राज्य सरकार के पुनरीक्षित बजट अनुमानों से की गयी है।

सारणी 1.8: तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित और राज्य द्वारा पुनरीक्षित अनुमान के सापेक्ष वर्ष 2012–13 के वास्तविक कर एवं करेतर राजस्व प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	तेरहवें वित्त आयोग का आकलन	बजट अनुमान	पुनरीक्षित अनुमान	वास्तविक आंकड़े
कर राजस्व	47,064.54	62,057.06	60,472.14	58,098.36
करेतर राजस्व	9,487.18	14,173.82	13,798.08	12,969.98

(स्रोतः तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाएँ, राज्य बजट एवं वर्ष 2012–13 के वित्त लेखे)

तेरहवें वित्त आयोग के मानकीय अनुमान के सापेक्ष वर्ष 2012–13 के राज्य के स्वयं के कर राजस्व में ₹ 11,033.82 करोड़ (23 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। यद्यपि वर्ष 2012–13 में स्वयं के कर राजस्व के बजट अनुमान एवं पुनरीक्षित बजट अनुमान की तुलना में ₹ 2,373.78 करोड़ (चार *प्रतिशत*) तथा ₹ 3,958.70 करोड़ (छः *प्रतिशत*) की कमी हुई। इसी प्रकार, वर्ष 2012–13 में करेतर राजस्व में तेरहवें वित्त अयोग के मानकीय अनुमान की तुलना में ₹ 3,482 करोड़ (37 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। यद्यपि, करेतर राजस्व में वर्ष 2012–13 के बजट अनुमान तथा पुनरीक्षित बजट अनुमान की तुलना में ₹ 828.10 करोड़ (छः *प्रतिशत*) तथा ₹ 1,203.84 करोड़ (आठ *प्रतिशत*) की कमी हुई।

1.3.1.1 कर राजस्व

वर्ष 2008–13 की अवधि के कर राजस्व के घटक **सारणी 1.9** दिये गये हैं।

सारणी 1.9: कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व के घटक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	विगत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2012–13 में वृद्धि (+)/कमी (-) की प्रतिशतता
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	17,482	20,825	24,837	33,107	34,870	5
राज्य उत्पाद	4,720	5,666	6,723	8,139	9,782	20
वाहनों पर कर	1,125	1,404	1,817	2,376	2,993	26
स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	4,138	4,562	5,975	7,694	8,742	14
भू–राजस्व	549	663	1,134	491	805	64
माल एवं यात्री पर कर	266	271	242	5	1	(-) 80
अन्य कर	379	487	382	801	905	13
योग	**28,659**	**33,878**	**41,110**	**52,613**	**58,098**	**10**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी 1.9 से देखा जा सकता है कि वर्ष 2012–13 में कर राजस्व पुनरीक्षित बजट अनुमान से ₹ 2,374 करोड़ कम था। यद्यपि, कर राजस्व में वर्ष 2011–12 के सापेक्ष ₹ 5,485 करोड़ (10 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई जो कि भू–राजस्व, बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टॉम्प एवं पंजीकरण शुल्क तथा वाहन कर की वसूली में वृद्धि के कारण हुई। राज्य उत्पाद शुल्क में वृद्धि 'कन्ट्री स्पीरिट' विदेशी मदिरा तथा स्पीरिट एवं अनुज्ञप्ति शुल्क पर राजस्व की अधिक वसूली के कारण हुई। वाहन कर में वृद्धि वाहनों की बिक्री पर करों की वसूली एवं राज्य मोटर वाहन कराधन अधिनियम के अंतर्गत अधिक कर संग्रहण के कारण हुई। यद्यपि, माल एवं यात्री कर के अंतर्गत कर संग्रहण में तीक्ष्ण कमी आई जो कि वर्ष 2008–09 में ₹ 266 करोड़ से वर्ष 2012–13 में एक करोड़ हो गई ।

1.3.1.2 करेतर राजस्व

राज्य सरकार को करेतर राजस्व मुख्यतः शिक्षा, ऊर्जा, ब्याज, वानिकी एवं वन्य जीवन, उद्योग, चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य, सिंचाई, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध क्रिया कलापों से प्राप्त होता है। वर्ष 2012–13 में राज्य के करेतर राजस्व की विकास दर **सारणी 1.10** में दी गयी है।

सारणी 1.10:करेतर राजस्व की विकास दर

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	विगत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2012–13 में वृद्धि (+)/कमी (-) की प्रतिशतता
ब्याज प्राप्तियाँ	964	604	689	789	1,186	50.32
लाभांश एवं लाभ	50	27	27	38	63	65.79
अन्य करेतर प्राप्तियाँ	5,753	12,970	10,460	9,318	11,721	25.79
योग	**6,767**	**13,601**	**11,176**	**10,145**	**12,970**	**27.85**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी 1.10 यह इंगित करता है कि करेतर राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2011–12 के सापेक्ष वर्ष 2012–13 में कुल 28 *प्रतिशत* की वृद्धि (₹ 2,825 करोड़) हुई। यह वृद्धि ब्याज प्राप्तियों, विविध सामान्य सेवाओं एवं अन्य करेतर राजस्व के अंतर्गत अधिक प्राप्तियों के कारण थी। वर्ष 2012–13 में नकद अवशेष के निवेश पर प्राप्त ब्याज में वर्ष 2011–12 के सापेक्ष ₹ 448.31 करोड़ की वृद्धि (144 *प्रतिशत*) हुई। अन्य करेतर राजस्व में वर्ष 2011–12 के सापेक्ष वर्ष 2012–13 में ₹ 2,403 करोड़ (26 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। विविध सामान्य सेवाओं के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः अदावित निक्षेप में ₹ 89.29 करोड़ की वृद्धि (141 *प्रतिशत*) के कारण हुई।

अन्य करेतर राजस्व की प्राप्तियों में शामिल प्रशासनिक सेवाओं के अंतर्गत (₹ 324 करोड़ की) कमी हुई जो कि विविध प्राप्तियों के अंतर्गत, सेवा एवं अनुज्ञप्ति शुल्क एवं अर्थदण्ड में कम प्राप्तियों से हुई। श्रम एवं रोजगार के अंतर्गत (₹ 172 करोड़ की) कमी हुई, जो कि विविध प्राप्तियों की कम वसूली, कारखाना अधिनियम एवं बॉयलरों के निरीक्षण शुल्क की कम वसूली के कारण हुई। सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत (₹ 26.32 करोड़) प्राप्तियों में कमी हुई जो कि चैरिटेबल ट्रस्टों के लेखों के रख–रखाव शुल्क एवं समाज कल्याण विभाग की प्राप्तियों की कम वसूली के कारण थी।

1.3.2 भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

राज्य सरकार भारत सरकार से सहायता अनुदान आयोजनेत्तर अनुदान, राज्य आयोजनागत योजना/केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं आदि के रूप में सहायता अनुदान प्राप्त करती है। वर्ष 2008–13 की अवधि में प्राप्त सहायता अनुदान की धनराशि **सारणी 1.11** में दी गई है।

सारणी 1.11 भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
आयोजनेत्तर अनुदान	3,142.62	3,947.97	3,092.99	4,396.73	4,341.00
राज्य आयोजनेत्तर योजनाओं के लिए अनुदान	5,195.76	5,624.02	6,772.07	6,813.40	5,518.39
केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	235.36	3,992.43	435.16	212.45	12.31
केन्द्रीय पुरोनिधानित आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	2,923.25	3,576.82	5,133.43	6,337.44	7,466.09
योग	**11,496.99**	**17,141.24**	**15,433.65**	**17,760.02**	**17,337.79**
विगत वर्ष में वृद्धि/कमी की प्रतिशतता	33.54	49.09	(-) 9.96	15.07	(-) 2.38
राजस्व प्राप्तियों में कुल अनुदान की प्रतिशतता	14.77	17.78	13.88	13.57	11.88

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान ₹ 422.23 करोड़ (दो *प्रतिशत*) कम हो गयी जो कि वर्ष 2011–12 में ₹ 17,760.02 करोड़ से वर्ष 2012–13 में ₹ 17,337.79 करोड़ हो गई। सहायता अनुदान के अंतर्गत वर्ष 2011–12 के सापेक्ष केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं में वृद्धि हुई (₹ 1,128.65 करोड़) तथा मुख्य कमियाँ आयोजनेत्तर अनुदानों (₹ 55.73 करोड़), राज्य आयोजनागत अनुदानों (₹ 1,295.01 करोड़) तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं (₹ 200.14 करोड़) के अंतर्गत हुई।

1.3.3 केन्द्रीय कर हस्तांतरण

भारत सरकार संघीय करों एवं शुल्कों जैसे आयकर, सेवाकर, संघीय उत्पाद शुल्क आदि में राज्य का अंश हस्तांतरित करती है। वर्ष 2008–13 की अवधि में केन्द्रीय कर हस्तांतरण की प्रवृत्तियाँ **सारणी 1.12** में दी गई है।

सारणीः 1.12 केन्द्रीय कर हस्तांतरण की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
कुल केन्द्रीय कर हस्तांतरण	**30,906**	**31,797**	**43,464**	**50,351**	**57,498**
सेवा कर	3,339	3,357	4,309	6,010	8,396
निगम कर से भिन्न अन्य आय कर	6,364	7,289	8,927	10,067	12,365
संघीय उत्पाद शुल्क	5,152	3,585	5,498	5,649	6,493
निगम कर	10,134	13,086	16,893	19,819	20,654
सम्पत्ति पर कर	9	30	35	76	35
सीमा कर	5,908	4,450	7,557	8,730	9,555

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

केन्द्रीय कर हस्तांतरण में ₹ 7,147 करोड़ (14 *प्रतिशत* की) वृद्धि हुई जो कि वर्ष 2011–12 में ₹ 50,351 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012–13 में ₹ 57,498 करोड़ हो गई। यह वृद्धि मुख्यतः सेवा कर में ₹ 2,386 करोड़ (40 *प्रतिशत*), निगम कर से भिन्न आयकर में ₹ 2,298 करोड़ (23 *प्रतिशत*) और संघीय उत्पाद शुल्क में ₹ 844 करोड़ (15 *प्रतिशत*) की वृद्धि वर्ष 2011–12 की तुलना में हुई।

1.3.4 राजस्व बकाया

कुछ प्रमुख राजस्व शीर्षो के अंतर्गत ₹ 23,519.84 करोड़ का राजस्व बकाया था। इस बकाया राजस्व में से ₹ 14,310.37 करोड़ पांच वर्ष से अधिक समय से बकाया (61 *प्रतिशत*) था। पुनः, वर्ष 2011–12 के सापेक्ष वर्ष 2012–13 में राजस्व बकाया में ₹ 4,161.84 करोड़ की वृद्धि (21 *प्रतिशत*) दर्ज की गई। 31 मार्च 2013 तक कुछ शीर्षो के अंतर्गत राजस्व बकाया धनराशि की विस्तृत स्थिति **सारणी 1.13** में दी गई है।

सारणी 1.13: राजस्व बकाया

(₹ करोड़ में)

राजस्व का शीर्ष	बकाया धनराशि	पांच वर्ष से अधिक अवधि से बकाया	टिप्पणी
बिक्री/व्यापार आदि पर कर	22,850.53	14,256.01	बकाया राजस्व ₹ 22,850.53 करोड़ में से ₹ 1,730.04 करोड़ भू राजस्व के बकाया की वसूली के रूप में मांग हेतु प्रमाणित किया गया था; अन्य राज्यों को ₹ 1,166.26 करोड़ के वसूली प्रमाण पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं; न्यायालय/अपीलीय प्राधिकरण द्वारा धनराशि ₹ 4,556.12 करोड़ की वसूली पर रोक लगा दी गई; सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभागों से ₹ 489.86 करोड़ की वसूली लम्बित थी; ₹ 13,267.03 करोड़ की बकाया के वसूली प्रमाण–पत्र जारी किए जाने थे; ₹ 1,579.44 करोड़ की वसूली को बट्टे खाते में डाले जाने की संभावना थी एवं ₹ 51.78 करोड़ ट्रांसपोर्टरों से बकाया थे।
राज्य आबकारी	54.06	48.51	बकाया राजस्व ₹ 54.06 करोड़ में से ₹ 16 लाख की वसूली पर न्यायालय/अपीलीय प्राधिकरण द्वारा रोक लगा दी गयी; ₹ 78 लाख बट्टेखाते में डाले जाने की संभावना थी; शेष ₹ 53.12 करोड़ के बकाया राजस्व के संबंध में विभाग द्वारा कोई विवरण नहीं दिया गया।
मनोरंजन कर	28.58	5.85	विभाग द्वारा बकाया धनराशि का विस्तृत विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया ।
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	586.67	विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया	बकाया राजस्व ₹ 586.67 करोड़ में से ₹ 382.75 करोड़ की वसूली को न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिया गया; शेष ₹ 203.92 करोड़ के बकाया राजस्व के संबंध में विभाग द्वारा कोई विवरण नहीं दिया गया।
योग	**23,519.84**	**14,310.37**	

(स्रोतः सम्बन्धित विभाग)

कुल ₹ 23,519.84 करोड़ राजस्व बकाया में से ₹ 285.62 करोड़ के राजस्व बकाया का विस्तृत विवरण विभागों द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

1.4 पूंजीगत प्राप्तियाँ

पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत लोक ऋण प्राप्तियाँ जैसे ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली सम्मिलित है। वर्ष 2008–13 की अवधि में पूंजीगत प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ **सारणी 1.14** में दी गई है।

सारणी 1.14 पूंजीगत प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

राज्य की पूंजीगत प्राप्तियों के स्रोत	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
पूंजीगत प्राप्तियाँ	**17,538**	**22,782**	**21,879**	**19,785**	**16,239**
ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	778	293	485	133	419
लोक ऋण प्राप्तियाँ	16,760	22,489	21,394	19,652	15,820
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	85	34	(-) 5	(-) 8	(-) 19
गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	73	(-) 62	66	(-) 73	215
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	15.27	19.2	19.78	16.89	11.91
पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	84.07	30	(-) 4	(-) 10	(-) 18

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी 1.14 वर्ष 2008–13 की अवधि में पूंजीगत प्राप्तियों के अनियमित विकास को दर्शाती है। यह वर्ष 2008–09 में ₹ 17,538 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2009–10 में ₹ 22,782 करोड़ हो गई किन्तु वर्ष 2010–13 के दौरान कमी आई और वर्ष 2012–13 में ₹ 16,239 करोड़ हो गई। पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के वृद्धि दर में कमी आई, वर्ष 2008–09 में 85 *प्रतिशत* से घटकर वर्ष 2012–13 में ऋणात्मक 19 *प्रतिशत* हो गयी। ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली वर्ष 2008–13 की अवधि में ₹ 778 करोड़ से ₹ 133 करोड़ के मध्य घटता–बढ़ता रहा।

1.4.1 ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ

ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियों और संवितरण के सापेक्ष हुई वसूलियों का *प्रतिशत* **सारणी 1.15** में दर्शाया गया है।

सारणी 1.15: ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण/वसूली

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
संवितरण	807	942	968	976	1,003
वसूलियाँ	778	293	485	133	419
संवितरण के सापेक्ष वसूली (*प्रतिशत* में)	96	31	50	14	42

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी 1.15 से देखा जा सकता है कि वर्ष 2008–13 की अवधि में ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ 14 *प्रतिशत* एवं 96 *प्रतिशत* के मध्य रही। इससे यह इंगित है कि ऋणों एवं संवितरित अग्रिम की वसूली में राज्य सरकार की क्रियाविधि अप्रभावी थी।

1.4.2 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

आंतरिक स्रोतों से प्राप्त ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत बाजार ऋण एवं वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण सम्मिलित होते हैं। वर्ष 2008–09 से वर्ष 2012–13 की अवधि में आंतरिक स्रोतों से प्राप्त ऋण प्राप्तियों की धनराशि **सारणी 1.16** में दर्शायी गई है।

सारणी 1.16: आन्तरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
बाजार ऋण	12,692	13,877	12,000	15,830	9,500
वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण	2,424	2,385	1,543	1,277	1,421

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी 1.16 से यह प्रदर्शित है कि बाजार ऋण वर्ष 2008–13 की अवधि में मामूली वृद्धि/कमी के साथ स्थिर रहा। यद्यपि, बाजार ऋण विगत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2012–13 में ₹ 6,630 करोड़ घटकर (40 *प्रतिशत*) ₹ 9,500 करोड़ हो गया। वर्ष 2008–12 की अवधि में वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋणों पर निर्भरता में कमी हुई। यद्यपि, वर्ष 2012–13 में बढ़कर ₹ 1,421 करोड़ हो गयी।

1.4.3 भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम

राज्य सरकार, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम प्राप्त करती है। भारत सरकार से वर्ष 2008–13 की अवधि में प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों की धनराशि **सारणी 1.17** में दी गई है।

सारणी 1.17: भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम	421	283	363	316	296

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी 1.17 से यह प्रदर्शित है कि भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों की धनराशि वर्ष 2008–09 में ₹ 421 करोड़ अंर्तवर्षो में मामूली वृद्धि/कमी के साथ घटकर वर्ष 2012–13 के अंत तक ₹ 296 करोड़ हो गई ।

1.5 लोक लेखे प्राप्तियाँ

कुछ निश्चित लेन देनों जैसे अल्प बचत, भविष्य निधि और आरक्षित निधि आदि जो कि समेकित निधि के अंग हैं, से सम्बन्धित प्राप्तियाँ एवं संवितरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अधीन स्थापित लोक लेखा में रखे जाते हैं। ये प्राप्तियाँ विधान मण्डल के मत पर आधारित होती है एवं इसमें शासन एक बैंकर का काम करता है। संवितरण के बाद अवशेष निधि शासन के पास उपयोग हेतु उपलब्ध रहती है। लोक लेखे की स्थिति **सारणी 1.18** में दी गई है।

सारणी 1.18: लोक लेखे प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विभिन्न शीर्षो के अधीन संसाधन	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
लोक लेखे प्राप्तियाँ	**1,04,252**	**99,908**	**1,27,649**	**1,38,449**	**1,43,478**
(क) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	6,511	8,156	9,857	9,539	10,096
(ख) आरक्षित निधि	3,628	5,825	8,577	10,255	9,638
(ग) निक्षेप एवं अग्रिम	22,656	17,260	15,560	10,551	8,629
(घ) उचंत एवं विविध	52,278	40,084	75,907	89,398	99,160
(ड) प्रेषण	19,179	28,583	17,748	18,706	15,955

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी 1.18 लोक लेखे प्राप्तियों में वृद्धि (वर्ष 2009–10 को छोड़कर) की प्रवृत्ति दर्शाती है। यह वर्ष 2008–09 के अंत में ₹ 1,04,252 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012–13 की समाप्ति पर ₹ 1,43,478 करोड़ (38 *प्रतिशत*) हो गई।

1.6 संसाधनों के अनुप्रयोग

राज्य सरकार के स्तर पर व्ययों के आवंटन का विश्लेषण महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यय करने का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से राज्य सरकार का है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के अन्तर्गत लोक व्ययों को घाटे द्वारा अथवा उधार लेकर पोषित करने में बजट की समस्या आती है। अतः यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राज्य के स्तर पर वर्तमान में किये जा रहे राजकोषीय सुधार एवं समेकन प्रक्रिया, व्यय की कीमत पर, विशेषकर विकास एवं सामाजिक क्षेत्रों के लिए निर्धारित व्यय की कीमत पर, न किया जाए।

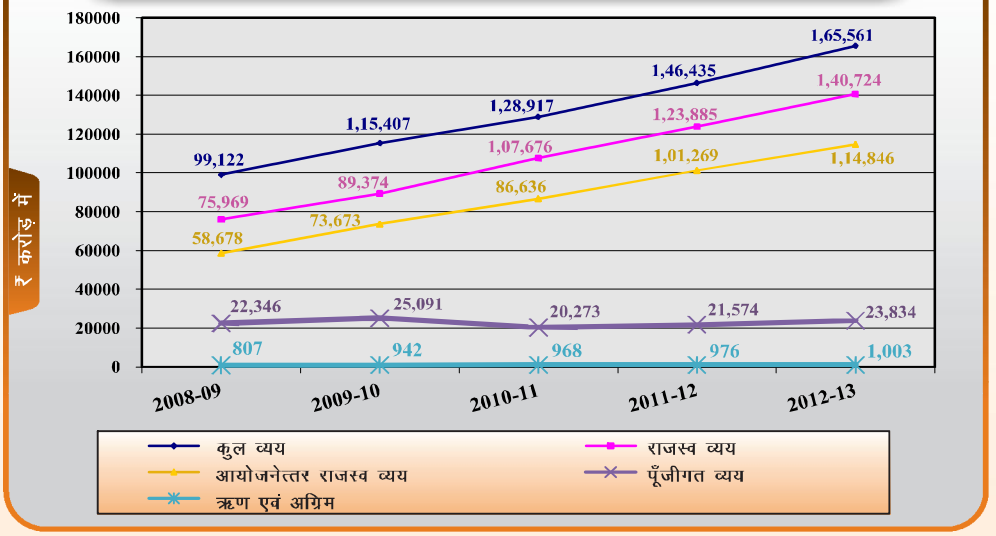
1.6.1 व्यय के संघटक एवं उनमें वृद्धियाँ

कुल व्ययों में राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित होते हैं। राजस्व व्यय, सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और पिछले वर्षों के दायित्वों के भुगतान हेतु किया जाता है जिससे कि राज्य सरकार की अवस्थापना एवं दी जा रही सेवाओं में कोई वृद्धि नहीं होती है। दूसरी ओर, पूंजीगत व्ययों द्वारा राज्य सरकार की अवस्थापना एवं उसके द्वारा दी जा रही सेवाओं (मूर्त परिसम्पत्तियाँ) में वृद्धि होती है।

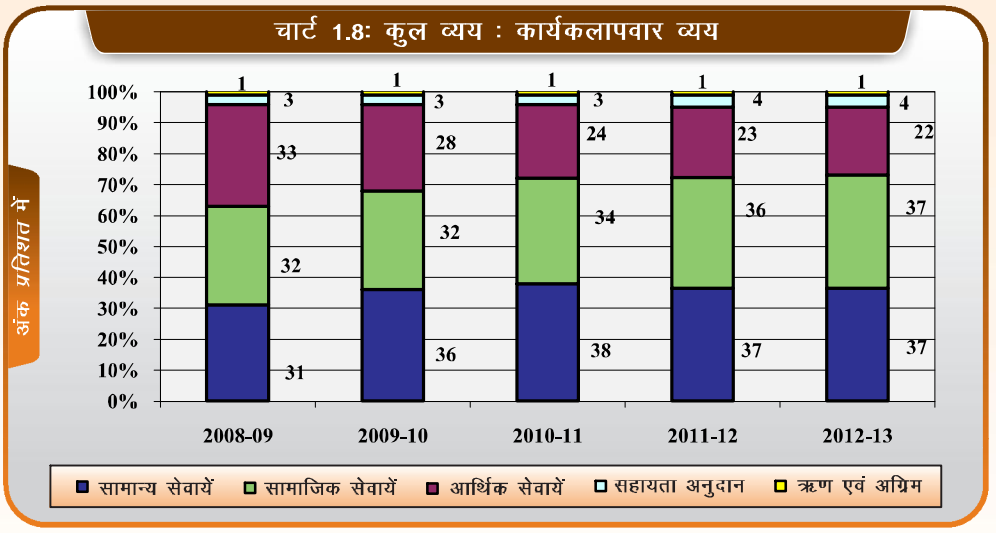
कुल व्यय में स्थिर गति से ₹ 66,439 करोड़ की वृद्धि (67 *प्रतिशत*) हुई जोकि वर्ष 2008–09 में ₹ 99,122 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012–13 में ₹ 1,65,561 करोड़ हो गया तथा वर्ष 2008–13 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों का कुल व्यय के साथ अनुपात 79 एवं 89 *प्रतिशत* के मध्य रहा। राजस्व प्राप्तियों में कुल व्यय के साथ अनुपात में वर्ष 2011–12 के सापेक्ष वर्ष 2012–13 में एक *प्रतिशत* की मामूली कमी हुई।

चार्ट 1.7 कुल व्यय की प्रवृत्तियों एवं संघटकों तथा **चार्ट 1.8** वर्ष 2008–13 की अवधि के कुल व्यय को कार्यकलाप–वार प्रस्तुत करते हैं।

चार्ट 1.7: कुल व्यय : प्रवृत्ति एवं संघटन



चार्ट 1.8: कुल व्यय : कार्यकलापवार व्यय



(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2008–13 की अवधि के कुल व्यय में राजस्व एवं पूंजीगत दोनों व्ययों के अंशों में अंर्तवर्षीय भिन्नता की प्रवृत्तियाँ इंगित करती हैं।

राजस्व व्यय में वर्ष 2011–12 के सापेक्ष वर्ष 2012–13 में वृद्धि मुख्यतः पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ, सामान्य शिक्षा, पुलिस, ब्याज भुगतान, परिवार कल्याण, ऊर्जा आदि के अंतर्गत हुई तथा कमी जलापूर्ति एवं स्वच्छता, ग्रामीण रोजगार एवं दैवीय आपदा पर राहत शीर्षो के अंतर्गत हुई।

पुनः, पूंजीगत व्यय में वर्ष 2011–12 के सापेक्ष वर्ष 2012–13 में सड़कें एवं सेतुओं, जलापूर्ति, खाद्य भण्डारण एवं मालगोदाम, आवासीय, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण आदि के अंतर्गत वृद्धि हुई तथा अन्य ग्रामीण विकास, ऊर्जा परियोजनाओं, अन्य विशिष्ट क्षेत्र कार्यक्रमों, शहरी विकास एवं वृहद सिंचाई आदि के अंतर्गत कमी हुई।

1.6.2 राजस्व व्यय

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व व्यय की प्रवृत्तियाँ **सारणी 1.19** में प्रस्तुत हैं।

सारणी 1.19: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व व्यय की प्रवृत्तियाँ

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	75,969	89,374	1,07,676	1,23,885	1,40,724
राजस्व आधिक्य (₹ करोड़ में)	(+)1,862	(+) 7,047	(+)3,508	(+)6984	(+)5180
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	4,12,151	4,91,302	5,88,467	6,87,836	7,69,729
राजस्व व्यय की विकास दर	16.47	17.64	20.48	15.05	13.59
राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	18.43	18.19	18.30	18.01	18.28
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	15.27	19.20	19.78	16.89	11.91

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी 1.19 इंगित करती है कि वर्ष 2009–10 एवं वर्ष 2011–12 को छोड़कर राजस्व व्यय की वृद्धि दर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के समानुपातिक नहीं थी।

1.6.3 वचनबद्ध व्यय

राज्य सरकार के राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत वचनबद्ध व्ययों में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, पेंशन तथा सब्सिडी मद सम्मिलित है। वचनबद्ध व्यय राजस्व व्यय के मुख्य घटक है तथा आयोजनेत्तर राजस्व व्यय के 81 *प्रतिशत* इसमें उपभोग किये गये।

सारणी 1.20 और **चार्ट 1.9** वर्ष 2008–13 की अवधि के वचनबद्ध व्यय की प्रवृत्तियाँ प्रस्तुत करते हैं।

सारणी 1.20: वचनबद्ध व्ययों के मदों की प्रवृत्ति

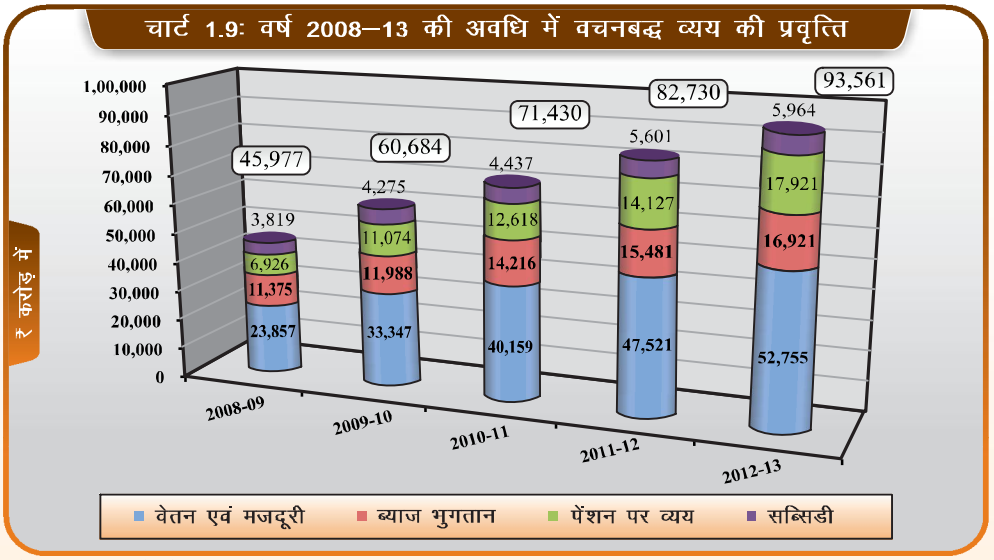
(₹ करोड़ में)

वचनबद्ध व्ययों के मद	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	
					पुनरीक्षित अनुमान	वास्तविक व्यय
वेतन एवं मजदूरी जिसमें*	**23,857 (31)**	**33,347 (35)**	**40,159 (36)**	**47,521 (36)**	**54,484**	**52,755 (36)**
आयोजनेत्तर शीर्ष	22,834	31,137	36,316	42,244		46,007
आयोजनागत शीर्ष**	1,023	2,210	3,843	5,277		6,748
ब्याज भुगतान	**11,375 (14)**	**11,988 (13)**	**14,216 (13)**	**15,481 (12)**	**16,498**	**16,921 (12)**
पेंशन पर व्यय	**6,926 (9)**	**11,074 (11)**	**12,618 (11)**	**14,127 (11)**	**18,925**	**17,921 (12)**
सब्सिडी	**3,819 (5)**	**4,275 (4)**	**4,437 (4)**	**5,601 (4)**	**6,553**	**5,964 (4)**
वचनबद्ध व्यय का योग	**45,977 (59)**	**60,684 (63)**	**71,430 (64)**	**82,730 (63)**	**96,460**	**93,561 (64)**

इस मद में "राजस्व प्राप्तियों" से प्रतिशत कोष्टक में अंकित किये गये है।
*सहायता अनुदान से भुगतानित वेतन भी सम्मिलित है।
**आयोजनागत शीर्ष के अन्तर्गत वह वेतन एवं मजदूरी भी सम्मिलित है जिसका कि भुगतान केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं से किया गया था।

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं वी.एल.सी. आंकड़े)

चार्ट 1.9: वर्ष 2008–13 की अवधि में वचनबद्ध व्यय की प्रवृत्ति



(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2008–13 की अवधि में राज्य सरकार के वचनबद्ध व्ययों के सभी मदों में वृद्धि की प्रवृत्ति रही। यह वचनबद्ध व्यय वर्ष 2008–09 में ₹ 45,977 करोड़ के स्तर से 103 *प्रतिशत* बढ़कर वर्ष 2012–13 में ₹ 93,561 करोड़ हो गया। यह वृद्धि मुख्य रूप

से वेतन, मजदूरी एवं पेंशन मदों के अन्तर्गत थी। वचनबद्ध व्ययों के अंतर्गत मदवार बढ़ोत्तरी/कमी की विवेचना आगामी प्रस्तरों में की गयी है।

वेतन एवं मजदूरी

सारणी 1.20 के विश्लेषण से इंगित है कि वर्ष 2008–13 की अवधि में आयोजनेत्तर एवं आयोजनागत शीर्षों के अन्तर्गत वेतन एवं मजदूरी पर हुए व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति रही। आयोजनागत शीर्षों के अन्तर्गत वेतन एवं मजदूरी पर किया गया व्यय वर्ष 2008–09 में ₹ 22,834 करोड़ के स्तर से बढ़कर (101 *प्रतिशत)* वर्ष 2012–13 में ₹ 46,007 करोड़ हो गया तथा आयोजनागत शीर्षों के अन्तर्गत व्यय वर्ष 2008–09 में ₹1,023 करोड़ से बढ़कर (560 *प्रतिशत*) वर्ष 2012–13 में ₹ 6,748 करोड़ हो गया।

पेंशन भुगतान

पेंशन भुगतान में वर्ष 2008–13 की अवधि में वृद्धि की प्रवृत्ति रही। पेंशन की धनराशि वर्ष 2008–09 में ₹ 6,926 करोड़ से बढ़कर (159 *प्रतिशत*) वर्ष 2012–13 में ₹ 17,921 करोड़ हो गयी। वर्ष 2011–12 के सापेक्ष पेंशन भुगतान में ₹ 3,794 करोड़ (27 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई।

पेंशन देयताओं के प्रभाव को कम करने के लिए 01 अप्रैल 2005 से या उसके बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अंशदायी पेंशन योजना प्रारम्भ की गयी थी।

ब्याज भुगतान

कुल राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज भुगतान वर्ष 2008–09 में 14 *प्रतिशत* से घटकर वर्ष 2012–13 में 12 *प्रतिशत* हो गया जबकि यह 2008–13 की अवधि में राजस्व व्यय के सापेक्ष 14 *प्रतिशत* और 12 *प्रतिशत* के मध्य रहा। वास्तविक ब्याज अदायगी (₹ 16,921 करोड़) पुनरीक्षित बजट अनुमान (₹ 16,498 करोड़) से ₹ 423 करोड़ अधिक थी।

सब्सिडी

किसी भी कल्याणकारी राज्य में समाज के वंचित वर्गो को सब्सिडी/सहायता अनुदान उपलब्ध कराना असामान्य नहीं है। सब्सिडी न केवल प्रत्यक्षतः दी जाती है वरन् लोगों को रियायती दर पर सार्वजनिक सेवाऐं प्रदान कर अंतर्निहित रूप से भी दी जाती है। वित्तीय संस्थानों को बजटीय सहायता, निवेशों पर अपर्याप्त वसूली भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं से उपभोक्ता प्रभारों की अपर्याप्त वसूली अंतर्निहित सब्सिडी के अंर्तगत आते हैं।

वित्तीय लेखे (परिशिष्ट III) दर्शाते है कि शासन ने वर्ष 2012–13 में ₹ 5,964 करोड़ के प्रत्यक्ष सब्सिडी भुगतान किए जो राजस्व प्राप्तियों का एवं कुल व्यय का भी चार *प्रतिशत* थी। कुल भुगतानित सब्सिडी में ₹ 4,775 करोड़ (80 *प्रतिशत*) आयोजनेत्तर मद, ₹ 802 करोड़ (13 *प्रतिशत*) आयोजनागत मद एंव ₹ 387 करोड़ (सात *प्रतिशत*) केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं[5] के अंतर्गत संवितरित की गयी थी। प्रमुख कार्यकलापों जिन्हें सब्सिडी दी गई, इनमें ऊर्जा क्रियाकलाप (₹ 4,435 करोड़; 74 *प्रतिशत*), कृषि एवं अन्य संबद्ध क्रियाकलाप (₹ 1,240 करोड़; 21 *प्रतिशत*) तथा समाज कल्याण (₹ 158 करोड़; तीन *प्रतिशत*) सम्मिलित थे। कार्यकलापवार विस्तृत विवरण उत्तरवर्ती प्रस्तरों में दिए गए हैं।

[5]राज्य बजट के माध्यम से प्राप्त निधियाँ

ऊर्जा क्षेत्र

वर्ष 2011–12 के सापेक्ष वर्ष 2012–13 में सब्सिडी भुगतान पर किये गये व्यय में ₹ 953 करोड़ (27 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। वर्ष 2012–13 में सब्सिडी की अधिकतम धनराशि ₹ 4,200 करोड़ आयोजनेत्तर शीर्ष के अंतर्गत विद्युतीय कर वसूली के विरूद्ध समायोजन हेतु क्षतिपूर्ति अनुदान स्वरूप उ0 प्र0 विद्युत निगम लिमिटेड को भुगतानित किया गया था। इसके अतिरिक्त, ₹ 235 करोड़ की सब्सिडी भी विद्युत दर में छूट के विरूद्ध क्षतिपूर्ति के लिए एवं बिजलीकरघा बुनकरों के लम्बित बिजली बिलों के लिए भुगतानित किया गया था।

कृषि क्षेत्र

वर्ष 2011–12 के सापेक्ष वर्ष 2012–13 में सब्सिडी भुगतान पर किये गये व्यय में ₹ 94 करोड़ (11 प्रतिशत) की कमी हुई। वर्ष 2012–13 में सब्सिडी की अधिकतम धनराशि ₹ 240 करोड़ आयोजनेत्तर शीर्षो के अंतर्गत कृषि उत्पादों में सुधार के लिए निजी नलकूप कृषकों को विद्युत आपूर्ति करने के लिए उ0 प्र0 विद्युत निगम को भुगतानित किया गया था। इसके अतिक्ति, सब्सिडी कृषि विकास योजनाओं (₹ 165 करोड़), सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों को वित्तीय सहायता (₹ 104 करोड़) तथा कृषि मैक्रो प्रबंधन (₹ 73 करोड़) से सम्बन्धित केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना को भुगतानित किए गए थे।

समाज कल्याण

सब्सिडी में वर्ष 2011–12 के सापेक्ष वर्ष 2012–13 में ₹ 287 करोड़ (64 *प्रतिशत*) की कमी हुई। सब्सिडी की अधिकतम धनराशि स्वर्ण जंयती ग्रामीण स्वरोजगार योजना (₹ 36 करोड़), कृषि उत्पादन के लिए छोटे एवं सुदूर कृषकों को मुफ्त बोरिंग सहायता (₹ 30 करोड़) एवं कृषि मैक्रो प्रबंधन (₹ 23 करोड़) को भुगतानित की गई थी।

सब्सिडी आंशिक तस्वीर प्रस्तुत करती है क्योंकि इनमें अंतर्निहित सब्सिडी सम्मिलित नहीं है। अंतर्निहित सब्सिडी तब दिखती है जब शासन सामाजिक एवं आर्थिक सामग्रियाँ/सेवाएँ जो मुख्यतः निजी प्रवृत्ति की है एवं कभी–कभी इनसे विस्तृत लाभ हो सकता है,की व्यवस्था में अपने द्वारा किये गये व्यय की लागत वसूली में असमर्थ रहता है। यह अप्रत्यक्ष हो सकती है एवं कर छूट का भी एक प्रकार हो सकती है। वर्ष 2012–13 की अवधि के कुछ अंतर्निहित सब्सिडी के विस्तृत विवरण **सारणी 1.21** में दिये गये है।

सारणी 1.21: वर्ष 2012–13 की कुछ अप्रत्यक्ष सब्सिडी का विवरण

क्र0सं0	योजनायें/सब्सिडी	विभाग का नाम	धनराशि (₹ करोड़ में)
1	सामान्य श्रेणी के लड़कों को मुफ्त पुस्तकों का वितरण	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	17.58
2	सामान्य श्रेणी के कक्षा 6 से 8 तक के लड़कों को मुफ्त पुस्तकों का वितरण	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	47.88
3	राज्य में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त यूनीफार्म	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	74.23
4	कन्या विद्या धन योजना	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	555.63
5	10वीं पास लड़के/लड़कियों को मुफ्त टैबलेट	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	0.20
6	12वीं पास लड़के/लड़कियों को मुफ्त लैपटाप	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	1,011.84
		योग	**1,707.36**

(स्रोतः विनियोग लेखे 2012-13)

सब्सिडी पर वर्ष 2012–13 में किये गये भुगतान ₹ 1,707.36 करोड़ शासन द्वारा किये गये पुनरीक्षित अनुमान (₹ 6,553 करोड़) से समान था।

1.7 व्ययों की गुणवत्ता

राज्य में अच्छे सामाजिक एवं भौतिक अवस्थापना की उपलब्धता सामान्यतः राज्य सरकार के व्यय की गुणवत्ता को प्रदर्शित करती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार के अन्तर्गत मुख्यतः तीन पक्ष निहित होते हैं, जैसे– व्यय की पर्याप्तता (उदाहरणार्थः लोक सेवा की उपलब्धता हेतु पर्याप्त प्रबंध); व्यय के उपयोग की दक्षता एवं प्रभावकारिता (चयनित सेवाओं के लागत–परिणाम सम्बन्धों का आकलन)।

1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

सामाजिक क्षेत्रों एवं आर्थिक अवस्थापना से संबंधित व्यय का दायित्व राज्य सरकारों को निर्दिष्ट है। मानव विकास के स्तर में वृद्धि हेतु राज्यों को मुख्य सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा एवं स्वास्थ्य इत्यादि पर अपने व्यय को बढ़ाना चाहिए। यदि किसी क्षेत्र विशेष में राजकोषीय प्राथमिकता (किसी क्षेत्र विशेष में व्यय का सकल व्यय से अनुपात) संबधित राष्ट्रीय औसत से कम है तो उस क्षेत्र में राजकोषीय प्राथमिकता कम है। **सारणी 1.22** में वर्ष 2012–13 में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकताओं के संदर्भ में विकास व्यय, सामाजिक व्यय तथा पूंजीगत व्यय का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 1.22: वर्ष 2009–10 और 2012–13 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(*प्रतिशत* में)

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता *	ए.ई./ जी.एस.डी.पी.	डी.ई./ ए.ई#	एस.एस.ई./ ए.ई.	सी.ई./ ए.ई.	एजूकेशन /ए.ई.	हेल्थ/ ए.ई.
सामान्य श्रेणी राज्यों** का औसत (अनुपात) 2009–10	18.24	66.05	35.76	14.85	16.21	4.28
उत्तर प्रदेश राज्य का औसत (अनुपात) 2009–10	23.49	61.14	32.02	21.74	14.48	5.24
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2012–13	15.93	65.79	32.77	13.23	17.23	4.47
उत्तर प्रदेश राज्य का औसत (अनुपात) 2012–13	21.51	59.13	36.78	14.40	18.17	5.22

* सकल राज्य घरेलू उत्पाद से *प्रतिशत*
** सामान्य श्रेणी के राज्य में तीन राज्यों को छोड़ कर अर्थात दिल्ली, गोवा एवं पाण्डीचेरी।
ए.ई.: एग्रीगेट एक्सपेन्डीचर; डी.ई.: डेवलपमेंट एक्सपेन्डीचर; एस.एस.ई.: सोशल सेक्टर एक्सपेन्डीचर; सी.ई.: कैपिटल एक्सपेन्डीचर
डेवलपमेंट एक्पेन्डीचर में डेवलपमेंट रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर, डेवलपमेंट कैपिटल एक्सपेंडीचर और ऋण एवं अग्रिम संवितरण सम्मिलित है।

(स्रोतः राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए सूचनायें निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकीय निदेशालय से एकत्र की गयी थी)

राजकोषीय प्राथमिकता

- सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश राज्य का कुल व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष वर्ष 2009–10 एवं वर्ष 2012–13 में अधिक था।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2009–10 एवं वर्ष 2012–13 में विकास पर होने वाले व्यय हेतु पर्याप्त राजकोषीय प्राथमिकता प्रदान नहीं की गयी क्योंकि कुल व्यय में विकास व्यय का अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में कम था।
- वर्ष 2009–10 में सामाजिक क्षेत्र में किया गया व्यय का कुल व्यय में अनुपात

सामान्य श्रेणी के राज्यों के सापेक्ष कम था, जबकि वर्ष 2012–13 में सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में अधिक था।

- वर्ष 2009–10 एवं वर्ष 2012–13 में कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों से अधिक था।
- औसत व्यय के सापेक्ष शिक्षा क्षेत्र पर किये गये व्यय का अनुपात वर्ष 2009–10 में 14.48 *प्रतिशत* से बढ़कर वर्ष 2012–13 में 18.17 *प्रतिशत* हो गया। सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश राज्य में शिक्षा पर होने वाले व्यय की प्राथमिकता वर्ष 2009–10 में कम तथा वर्ष 2012–13 में अधिक थी।
- उत्तर प्रदेश राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र पर किया गया व्यय उल्लेखनीय रहा क्योंकि वर्ष 2009–10 और वर्ष 2012–13 में सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में इसका अनुपात अधिक था।

1.7.1.1 विकास एवं विकासेत्तर व्यय

राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत व्यय, पूंजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों से सम्बन्धित सभी व्यय सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं एवं सामान्य सेवाओं की श्रेणी में आते हैं। सामान्यतः सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर किये गये व्यय विकास व्यय में सम्मिलित किए जाते हैं जबकि सामान्य सेवाओं पर किया गया व्यय विकासेत्तर व्यय माना जाता है।

वर्ष 2008–13 की अवधि में शासन द्वारा किये गये विकास एवं विकासेत्तर व्यय की वृद्धि दर **सारणी 1.23** में दी गयी है।

सारणी 1.23 विकास एवं विकासेत्तर व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजस्व व्यय	75,969	89,374	1,07,676	1,23,885	1,40,724
पूंजीगत व्यय	22,346	25,091	20,273	21,574	23,834
ऋण एवं अग्रिम	807	942	968	976	1,003
कुल व्यय	**99,122**	**1,15,407**	**1,28,917**	**1,46,435**	**1,65,561**
विकास व्यय	**64,737**	**70,554**	**75,019**	**86,897**	**97,904**
विकास व्यय की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	24	9	6	16	13
विकासेत्तर व्यय	**34,385**	**44,853**	**53,898**	**59,538**	**67,657**
विकासेत्तर व्यय की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	12	30	20	10	14

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणीः 1.23 वर्ष 2008–13 की अवधि में विकास एवं विकासेत्तर व्यय में अनियमित प्रतृत्तियाँ प्रदर्शित करती हैं। विकासेत्तर व्यय 2008–09 में 12 *प्रतिशत* से बढ़कर 2009–10 में 30 *प्रतिशत* हो गया। यद्यपि, यह 2010–11 में घटकर 20 *प्रतिशत* तथा 2011–12 में पुनः 10 *प्रतिशत* हो गया। पुनः, वर्ष 2012–13 में बढ़कर 14 *प्रतिशत* हो गया। विकास व्यय में वृद्धि की दर वर्ष 2008–09 तथा वर्ष 2011–12 में ही विकासेत्तर व्यय में हुई वृद्धि दर से अधिक रही। इससे यह इंगित होता है कि शासन द्वारा शेष वर्षों में विकासात्मक कार्यकलापों को प्राथमिकता नहीं दी गई।

1.7.1.2 आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर राजस्व व्यय

आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर व्ययों के अंतर्गत राज्य के कुल व्यय में राजस्व एवं पूंजीगत व्यय का *प्रतिशत* **सारणी 1.24** में दिया गया है।

सारणी 1.24 आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर राजस्व व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
कुल व्यय	**99,122**	**1,15,407**	**1,28,917**	**1,46,435**	**1,65,561**
राजस्व व्यय	75,969	89,374	1,07,676	1,23,885	1,40,724
आयोजनेत्तर राजस्व व्यय	58,678	73,673	86,636	1,01,269	1,14,846
आयोजनागत व्यय	17,291	15,701	21,040	22,616	25,878
पूंजीगत व्यय	22,346	25,091	20,273	21,574	23,834
ऋण एवं अग्रिम	807	942	968	976	1,003
कुल व्यय की वृद्धि दर	20	16	12	14	13
आयोजनेत्तर राजस्व व्यय की वृद्धि दर	10	26	18	17	13
आयोजनागत व्यय की वृद्धि दर	47	(-) 9	34	7	14

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी 1.24 से देखा जा सकता है कि वर्ष 2008–13 की अवधि में आयोजनागत व्यय की वृद्धि दोलायमान है एवं यह ऋणात्मक नौ *प्रतिशत* से 47 *प्रतिशत* के मध्य थी।

1.7.2 व्यय में दक्षता

चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के अनुरक्षण पर किए गये पूंजीगत व्यय एवं राजस्व व्यय के घटकों का विवरण **सारणी 1.25** में प्रदर्शित है।

सारणी 1.25: चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में किये गये व्यय की दक्षता

(₹ करोड़ में)

सामाजिक/आर्थिक अवसंरचना	2011-12			2012-13		
	पूंजीगत व्यय का कुल व्यय में अंश	राजस्व व्यय में अंश		पूंजीगत व्यय का कुल व्यय में अंश	राजस्व व्यय में अंश	
		वेतन एवं मजदूरी	संचालन एवं मरम्मत		वेतन एवं मजदूरी	संचालन एवं मरम्मत
सामान्य शिक्षा	1.27	22,571	10	1.11	23,810	10
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	14.04	4,482	86	12.92	5,720	97
जलापूर्ति, स्वच्छता एवं आवासीय तथा नगरीय विकास	61.55	58	59	80.71	9	48
योग (सामाजिक सेवायें)	**9.80**	**28,192**	**171**	**12.42**	**30,814**	**155**
कृषि एवं सम्बद्ध कियाकलाप	-3.61	1,695	39	16.14	1,906	38
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	34.64	2,163	1,159	28.87	2,377	1,256
शक्ति एवं ऊर्जा	54.96	16	00	43.81	22	00
परिवहन	70.53	69	1,847	75.25	80	2,018
योग (आर्थिक सेवायें)	**44.84**	**6,727**	**3,071**	**40.35**	**7,594**	**3,351**
महायोग (सामाजिक सेवायें+आर्थिक सेवायें)	**23.51**	**34,919**	**3,242**	**22.91**	**38,408**	**3,506**

(स्रोतः वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के वित्त लेखे तथा वी.एल.सी. आँकड़ें)

राज्य सरकार के कुल व्ययों में पूंजीगत व्यय के अंश में विगत वर्ष के सापेक्ष वर्तमान वर्ष में मामूली कमी हुई। सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत पूंजीगत व्यय के अंश में विगत वर्ष के सापेक्ष 2.62 *प्रतिशत* की वृद्धि तथा आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत 4.49 *प्रतिशत* की कमी हुई। सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत वर्ष 2012–13 में कुल व्यय में पूंजीगत व्यय के अनुपात में 19.16 *प्रतिशत* की वृद्धि जल आपूर्ति, स्वच्छता एवं शहरी आवास योजना में हुई। आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण में 5.77 *प्रतिशत*, शक्ति एवं ऊर्जा में 11.15 *प्रतिशत* की कमी हुई ।

कुल व्यय में वेतन एवं भत्ते के अंश में वर्ष 2011–12 के सापेक्ष वर्ष 2012–13 में वृद्धि (₹ 3,489 करोड़) हुई। सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में क्रमशः 4.07 *प्रतिशत* एवं 16.22 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह वृद्धि सामाजिक क्षेत्र (₹ 2,622 करोड़) एवं आर्थिक क्षेत्र (₹ 867 करोड़) के मध्य विभाजित थी।

सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत राजस्व व्यय में संचालन एवं अनुरक्षण पर हुए व्यय के अंश में वर्ष 2011–12 के सापेक्ष वर्ष 2012–13 में ₹ 16 करोड़ की कमी हुई। इसी प्रकार, आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत राजस्व व्यय में संचालन एवं अनुरक्षण पर हुए व्यय के कुल अंश में वर्ष 2011–12 के सापेक्ष वर्ष 2012–13 में ₹ 280 करोड़ की वृद्धि हुई। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण में आठ *प्रतिशत* तथा परिवहन में नौ *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।

1.8 राज्य सरकार द्वारा किये गये व्ययों एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के पारित होने के उपरान्त राज्य सरकार से यह अपेक्षित है कि वह अपने राजकोषीय घाटों को न केवल कम स्तर पर रखें बल्कि पूंजीगत व्ययों/निवेशों (अग्रिमों एवं ऋणों (उधार) को सम्मिलित करते हुए) की आवश्यकताओं को पूरा करें। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को अन्तर्निहित सब्सिडी के रूप में अपने बजट एवं वित्तीय संचालन में पारदर्शिता लाने हेतु आवश्यक कदम उठाने के स्थान पर बाजार–आधारित संसाधनों पर पूर्ण रूप से निर्भर होने के संक्रमण काल में अपने निवेशों पर यथेष्ट लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने एवं उधार ली गयी धनराशियों का मूल्य वसूलने की आवश्यकता है। इस भाग में विगत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में राज्य सरकार के निवेशों एवं पूंजीगत व्ययों के वृहद वित्तीय विश्लेषण को प्रस्तुत किया गया है।

1.8.1 सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम

सिंचाई परियोजनाओं की वाणिज्यिक व्यावहारिकता को सुनिश्चित करने के लिए तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुरक्षण व्यय के सापेक्ष लागत वसूली की दर निर्धारित किया गया है।

वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं से वर्ष 2012–13 में प्राप्तियां (₹ 258 करोड़) उनके संचालन एवं अनुरक्षण पर किय गये ₹ 4,323 करोड़ के व्यय का मात्र छः *प्रतिशत* थी, जो कि वर्ष 2012–13 के लिए तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लागत वसूली अनुमान (45 *प्रतिशत*) से बहुत कम थी। **सारणी 1.26** से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2008–13 की अवधि के लिए वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई कार्यों के संबंध में बारहवें एवं तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लागत वसूली दर तथा अनुरक्षण व्यय राज्य सरकार द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सका।

सारणी 1.26: बारहवें/तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मानक के संदर्भ में लागत वसूली दर एवं अनुरक्षण व्यय

वर्ष	राजस्व व्यय	राजस्व प्राप्तियाँ	राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्तियाँ	बारहवें (2005–10) एवं तेरहवें (2010–15) वित्त आयोग द्वारा लागत वसूली का मूल्यांकन	लागत वसूली में कमी
	₹ करोड़ में		*प्रतिशत* में		
2008-09	2,520	295	12	80	68
2009-10	2,633	267	10	90	80
2010-11	3,409	186	5	25	20
2011-12	3,736	232	6	35	29
2012-13	4,323	258	6	45	39

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी 1.26 में वर्ष 2008–13 की अवधि की अल्प लागत वसूली प्रदर्शित है। आयोग द्वारा 45 *प्रतिशत* की अनुशंसा के सापेक्ष वर्ष 2012–13 में इन परियोजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण पर हुए व्यय का छः *प्रतिशत* ही वसूल किया जा सका जो उनके व्यावहारिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं।

1.8.2 अपूर्ण परियोजनाएं

अपूर्ण परियोजनाओं पर धनराशियों का अवरोधन, व्यय की गुणवत्ता को दुष्प्रभावित करता है। अपूर्ण परियोजनाओं की विभागवार स्थिति **सारणी 1.27** में प्रस्तुत है।

सारणी 1.27: विभागवार अपूर्ण परियोजनाओं की स्थिति

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	प्रारम्भिक बजटीय लागत	परियोजनाओं की कुल पुनरीक्षित लागत	संचयी वास्तविक व्यय (मार्च 2013)
लोक निर्माण (सड़कें एवं सेतु)	338	4,444	593 (12 परियोजनाएं)	1,824
सिंचाई	45	843	1,567 (21 परियोजनाएं)	1,569
योग	**383**	**5,287**	**2,160**	**3,393**

(स्रोतः वित्त लेखे 2012–13)

तीन सौ तिरासी अपूर्ण परियोजनाओं पर ₹ 3,393 करोड़ (मार्च 2013) के व्यय से वांछित लाभ प्राप्त नहीं हुआ।

1.8.3 निवेश एवं प्रतिफल

31 मार्च 2013 तक राज्य सरकार ने सांविधिक निगमों (₹ 401 करोड़), सरकारी कम्पनियों (₹ 44,835 करोड़) तथा सहकारी संस्थाओं (₹ 992 करोड़) में कुल ₹ 46,228 करोड़ की धनराशियों का निवेश किया था। निवेशों पर प्रतिफल की स्थिति 2008–13 की अवधि में **सारणी 1.28** में दर्शायी गयी है।

सारणी 1.28: निवेशों पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

निवेश / प्रतिफल / लिये गये ऋणों की लागत	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
वर्ष के अंत तक निवेश (₹ करोड़ में)	14,866.13	39,666.64	38,272.54	42,607.07	46227.91[6]
प्रतिफल (₹ करोड़ में)	1.26	8.36	26.81	38.17	62.70
प्रतिफल (*प्रतिशत*)	0.008	0.021	0.07	0.09	0.14
राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋणों पर औसत ब्याज का दर (*प्रतिशत*)	6.29	6.16	6.67	6.62	6.73
ब्याज दर एवं प्रतिफलों में अंतर (*प्रतिशत*)	6.28	6.14	6.60	6.53	6.59

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 में मुख्य रूप से ऐसे निगमों में निवेश किया गया था, जो कि विद्युत उत्पादन, विद्युत संचार एवं वितरण तथा ग्रामीण विद्युतीकरण में लगे हुये थे।

1.8.4 नकद अवशेष एवं नकद अवशेषों के निवेश

वर्ष 2012–13 में राज्य सरकार को नकद अवशेषों के निवेश पर ₹ 760.27 करोड़ के ब्याज प्राप्त हुए। प्राप्त ब्याज की धनराशि नकद अवशेष निवेश लेखे में किए गए निवेश का मात्र पांच *प्रतिशत* थी जो कि राज्य सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर भुगतानित (6.73 *प्रतिशत*) ब्याज दर से कम था।

सारणी 1.29 वर्ष 2012–13 में नकद अवशेष एवं शासन द्वारा नकद अवशेषों के निवेश प्रस्तुत करता है।

सारणी 1.29: नकद अवशेष एवं नकद अवशेषों के निवेश

(₹ लाख में)

विवरण	प्रारम्भिक अवशेष	अंतिम अवशेष
(अ) सामान्य रोकड़ शेष		
कोषागारों में नकद	0.21	0.21
रिजर्व बैंक के पास निक्षेप	-61,934.14	-3,951.87
मार्गस्थ प्रेषण	0.07	0.07
योग	**-61,933.86**	**-3,951.59**
रोकड़ शेष निवेश लेखा में रखे गये निवेश	1,405,271.88	1,519,872.50
योग (अ)	**1,343,338.02**	**1,515,920.91**
(ब) अन्य रोकड़ शेष एवं निवेश		
विभागीय अधिकारियों के पास नकद अर्थात लोक निर्माण के विभागीय अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी, जिलाधिकारी	1,289.51	1,278.61
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	42.35	42.35
उद्दिष्ट निधियों के निवेश	4,519.58	4,519.58
योग (ब)	**5,851.44**	**5,840.54**
महायोग (अ) + (ब)	**1,349,189.46**	**1,521,761.45**

(स्रोतः वित्त लेखे 2011–12 एवं 2012–13)

[6] वर्ष 2012–13 एवं विगत वर्षों के, जो कि समाधान के अंतर्गत ₹ 1,269 करोड़, सम्मिलित है।

वर्ष 2012–13 की समाप्ति पर उद्दिष्ट निधियों के निवेश पर ₹ 45.20 करोड़ की कटौती के बाद शासन के पास ₹ 15,172.42 करोड़ नकद अवशेष थे।

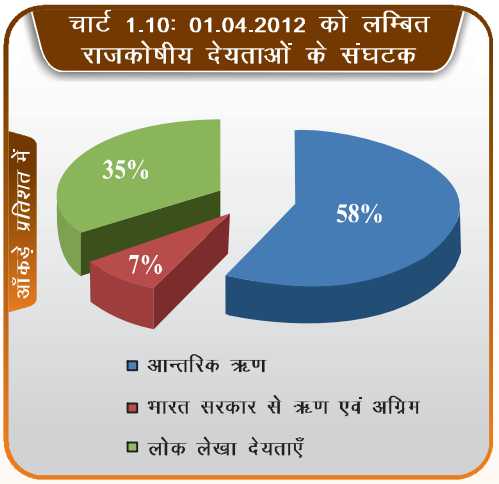
1.9 परिसम्पत्तियाँ एवं देयतायें

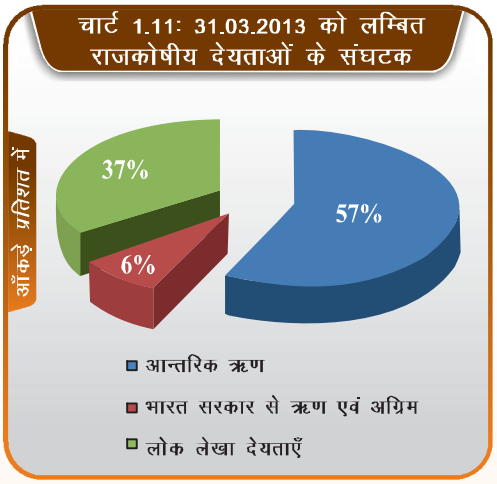
1.9.1 परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों में वृद्धि एवं संघटक

राज्य सरकार की वर्तमान लेखा प्रणाली के अन्तर्गत राज्य सरकार की भूमि, भवनों इत्यादि जैसी अचल परिसम्पत्तियों को समग्र रूप से लेखाबद्ध नहीं किया जाता है। फिर भी, राज्य सरकार के लेखे राज्य सरकार की वित्तीय देयताओं तथा व्यय द्वारा सृजित की गयी परिसम्पत्तियों को समाहित करते हैं। **परिशिष्ट 1.7** में 31 मार्च 2012 के सापेक्ष 31 मार्च 2013 को राज्य सरकार की ऐसी ही वित्तीय देयताओं एवं सृजित परिसम्पत्तियों का सार दिया गया है। यद्यपि ***परिशिष्ट 1.7*** में अंकित वित्तीय देयताओं के अंतर्गत मुख्य रूप से आन्तरिक ऋणों, भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों, लोक लेखे एवं रक्षित निधियों से प्राप्तियां दर्शायी गयी है जबकि परिसम्पत्तियों के अंतर्गत मुख्य रूप से पूंजीगत परिव्यय, राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों तथा रोकड़ अवशेषों का विवरण दिया गया है।

1.9.2 राजकोषीय देयतायें

राज्य सरकार की अवशेष राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्ति ***परिशिष्ट 1.7*** में प्रस्तुत की गयी है एवं वर्ष 2011–12 के सापेक्ष वर्ष 2012–13 में राजकोषीय देयताओं के संघटकों को **चार्ट 1.10** एवं **1.11** में प्रस्तुत किया गया है।





(स्रोतः वित्त लेखे 2011–12 एवं 2012–13)

चार्ट 1.10 एवं **1.11** स्पष्ट रूप से इंगित करते है कि वर्ष 2012–13 की समाप्ति पर राज्य सरकार की राजकोषीय देयताओं में वर्ष 2011–12 के सापेक्ष महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुए जबकि ऋण एवं अग्रिम स्थिर थे। आंतरिक ऋण में एक *प्रतिशत* की कमी के सापेक्ष लोक लेखे देयताओं में दो *प्रतिशत* की मामूली वृद्धि हुई।

राज्य सरकार की राजकोषीय देयताओं में वृद्धि दर, राजकोषीय देयताओं का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात, राजस्व प्राप्तियों से अनुपात तथा राज्य के संसाधनों से अनुपात एवं इन प्राचलों के सन्दर्भ में राज्य सरकार की राजकोषीय देयताओं में उत्प्लावनता **सारणी 1.30** में दी गयी है।

सारणी 1.30: राजकोषीय देयताएं–मूल प्राचल

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजकोषीय देयताएं (₹ करोड़ में)	1,87,411	2,01,720	2,24,785	2,43,229	2,59,621
वृद्धि दर (*प्रतिशत*)	7.55	7.64	11.43	8.21	6.74
राजकोषीय देयताओं का निम्न से अनुपात					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (*प्रतिशत*)	45.47	41.06	38.20	35.36	33.73
राजस्व प्राप्तियाँ (*प्रतिशत*)	240.79	209.21	202.17	185.86	177.94
स्वयं के संसाधन (*प्रतिशत*)	529.02	424.86	429.91	387.56	365.31
राजकोषीय देयताओं की निम्न से उत्प्लावनता[7]					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.494	0.398	0.578	0.486	0.566
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	0.566	0.320	0.747	0.464	0.587
स्वयं के संसाधन (अनुपात)	0.500	0.225	1.129	0.410	0.509

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी 1.30 से यह विदित होता है कि राज्य सरकार की कुल राजकोषीय देयतायें वर्ष 2008–09 में ₹ 1,87,411 करोड़ से बढ़कर (39 *प्रतिशत*) वर्ष 2012–13 में ₹ 2,59,621 करोड़ हो गयीं। वर्ष 2011–12 के 8.21 *प्रतिशत* के सापेक्ष वर्ष 2012–13 में राज्य सरकार की राजकोषीय देयताओं में वृद्धि दर 6.74 *प्रतिशत* थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय देयताओं का अनुपात वर्ष 2008–09 में 45.47 *प्रतिशत* के स्तर से घटकर वर्ष 2012–13 में 33.73 *प्रतिशत* हो गया। वर्ष 2012–13 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजकोषीय देयताओं की उत्प्लावनता 0.566 *प्रतिशत* थी।

1.9.3 आरक्षित निधियों के अंतर्गत लेन–देन

राज्य सरकार के लेखे में सेक्टर जे–आरक्षित निधियों के अंतर्गत कई आरक्षित निधियाँ विद्यमान रहती है, जो विशिष्ट एवं सुपरिभाषित उद्देश्यों के लिए सृजित की गई तथा राज्य के समेकित निधि से अथवा बाह्य अभिकरणों से प्राप्त अनुदानों के सहयोग से प्रारम्भ की गई हैं। इन निधियों का वर्षवार विवरण अर्थात् निधियों का नाम, वर्ष 2010–13 की अवधि में प्राप्तियों एवं संवितरणों के साथ प्रारम्भिक एवं अंतिम अवशेषों को ***परिशिष्ट 1.8*** एवं सारांश **सारणी 1.31** में दिया गया है।

सारणी 1.31: वर्ष 2010–13 की अवधि में आरक्षित निधियों की स्थिति

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	लेखा शीर्ष	आरक्षित निधियों की संख्या		प्रारम्भिक अवशेष (1 अप्रैल 2010)	प्राप्तियाँ 2010–13	संवितरण 2010–13	अंतिम अवशेष (31 मार्च 2013)
		संचालित	असंचालित				
ब्याज सहित आरक्षित निधि							
1	8115-मूल्यह्रास/ नवीकरण आरक्षित निधि	01	01	1,60,462.23	शून्य	1,58,613.69	1848.54
2	8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां	शून्य	02	126.69	शून्य	शून्य	126.69

[7]आधारभूत चर में दिए गए परिवर्तन के संदर्भ में राजकोषीय चर की अनुकूलता अथवा लचीलेपन को दर्शाता है।

ब्याज रहित आरक्षित निधि							
1	8222-सिंकिंग फण्ड	01	शून्य	2,078,247.98	24,21,098.44	10,15,902.09	3,483,444.33
2	8223-अकाल राहत निधि	शून्य	02	853.50	शून्य	शून्य	853.50
3	8225-सड़क एवं सेतु निधि	01	शून्य	99,841.03	शून्य	94,096.38	5,744.65
4	8226- मूल्यह्रास/ नवीकरण आरक्षित निधि	01	शून्य	4,887.77	33.00	शून्य	4,920.77
5	8229-विकास एवं कल्याण निधियाँ	05	02	38,964.26	2,08,853.64	1,93,912.64	53,905.26
6	8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ	03	03	(-) 12,124.15	2,17,038.86	1,63,295.91	41,618.80
	योग	**12**	**10**				**35,92,462.54**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी 1.31 से स्पष्ट है कि वर्ष 2010–13 में 22 आरक्षित निधियों (जिनके अंतिम अवशेष ₹ 35,924.63 करोड़ थे) में से 10 आरक्षित निधियाँ संचालित नहीं थी।

1.9.4 आकस्मिक देयताएं–गारन्टी की स्थिति

गारन्टी, राज्य के समेकित निधि पर आकस्मिक देयतायें हैं, जो उधार लेने वाले, जिनके लिए गारन्टी दी गयी थी, द्वारा उधार की अदायगी न करने पर की जाती है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2004 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार किसी निगम अथवा विधि के अन्तर्गत निर्धारित धनराशि से अधिक धनराशि की गारन्टी नहीं देगी।

फिर भी, राज्य सरकार ने ऐसी कोई विधि या नियम नहीं बनाये थे जो कि राज्य सरकार की संचित निधि के आधार पर राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली गारंटी की सीमा निर्धारित करती हो। तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा भी आकस्मिक देयताओं, जो कि प्रत्याभूति के भुगतान करने पर उत्पन्न हों, की प्रतिपूर्ति हेतु कोई निधि स्थापित नहीं की गई थी।

फलस्वरूप, राज्य सरकार द्वारा गारन्टी हेतु लिये गये शुल्कों को निर्दिष्ट निधि में जमा करने के स्थान पर राजस्व प्राप्तियों के मद में जमा किया गया जिसका उपयोग राज्य सरकार द्वारा दी गयी गारन्टी के उपयोग की परिस्थिति में किया जाना था।

राज्य सरकार के वित्त लेखे के **विवरण–9** के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त गारन्टी की अधिकतम राशि एवं विगत तीन वर्षों से बकाया गारन्टी **सारणी 1.32** में दी गयी है।

सारणी 1.32: राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त गारन्टी

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13
गारन्टी की अधिकतम राशि	29,778	29,629	50,459
अवशेष गारन्टी की राशि (ब्याज सहित)	20,162	21,752	43,337
कुल राजस्व प्राप्तियों से गारन्टी की अधिकतम राशि की प्रतिशतता	26.78	22.64	34.58

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

गारन्टी की अधिकतम धनराशि वर्ष 2010–11 के ₹ 29,778 करोड़ के स्तर से महत्वपूर्ण रूप से बढ़कर (69 *प्रतिशत*) वर्ष 2012–13 में ₹ 50,459 करोड़ हो गयी। गारन्टी की अवशेष धनराशियाँ भी वर्ष 2010–11 के ₹ 20,162 करोड़ के स्तर से महत्वपूर्ण रूप से बढ़कर (115 *प्रतिशत*) वर्ष 2012–13 में ₹ 43,337 करोड़ हो गयी एवं अधिकतम वृद्धि ऊर्जा (₹ 20,947 करोड़, सात संस्थानों) एवं अन्य संस्थानों (₹ 1,030 करोड़, 14 संस्थानों) के अंतर्गत हुई। वर्ष 2010–11 में राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष दी गयी गारण्टी भी 26.78 *प्रतिशत* के स्तर से बढ़कर वर्ष 2012–13 में 34.58 *प्रतिशत* हो गयी। 31 मार्च 2013 तक ब्याज सहित गारन्टी की धनराशि राज्य वित्त निगम (₹ 80.14 करोड़, एक संस्थान), ऊर्जा क्षेत्र के संस्थानों (₹ 38,555.43 करोड़), सहकारी संस्थानों (₹ 2,494.82 करोड़ दो संस्थानों) एवं अन्य संस्थानों (₹ 2,206.27 करोड़, 14 संस्थानों) पर बकाया थी।

1.10 ऋण प्रबन्धन

राज्य सरकार के ऋणों की मात्रा के अतिरिक्त यह आवश्यक है कि उन सूचकों का विश्लेषण किया जाये जो कि राज्य सरकार की ऋण संवहनीयता का निर्धारण करते हैं। प्रतिवेदन का यह प्रभाग ऋणों में स्थिरता, गैर–ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता, उधार ली गई धनराशियों की निवल उपलब्धता, ब्याज भुगतान का भार (राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतान के अनुपात की माप) और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता अनुपात के संदर्भ में राज्य सरकार के ऋणों की संवहनीयता का आकलन करता है।

वर्ष 2008–09 से प्रारम्भ होने वाले पाँच वर्षों की अवधि में उपरोक्त सूचकों के अनुसार राज्य की ऋण संवहनीयता **सारणी 1.33** मे इंगित की गयी है।

सारणी 1.33: ऋण संवहनीयता–सूचकांक और प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

ऋण संवहनीयता के सूचकांक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
ऋण स्थिरता (प्रमात्रा विस्तार + प्रारम्भिक घाटा)	**8,426**	**17,733**	**23,413**	**23,134**	**10,282**
गैर ऋण प्राप्तियों की प्रचुरता (संसाधन अंतराल)	(-) 6,719	1,820	1,445	1,815	(-)3,805
उधार ऋण की निवल उपलब्धता	1,788	2,387	8,915	3,051	(-)463
ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्तियों का अनुपात)	15	12	13	12	12

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.10.1 ऋण स्थायित्व

ऋण संवहनीयता के सन्दर्भ में यह एक तथ्य है कि ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में स्थिर रहे। यदि प्रमात्रा विस्तार एवं प्राथमिक घाटा ऋणात्मक है तो ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात अधिक होगा जोकि इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि लोकऋणों का स्तर असंवहनीय है। यदि प्रमात्रा विस्तार एवं प्राथमिक घाटा धनात्मक है तो ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात कम होगा जो कि इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि लोक ऋण संवहनीय स्तर का है।

सारणी 1.33 प्रदर्शित करता है कि वर्ष 2008–13 की अवधि में प्रमात्रा विस्तार एवं प्राथमिक घाटे का योग वर्ष 2008–09 (₹ 8,426 करोड़), वर्ष 2009–10 (₹ 17,733 करोड़), वर्ष 2010–11 (₹ 23,413 करोड़), वर्ष 2011–12 (₹ 23,134 करोड़)

एवं वर्ष 2012–13 (₹ 10,282 करोड़) में धनात्मक रहा। यह लोक ऋण के संवहनीय स्तर का सूचक है।

1.10.2 लिये गये ऋणों की निवल उपलब्धता

वर्ष 2008–12 में ब्याज एवं ऋणों के पुनर्भुगतान के पश्चात् आन्तरिक ऋणों एवं भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों तथा अन्य दायित्वों से धनराशियों की शुद्ध उपलब्धता 3.64 *प्रतिशत* से 16.14 *प्रतिशत* के मध्य रही किन्तु यह वर्ष 2012–13[8] में कम होकर ऋणात्मक एक *प्रतिशत* हो गयी। वर्ष 2012–13 में राज्य सरकार ने ₹ 7,514 करोड़ के आन्तरिक ऋण, भारत सरकार के ₹ 1,395 करोड़ तथा 16,921 करोड़ के ब्याज सहित ₹18,738 करोड़ के अन्य दायित्वों का ही भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप, उधार धनराशियों की उपलब्धता वर्ष 2011–12 में 6.12 *प्रतिशत* से घटकर वर्ष 2012–13 में ऋणात्मक एक *प्रतिशत* हो गयी। ऋण मोचन अनुपात की प्रवृत्तियाँ वर्ष 2008–13 की अवधि में 84 प्रतिशत से 101 *प्रतिशत* के मध्य रही।

1.10.3 बाजार ऋण पर समीक्षा

1.10.3.1 प्रस्तावना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के अनुसार कोई भी राज्य भारत की सीमा के अंतर्गत राज्य की समेकित निधि की जमानत पर उस सीमा तक ऋण ले सकता है, यदि कोई हो, जैसा कि समय–समय पर राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा निर्धारित की गई हो। तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर भारत सरकार ने प्रत्येक राज्य के लिए निर्दिष्ट राजकोषीय घाटा पथ के आधार पर बाजार ऋण की सीमाएँ निर्धारित की है। उ0प्र0 राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार वर्ष 2012–13 में राज्य सरकार के कुल बकाया ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 45.1 *प्रतिशत* होना चाहिए।

लोक ऋण के अंतर्गत राज्य सरकार के आंतरिक ऋण, भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम शामिल होते हैं। आंतरिक ऋण, पुनः बाजार ऋण एवं समझौता ऋण में विभाजित होता है। राज्य सरकार के बाजार ऋण का नियंत्रण भारत सरकार द्वारा किया जाता है तथा इनका प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक करता है। राज्य सरकार, राज्य विकास ऋण नाम से भिन्न–भिन्न अवधियों की प्रत्याभूतियाँ निर्गत करती हैं।

1.10.3.2 बाजार ऋण की स्थिति

वर्ष 2008–13 की अवधि के ऋण संवहनीयता सूचकों जिसमें कुल देयताएँ, लोक ऋण, बाजार ऋण आदि सम्मिलित है, की स्थिति **सारणी 1.34** में दर्शाया गया है।

[8]

(₹ करोड़ में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
प्राप्ति	49,193	53,485	55,236	49,849	44,039
भुगतान (मूलधन एवं ब्याज)	47,405	51,098	46,321	46,797	44,502
उपलब्ध निवल धनराशि	1,788	2,387	8,915	3,051	(-)463
उपलब्ध निवल धनराशि (*प्रतिशत* में)	3.64	4.46	16.14	6.12	(-)1.05

सारणी 1.34: ऋण संवहनीयता सूचक

(₹ करोड़ में)

क्र0सं0	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1.	राजकोषीय देयतायें[9]	1,87,410.70	2,01,720.38	2,24,785.25	2,43,229.14	2,59,620.74
2.	कुल लोक ऋण	1,17,703.32	1,32,523.80	1,46,534.80	1,57,899.49	1,64,810.40
3.	कुल बाजार ऋण	43,510.73	54,932.17	65,006.63	77,840.82	84,103.55
4.	कुल देयताओं में बाजार ऋण का *प्रतिशत*	23.22	27.23	28.92	32.00	32.39
5.	कुल लोक ऋण में बाजार ऋण का *प्रतिशत*	36.97	41.45	44.36	49.30	51.03
6.	बाजार ऋण पर भारित औसत ब्याज दर	8.43	8.20	8.37	8.83	8.93
7.	बाजार ऋण पर भुगतानित ब्याज	2,904.03	3,668.19	5,137.52	5,612.43	6,592.99
8.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद विकास दर एवं ब्याज दर का अनुपात	16 : 8	13 : 8	27 : 8	11 : 9	14 : 9
9.	कुल ब्याज भुगतान एवं राजस्व प्राप्तियों का अनुपात	0.15	0.12	0.13	0.12	0.12
10.	प्राथमिक आधिक्य	(-)9,137.74	(-)6,704.20	(-)3,032.13	(-)49.12	(-)4,712.38
11.	राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (-)[10]	(+)1,861.84	(+)7,047.34	(+)3,508.15	(+)6,984.53	(+)5,546.00
12.	राजकोषीय घाटा[11]	(-)20,512.80	(-)18,692.66	(-)17,247.70	(-)15431.83	(-)21210.32
13.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कुल देयताओं का *प्रतिशत*[12]	46.77	44.55	39.15	38.14	35.65
14.	बकाया प्रत्याभूतियाँ[13]	16,084.00	19,592.26	20,162.03	21,659.16	43,336.66
15.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	4,00,711	4,52,803	5,74,124	6,37,789	7,28,342
16.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद में लोक ऋण का *प्रतिशत*	29.37	29.27	25.52	24.76	22.63

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं उ0 प्र0 बजट)

सारणी के विश्लेषण से निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आए:

- वर्ष 2008–13 की अवधि में राज्य सरकार की ऋण देयताओं में वृद्धि की प्रवृत्ति रही, यद्यपि यह राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत था।

[9] ₹ 17,628.33 करोड़ शामिल है जो वर्ष 2008–09 से 2011–12 तक एवं ₹ 17,485.84 करोड़ वर्ष 2012–13 के लिए उ0 प्र0 एवं उत्तरांचल में विभाजित किया जाना है। बजट के बाहर के उधारों के संबंध में शासन द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई।

[10] उ0 प्र0 राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2004 (संशोधन) के अनुसार राज्य सरकार का राजस्व घाटा शून्य होना चाहिए।

[11] उ0 प्र0 राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2004 (संशोधन) के अनुसार राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात तीन *प्रतिशत* से अधिक नहीं होना चाहिए।

[12] वर्ष 2008–11 के लिए कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गए थे। वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 के लिए लक्ष्य क्रमशः 46.90 एवं 45.10 *प्रतिशत* थे।

[13] कोई उच्चतम दर निर्धारित नहीं किया गया।

- कुल लोक ऋण वर्ष 2008–09 में ₹ 1,17,703.32 करोड़ से बढ़कर (40 *प्रतिशत*) वर्ष 2012–13 में ₹ 1,64,810.40 करोड़ हो गया। यद्यपि विगत वर्षों में कुल देयताओं में वृद्धि हुई पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष कुल देयता का *प्रतिशत* वर्ष 2008–09 में 46.77 *प्रतिशत* से घटकर वर्ष 2012–13 में 35.65 *प्रतिशत* हो गया जोकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की मजबूती को इंगित करती है बाजवूद इसके कि कुल देयताओं में लगातार वृद्धि हुई।

- वर्ष 2012–13 में कुल देयता में बाजार ऋण की प्रतिशतता में वृद्धि की प्रवृत्तियाँ रहीं जो यह दर्शाता है कि राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के लिए राज्य सरकार बाजार ऋण पर भरोसा करती है।

- बाजार ऋणों पर भारित औसत ब्याज दर भी वर्ष 2009–10 में 8.20 *प्रतिशत* से बढ़कर वर्ष 2012–13 में 8.93 *प्रतिशत* हो गया एवं बाजार ऋण पर भुगतानित ब्याज 127 *प्रतिशत* बढ़कर वर्ष 2008–09 में ₹ 2,904.03 करोड़ से वर्ष 2012–13 में ₹ 6,592.99 करोड़ हो गया ।

1.10.3.3 बाजार ऋणों की रूपरेखा

वर्ष 2008–13 की अवधि में राज्य सरकार द्वारा लिये गये बाजार ऋणों की रूपरेखा **सारणी 1.35** में दी गयी हैं।

सारणी 1.35: वर्ष 2008–13 की अवधि में लिये गये बाजार ऋण की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

विवरण	लिए गये ऋण की धनराशि					योग
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	
>7 वर्ष	12,692.11	13,876.93	11,999.80	15,830.00	9,500.00	63,898.84
वर्ष में लिया गया कुल ऋण	12,692.11	13,876.93	11,999.80	15,830.00	9,500.00	63,898.84
31 मार्च 2013 तक कुल बकाया ऋण	43,510.73	54,932.17	65,006.63	77,840.82	84,103.55	-
वर्ष के दौरान लिए गए ऋण का कुल बकाया ऋण के सापेक्ष प्रतिशतता	29.17	25.26	18.46	20.34	11.30	-

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं वित्त विभाग, उ0प्र0 सरकार)

राज्य सरकार की बाजार उधारियों की परिपक्वता अवधि सात वर्ष से अधिक की थी। यह इस बात का सूचक है कि राज्य सरकार मध्यम अवधि/अल्प अवधि उधारियों पर निर्भर नहीं थी। हमने पाया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008–13 की अवधि में प्रत्याभूतियाँ निर्गत करने हेतु अधिसूचना में समय पूर्व भुगतान की शर्त शामिल नहीं की गई। उत्तर में वित्त विभाग द्वारा यह स्वीकार किया गया (जुलाई 2013)।

बाजार ऋणों की प्रवृत्तियाँ

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008–13 की अवधि में लिए गए बाजार ऋणों की वर्षवार प्रवृत्तियाँ **सारणी 1.36** में दी गयी हैं।

सारणीः 1.36: वर्ष 2008–13 में लिए गये बाजार ऋणों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष की अवधि में लिये गये बाजार ऋण	वर्ष की अवधि में पुनर्भुगतानित बाजार ऋण	अंतिम अवशेष	वर्ष की अवधि में प्रारम्भिक अवशेष के सापेक्ष निवल वृद्धि	
					धनराशि	*प्रतिशत*
1	2	3	4	5	6 (5-2)	7
2008-09	33,215.20	12,692.11	2,396.58	43,510.73	10,295.53	30.99
2009-10	43,510.73	13,876.93	2,455.49	54,932.17	11,421.44	26.25
2010-11	54,932.17	11,999.80	1,925.34	65,006.63	10,074.46	18.34
2011-12	65,006.63	15,830.00	2,995.81	77,840.82	12,834.19	19.74
2012-13	77,840.82	9,500.00	3,237.27	84,103.55	6,262.73	8.05
	योग	**63,898.84**	**13,010.49**			

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी 1.36 इंगित करती है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2008–13 की अवधि में बाजार से ₹ 63,898.84 करोड़ ऋण लिए परंतु पुनर्भुगतान ₹ 13,010.49 करोड़ (20 *प्रतिशत*) का किया। **सारणी 1.36** के विश्लेषण से यह भी प्रकाश में आया कि वर्ष 2008–13 की अवधि में पुनर्भुगतान की गति धीमी होने के कारण बाजार ऋण सतत संचित हुए। पुनर्भुगतान की धीमी गति से सतत कर्ज लेने की प्रवृत्ति तथा परिपक्वता दबाव की संभावना आगामी वर्षो में बढ़ सकती है।

1.10.3.4 बाजार ऋणों की भारित औसत परिपक्वता

वर्ष 2008–13 की अवधि में बाजार ऋणों की भारित औसत परिपक्वता की स्थिति **सारणी 1.37** में दी गई हैं

सारणी 1.37 बकाया बाजार ऋणों की भारित औसत परिपक्वता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष की अवधि में निर्गत धनराशि	बकाया बाजार ऋण	वर्ष में भारित औसत परिपक्वता
2008-09	12,692.11	43,510.73	6
2009-10	13,876.93	54,932.17	7
2010-11	11,999.80	65,006.63	6
2011-12	15,830.00	77,840.82	6
2012-13	9,500.00	84,103.55	6

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2008–13 की अवधि में बाजार ऋण की परिपक्वता 10 वर्ष पर स्थिर थी। बाजार ऋणों की भारित औसत परिपक्वता छः से सात वर्षों के मध्य थी जो यह दर्शाता है कि अल्प अवधि (<एक वर्ष)/मध्यम अवधि (एक वर्ष से पांच वर्षो तक) ऋणों पर निर्भरता कम थी। इस प्रकार अल्प अवधि एवं मध्यम अवधि में ऋण, भुगतान के दबाव को कम करता है।

1.10.3.5 बाजार ऋणों के ब्याज दर की रूपरेखा

वर्ष 2008–13 की अवधि में राज्य सरकार द्वारा लिए गए बाजार ऋण के वर्षवार औसत ब्याज दर **सारणी 1.38** के अनुसार थे।

सारणी 1.38: औसत ब्याज दर का विवरण जिसपर बाजार ऋण लिया गया था

(₹ करोड़ में)

ब्याज दर (*प्रतिशत*)	बाजार ऋण एवं औसत ब्याज दर का 2008–13 की अवधि में वर्षवार विवरण					
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	योग
7.00 - 7.99	3,099.33	3,500.00	-	-	-	6,599.33
8.00 - 8.99	7,594.00	10,376.93	12,000.00	11,512.50	8,000.00	49,483.43
9.00 - 9.99	2,000.00	-	-	4,317.50	1,500.00	7,817.50
योग	**12,693.33**	**13,876.93**	**12,000.00**	**15,830.00**	**9,500.00**	**63,900.26**
औसत ब्याज दर	8.43	8.20	8.37	8.83	8.93	-

(स्रोतः वित्त विभाग)

सारणी 1.38 ब्याज के औसत दर में वृद्धि की प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है। यह वर्ष 2009–10 में 8.20 *प्रतिशत* से बढ़कर वर्ष 2012–13 में 8.93 *प्रतिशत* हो गई जो कि विगत वर्षों में ऋण की लागत में वृद्धि का सूचक है।

1.10.3.6 बाजार ऋणों की परिपक्वता प्रवृत्ति

बाजार ऋणों के परिपक्वता वर्ष एवं वर्ष 2014–21 की अवधि में बकाया बाजार ऋण की परिपक्वता निधि में इसका *प्रतिशत* **सारणी 1.39** में दिया गया है।

सारणी 1.39: परिपक्वता निधि एवं बकाया बाजार ऋण का *प्रतिशत*

(₹ करोड़ में)

परिपक्वता वर्ष	परिपक्वता निधि	बकाया बाजार ऋण में *प्रतिशत* (31 मार्च 2013 तक)
2014-15	3,987.80	4.74
2015-16	4,699.04	5.59
2016-17	4,145.61	4.93
2017-18	4,422.00	5.26
2018-19	12,693.33[14]	15.09
2019-20	13,876.93	16.50
2020-21	12,000.00[15]	14.27

(स्रोतः वित्त विभाग)

हमने पाया कि बाजार ऋणों की शोधन देयताएँ वर्ष 2018–21 में चार वर्ष पूर्व की तुलना में लगभग तीन गुणा रहेगी। बाजार ऋण में रोलओवर के लिए अभी तक कोई योजना नहीं थी एवं पुनर्भुगतान नियत तिथियों पर किए जाने थे।

1.10.3.7 राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज भुगतान

वर्ष 2008–13 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों में ब्याज भुगतान की प्रतिशतता **सारणी 1.40** में दी गयी है।

[14] ₹12,692.11 करोड़ + (₹ 1.22 करोड़ धनराशि बट्टे पर) = ₹ 12,693.33 करोड़ (2008-09)

[15] ₹11999.80 करोड़ + (₹ 0.20 करोड़ धनराशि बट्टे पर) = ₹ 12,000.00 करोड़ (2010-11)

सारणी 1.40: राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज भुगतान

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	विवरण	वर्ष				
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	ब्याज भुगतान	11,375.06	11,988.46	14,215.57	15,480.95	16,920.59
2	राजस्व प्राप्ति	77,831.00	96,421.00	1,11,184.00	1,30,869.00	1,45,904.00
3	राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता	14.62	12.43	12.79	11.83	11.60

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी 1.40 यह इंगित करती है कि ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष *प्रतिशत* वर्ष 2008–09 में 14.62 *प्रतिशत* से घटकर वर्ष 2012–13 में 11.60 *प्रतिशत* हो गया ।

1.10.3.8 बाजार ऋणों का अनुचित उपयोग

उ0 प्र0 राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2004 के खण्ड 4 (डी) में वर्णित है कि बाजार ऋण का उपयोग अनिवार्य रूप से स्वपोषित विकास कार्यकलापों एवं पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन एवं संवर्धन में किया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने ऋण के प्रत्येक अंश के उद्देश्य अधिसूचित किये कि ऋणों की प्राप्तियों का उपयोग विकास योजनाओं मुख्यतः ऊर्जा, कृषि, सिंचाई एवं उद्योगों से संबंधित योजनाओं के वित्त पोषण में किया जायेगा।

बाजार ऋण की वर्षवार स्थिति एवं उनके उपयोग **सारणी 1.41** में दिये गये हैं।

सारणी 1.41: आश्रित बाजार ऋण की स्थिति एवं उनके उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बाजार ऋण की धनराशि				
	आश्रित	पुनर्भुगतान हेतु उपयोग		विकासात्मक कार्य–कलापों हेतु उपयोग	
		धनराशि	*प्रतिशत*	धनराशि	*प्रतिशत*
2008-09	12,692.11	2,396.58	18.88	10,295.53	81.12
2009-10	13,876.93	2,455.49	17.69	11,421.44	82.31
2010-11	11,999.80	1,925.34	16.04	10,074.46	83.96
2011-12	15,830.00	2,995.81	18.92	12,834.19	81.08
2012-13	9,500.00	3,237.27	34.08	6,262.73	65.92
योग	**63,898.84**	**13,010.49**		**50,888.35**	

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2008–13 की अवधि में बाजार ऋणों की कुल धनराशि ₹ 63,898.84 करोड़ थी जिसमें से ₹ 13,010.49 करोड़ (20 *प्रतिशत*) ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु उपयोग की गई एवं शेष धनराशि ₹ 50,888.35 करोड़ (80 *प्रतिशत*) पूंजीगत निर्माण हेतु उपयोग की गई। अतः राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों का अनुसरण नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त इन ऋणों से वांछित उद्देश्य की पूर्ति भी नहीं हुई।

वित्त विभाग द्वारा बताया गया (जुलाई 2013) कि शासन अपनी नकद जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले से लिए गये बाजार ऋण जो विशेष वित्तीय वर्ष में परिपक्व हो गया हो, को समाप्त करने के लिए बाजार ऋणों का सहारा ले सकता है। उत्तर उपयुक्त नहीं था क्योंकि शासन द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन, अधिनियम के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया।

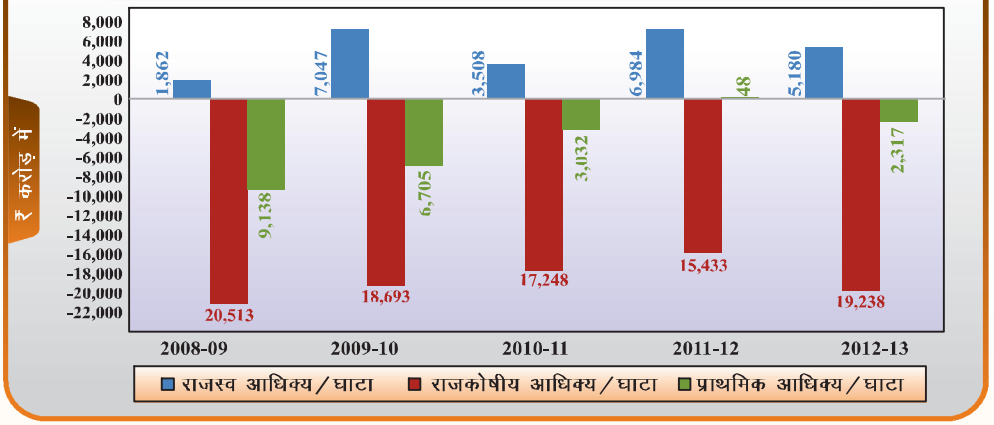
1.11 राजकोषीय असंतुलन

तीन मुख्य प्राचलों–राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटा–से राज्य के वित्त में एक निश्चित अवधि में सकल राजकोषीय असंतुलन की सीमा प्रदर्शित होती है। राज्य सरकार के लेखों में प्राप्तियाँ और व्ययों में अन्तर घाटे को प्रदर्शित करता है। घाटे की प्रकृति राज्य सरकार के विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन का सूचक है। पुनः जिस तरह से घाटे का वित्त–पोषण किया जाता है तथा जिस तरह से सृजित संसाधनों का उपयोग किया जाता है वह राजकोषीय प्रबन्धन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। प्रतिवेदन का यह प्रभाग इन घाटों की प्रवृत्ति, प्रकृति, मात्रा और वित्त–पोषण करने के तरीकों को प्रस्तुत करता है एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2004 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए निश्चित लक्ष्यों के सापेक्ष राजस्व एवं राजकोषीय घाटों की वास्तविक स्थिति का आकलन प्रस्तुत करता है।

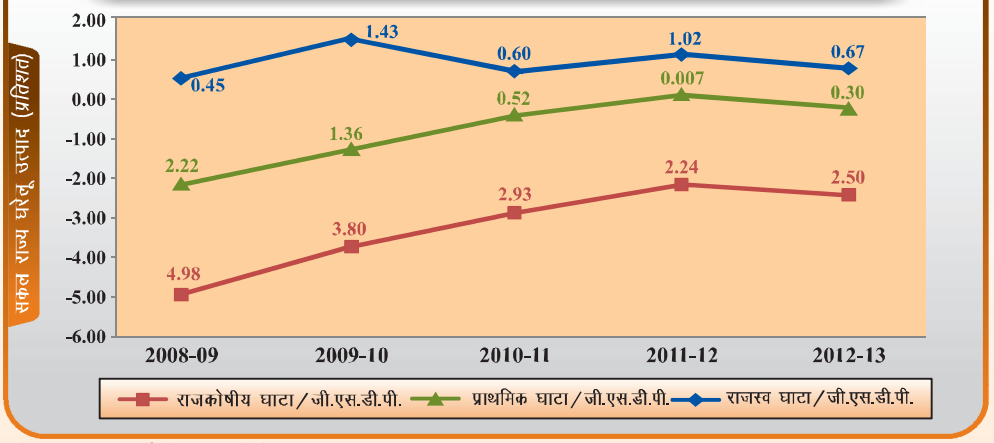
1.11.1 घाटे की प्रवृत्तियां

चार्ट 1.12 और **1.13** में वर्ष 2008–13 की अवधि में घाटे की प्रवृत्तियों को दर्शाया गया है।

चार्ट 1.12: आधिक्य/घाटे के संकेतकों की प्रवृत्ति



चार्ट 1.13: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष घाटे के संकेतकों की प्रवृत्ति



(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2004 के अन्तर्गत राज्य सरकार के लिए निश्चित किए गये राजकोषीय लक्ष्य में राजस्व घाटे को मार्च 2010 तक शून्य किया जाना था। यह अधिनियम वर्ष 2011 में संशोधित किया गया जिसके अनुसार वर्ष 2012–13 के अन्त तक राजस्व घाटा शून्य तथा राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का तीन *प्रतिशत* करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

राज्य सरकार ने राजस्व घाटे को घटाकर शून्य करने का लक्ष्य वर्ष 2006–07 में प्राप्त कर लिया था तथा वर्ष 2012–13 तक सतत राजस्व आधिक्य था। वर्ष 2012–13 के अंत तक राज्य के पास ₹ 5,180 करोड़ का राजस्व आधिक्य है।

राजकोषीय घाटा वर्ष 2010–11 के ₹ 17,248 करोड़ से घटकर वर्ष 2011–12 में ₹ 15,433 करोड़ हो गया, पुनः वर्ष 2012–13 में ₹ 19,238 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः राजस्व आधिक्य तथा निवल ऋणों एवं अग्रिमों के साथ निवल पूँजीगत व्यय में कमी के कारण हुई।

वित्तीय वर्ष 2012–13 की समाप्ति पर राज्य का प्राथमिक घाटा ₹ 2,317 करोड़ था। यह राजकोषीय घाटा एवं ब्याज भुगतान में विगत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2012–13 में क्रमशः ₹ 3,805 करोड़ एवं ₹ 1,440 करोड़ की वृद्धियों के फलस्वरूप था।

1.11.2 राजकोषीय घाटे और इसके वित्तीय प्रवृत्ति के संघटक

राज्य सरकार को अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है। राजकोषीय घाटा, राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) का राजस्व प्राप्तियों एवं गैर–ऋण पूंजी प्राप्तियों पर आधिक्य है। राजकोषीय घाटे के विभिन्न घटकों के विश्लेषण से यह तथ्य प्रकाश में आता है कि राज्य सरकार द्वारा राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय का राजस्व प्राप्तियों एवं गैर–ऋण प्राप्तियों पर आधिक्य को पूरा करने हेतु किस सीमा तक ऋण लिया गया था। राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण की प्रवृत्ति को **सारणी 1.42** में प्रदर्शित किया गया है।

सारणी 1.42: राजकोषीय घाटा एवं इसके वित्तपोषण के घटक

(₹ करोड़ में)

विवरण		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजकोषीय घाटे का विघटन						
राजकोषीय घाटा (1 से 3 तक)		**20,513 (4.98)**	**18,693(3.80)**	**17,248 (2.93)**	**15,433(2.24)**	**19,238(2.50)**
1	राजस्व घाटा/ आधिक्य (–)	(-) 1,862	(-) 7,047	(-) 3,508	(-) 6,984	(-) 5,180
2	निवल पूंजीगत व्यय	22,346	25,091	20,273	21,574	23,834
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	29	649	483	843	584
राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण की प्रवृत्ति*						
1	बाजार उधारी	10,296	11,421	10,074	12,834	6,263
2	भारत सरकार से ऋण	(-) 778	(-) 917	(-)937	(-) 999	(-)1,099
3	एन. एस. एस. एफ. को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	426	3,899	5,415	395	2,429
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	628	418	(-)541	(-) 865	(-) 681
5	लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	2,944	3,870	4,871	3,630	3,342

6	निक्षेप एवं अग्रिम	(-) 2,525	93	1,843	(-) 2,038	1,753
7	उचन्त एव विविध	973	(-) 1,365	757	608	3,540
8	प्रेषण	78	3	367	(-) 209	986
9	अन्य (जैसे आकस्मिकता निधि के अंतर्गत लेन–देन, आरक्षित निधि, नकद अवशेष निवेश)	8,471	1,271	(-)4,601	2,077	2,705
राजकोषीय घाटा		**20,513**	**18,693**	**17,248**	**15,433**	**19,238**

कोष्ठक में दी गयी संख्या सकल राज्य घरेलू उत्पाद से *प्रतिशत* है
*ये सभी आंकड़े वर्ष के अंतर्गत वितरण/व्यय का निवल हैं

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य सरकार का राजकोषीय घाटा वर्ष 2008–13 की अवधि में ₹ 15,433 करोड़ (2011–12) और ₹ 20,513 करोड़ (2008–09) के मध्य था। राजकोषीय घाटा वर्ष 2011–12 में ₹ 15,433 करोड़ से बढ़कर (25 *प्रतिशत*) वर्ष 2012–13 में ₹ 19,238 करोड़ हो गया।

यद्यपि, वित्त पोषण प्रवृत्ति एवं राजकोषीय घाटा में बाजार ऋण की भूमिका कम हुई फिर भी राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रत्याभूतियाँ, वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण, उचन्त एवं विविध का प्रभुत्व था।

1.11.3 घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता

राजस्व घाटे से राजकोषीय घाटे का अनुपात, प्राथमिक घाटे का प्राथमिक राजस्व घाटे में अपघटन एवं पूंजीगत व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों को सम्मिलित करते हुए), राज्य के वित्त में घाटे की गुणवत्ता प्रदर्शित करते हैं। राजस्व घाटे से राजकोषीय घाटे का अनुपात यह प्रदर्शित करता है कि किस सीमा तक उधार की राशियों का उपयोग चालू व्ययों को पूरा करने के लिए किया गया। इसके अतिरिक्त, राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे के अनुपात का लगातार उच्च स्तर पर बने रहना यह इंगित करता है कि राज्य की परिसम्पत्तियों का आधार लगातार कम हो रहा है एवं कुछ सीमा तक ऋण (राजकोषीय देयताओं) राज्य की परिसम्पत्तियों द्वारा समर्थित नहीं है। प्राथमिक घाटे (**सारणी 1.43**) में विभाजन उस सीमा की ओर इंगित करता है जिस सीमा तक पूंजीगत व्यय बढ़ जाने के कारण प्राथमिक घाटा हुआ। पूंजीगत व्यय में वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में सुधार हेतु वांछित हो सकती है।

सारणी 1.43: प्राथमिक घाटा/आधिक्य–घटकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर–ऋण प्राप्तियाँ	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व आधिक्य (+)	प्राथमिक घाटा (–)/ आधिक्य (+)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6 (3+4+5)**	**7 (2-3)**	**8 (2-6)**
2008-09	78,609	64,594	22,346	807	87,747	(+) 14,015	(-) 9,138
2009-10	96,714	77,386	25,091	942	1,03,419	(+) 19,328	(-) 6,705
2010-11	1,11,669	93,460	20,273	968	1,14,701	(+)18,209	(-)3,032
2011-12	1,31,002	1,08,404	21,574	976	1,30,954	(+) 22,598	(+) 48
2012-13	1,46,323	1,23,803	23,834	1,003	1,48,640	(+)22,520	(-)2,317

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

- वर्ष 2008–13 की अवधि में गैर–ऋण प्राप्तियाँ वर्ष 2008–09 में ₹ 78,609 करोड़ के स्तर से बढ़कर (86 *प्रतिशत*) वर्ष 2012–13 में ₹ 1,46,323 करोड़ तक हो गयी।
- राज्य सरकार का प्राथमिक घाटा वर्ष 2012–13 में ₹ 2,317 करोड़ से वर्ष 2008–09 में ₹ 9,138 करोड़ के मध्य रहा क्योंकि गैर–ऋण प्राप्तियाँ प्राथमिक राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय एवं ऋणों एवं अग्रिमों की पूर्ति करने हेतु पर्याप्त नहीं थीं।

1.12 निष्कर्ष

• राज्य का राजकोषीय निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2012–13 के अंत में राज्य सरकार के पास राजस्व आधिक्य था, साथ ही राज्य सरकार ने राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन *प्रतिशत* से कम तथा कुल देयताएँ सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 45.1 *प्रतिशत* से कम बनाये रखा, जैसाकि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन, 2004 और द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2011 में निहित है।

• पुनरीक्षित अनुमान एवं वास्तविक आंकड़े

वर्ष 2012–13 में पुनरीक्षित अनुमान एवं वास्तविक आकड़ों में व्यापक भिन्नता थी। राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 1,45,904 करोड़) एवं राजस्व व्यय (₹ 1,40,724 करोड़) पुनरीक्षित अनुमान (राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 1,56,688 करोड़ एवं राजस्व व्यय ₹ 1,51,142 करोड़) से कम थे। ब्याज भुगतान और ऋण की सेवाएँ (₹ 25,182 करोड़) पुनरीक्षित अनुमान (₹ 24,760 करोड़) से अधिक थी।

• राजस्व प्राप्तियाँ

विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2012–13 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों में 11 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई जो मुख्यतः कर राजस्व (10 *प्रतिशत*) तथा केन्द्रीय करों में राज्य के अंश (14 *प्रतिशत*) में वृद्धियों के फलस्वरूप थी। ₹ 1,45,904 करोड़ की राजस्व प्राप्तियाँ पुनरीक्षित अनुमान (₹ 1,56,688 करोड़) से कम थी। कर राजस्व, जोकि राजस्व प्राप्तियों का मुख्य घटक है, पुनरीक्षित अनुमान द्वारा निर्धारित लक्ष्य से ₹ 2,374 करोड़ कम था।

• भारत सरकार द्वारा राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे हस्तान्तरित की गयी धनराशियों की निगरानी

भारत सरकार द्वारा राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को ₹ 9,632 करोड़ सीधे हस्तांतरित की गयी। मौजूदा तंत्र यद्यपि, राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थानों की पूरी तस्वीर प्रस्तुत नहीं करता है।

• राजस्व व्यय

राजस्व व्यय वर्ष 2012–13 में वर्ष 2011–12 की तुलना में 14 *प्रतिशत* बढ़ गया। विगत वर्ष के सापेक्ष आयोजनागत व्यय में 14 *प्रतिशत* एवं आयोजनेत्तर व्यय में 13 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। आयोजनागत व्यय के अंतर्गत वृद्धि राज्य के अवसंरचना एवं सेवाओं के नेटवर्क में बढ़ोत्तरी को दर्शाता है। विगत पाँच वर्षों की अवधि में (2008–13) कुल व्यय में भी वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई।

- **लोक व्यय की पर्याप्तता**

वर्ष 2009–13 की अवधि में राज्य सरकार द्वारा विकास व्यय को पर्याप्त राजकोषीय प्राथमिकता नहीं दी गयी क्योंकि विकास व्यय का कुल व्यय के साथ अनुपात अन्य सामान्य वर्ग के राज्यों से कम था।

1.13 संस्तुतियाँ

- राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षित अनुमानों एवं वास्तविक व्ययों में व्यापक भिन्नता को कम करने के लिए राजकोषीय प्रबन्धन से सम्बन्धित पर्याप्त उपाय शुरू करना तथा उसका अनवरत अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
- राज्य सरकार के संसाधनों का पूरा विवरण उपलब्ध कराने के लिए एक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।
- राज्य सरकार द्वारा राजकोषीय सुदृढ़ीकरण, जो कि अनुत्पादक व्यय से बचने पर आधारित हो, किया जाना चाहिये और साथ ही टिकाऊ एवं लाभप्रद सेवाओं की सुपुर्दगी भी सुनिश्चित करनी चाहिये।
- राज्य सरकार द्वारा विकास व्यय को बेहतर सामाजिक एवं भौतिक अवसंरचना के लिए राजकोषीय प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

अध्याय II

वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय नियंत्रण

अध्याय II

वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोग लेखे सरकार द्वारा प्रतिवर्ष किये गये दत्तमत एवं भारित व्ययों का लेखा–जोखा हैं, जिनकी तुलना विनियोग अधिनियम, 2012 के साथ संलग्न की गयी सूचियों में विभिन्न प्रयोजनों हेतु निर्धारित अनुदानों एवं विनियोगों से की जाती है। इन लेखों में विनियोग लेखे द्वारा प्राधिकृत बजट के भारित एवं दत्तमत मदों की धनराशियों के सापेक्ष मूल बजट अनुमानों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पण एवं पुनर्विनियोगों की धनराशियों का विवरण दिया जाता है। इस प्रकार, विनियोग लेखे एक नियन्त्रण अभिलेख हैं जो कि वित्त प्रबंधन एवं बजट के प्रावधानों के अनुश्रवण को सुसाध्य बनाते हैं। इसलिए यह वित्त लेखे के पूरक भी हैं।

2.1.2 भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित किया जाता है कि विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत व्यय की गई धनराशियाँ विनियोग अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत थीं एवं संविधान के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत भारित थीं। लेखापरीक्षा में यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि विधि सम्बन्धित नियमों, विनियमों एवं निर्देशों का पालन करते हुए धनराशियाँ व्यय की गयी हैं।

2.2 विनियोग लेखों का संक्षिप्त विवरण

वर्ष 2012–13 की अवधि में 92 अनुदानों/विनियोगों के सापेक्ष किये गये वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति **सारणी 2.1** में दी गयी है।

सारणी 2.1: वास्तविक/अनुपूरक प्रावधानों के सापेक्ष किये गये वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

व्यय का स्वरूप		मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	योग अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत
दत्तमत	I राजस्व	1,26,586.19	3,546.99	1,30,133.18	1,16,011.02	14,122.16
	II पूंजीगत	36,932.43	2,197.51	39,129.94	35,536.27	3,593.67
	III ऋण तथा अग्रिम	1,324.78	17.96	1,342.74	1,003.24	339.50
योग दत्तमत		**1,64,843.40**	**5,762.46**	**1,70,605.86**	**1,52,550.53**	**18,055.33**
भारित	IV राजस्व	27,045.16	11.80	27,056.96	25,409.54	1,647.42
	V पूंजीगत	166.10	87.03	253.13	189.11	64.02
	VI लोक ऋण–पुनर्भुगतान	18,843.96	0	18,843.96	8,909.03	9,934.93
योग भारित		**46,055.22**	**98.83**	**46,154.05**	**34,507.68**	**11,646.37**
कुल योग		**2,10,898.62**	**5,861.29**	**2,16,759.91**	**1,87,058.21**	**29,701.70**

नोटः वास्तविक व्यय के आंकड़े जिसमें दत्तमत राजस्व व्यय (₹ 696.92 करोड़), दत्तमत पूंजीगत व्यय (₹ 11,891.09 करोड़) के अन्तर्गत वसूलियों को व्यय में से घटाकर समायोजित करते हुए सम्मिलित किया गया है।

(स्रोतः विनियोग एवं वित्त लेखे 2012–13)

राजस्व मद के अन्तर्गत अनुदानों एवं विनियोगों के 121 प्रकरणों तथा ऋण सहित (लोक ऋण पुनर्भुगतान) पूंजीगत मद के अर्न्तगत 70 प्रकरणों में ₹ 32,706.99 करोड़

(परिशिष्ट 2.1) की बचत के परिणामस्वरूप ₹ 29,701.70 करोड़ की कुल बचत थी जो राजस्व मद के अन्तर्गत अनुदानों एवं विनियोगों के नौ प्रकरणों तथा पूंजीगत मद के चार प्रकरणों में ₹ 3,005.29 करोड़ के आधिक्य द्वारा प्रतिसन्तुलित हुई।

2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन

2.3.1 आवंटनीय प्राथमिकताओं के सापेक्ष विनियोग

विनियोग लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 131 प्रकरणों में प्रत्येक में बचत ₹ 10 करोड़ या कुल प्रावधानों के 20 *प्रतिशत* से अधिक थी ***(परिशिष्ट 2.2)***। ₹ 32,706.99 करोड़ की कुल बचत के सापेक्ष 27 अनुदानों एवं विनियोगों से सम्बंधित 39 प्रकरणों (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक) में ₹ 30,511.92 करोड़ (93 *प्रतिशत*) की बचत पायी गयी, जिनका विवरण **सारणी 2.2** में दिया गया है।

सारणी 2.2: ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक की बचत वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	प्रावधान			वास्तविक व्यय	बचत
			मूल अनुदान	अनुपूरक	कुल अनुदान		
राजस्व –दत्तमत							
1.	11	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	2,688.55	1.50	2,690.05	2,045.13	644.92
2.	13	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	1,420.93	7.30	1,428.23	1,324.44	103.79
3.	14	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	3,873.87	0.02	3,873.89	2,966.36	907.53
4.	26	गृह विभाग (पुलिस)	9,663.33	28.07	9,691.40	8,898.00	793.40
5.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	3,207.14	5.05	3,212.19	2,808.40	403.79
6.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	2,476.89	80.00	2,556.89	2,335.64	221.25
7.	37	नगर विकास विभाग	1,126.51	24.00	1,150.51	912.00	238.51
8.	42	न्याय विभाग	1,146.36	16.43	1,162.79	984.27	178.52
9.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	1,378.02	271.00	1,649.02	1,544.76	104.26
10.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	4,307.44	69.00	4,376.44	4,003.46	372.98
11.	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	650.14	शून्य	650.14	494.67	155.47
12.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद एवं अन्य व्यय)	2,140.51	शून्य	2,140.51	1,787.49	353.02
13.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	1,507.60	शून्य	1,507.60	826.15	681.45

14.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	13,380.48	828.08	14,208.56	13,530.80	677.76
15.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	23,680.47	400.00	24,080.47	22,214.66	1,865.81
16.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	8,228.70	302.62	8,531.32	7,254.54	1,276.78
17.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2,287.48	0.40	2,287.88	1,471.79	816.09
18.	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	1,023.45	0.50	1,023.95	208.80	815.15
19.	77	श्रम विभाग (रोजगार)	771.37	शून्य	771.37	568.90	202.47
20.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	6,626.97	547.40	7,174.37	5,412.27	1,762.10
21.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	2,181.43	शून्य	2,181.43	1,982.64	198.79
22.	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	2,514.47	200.05	2,714.52	2,231.12	483.40
		योग	**96,282.11**	**2,781.42**	**99,063.53**	**85,806.29**	**13,257.24**
		राजस्व - भारित					
23.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवाएँ एवं अन्य व्यय)	26,501.79	शून्य	26,501.79	24,856.66	1,645.13
		योग	**26,501.79**	**शून्य**	**26,501.79**	**24,856.66**	**1,645.13**
		पूंजीगत - दत्तमत					
24.	11	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	716.02	1.00	717.02	539.29	177.73
25.	13	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	2,198.78	386.93	2,585.71	2,382.49	203.22
26.	14	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	622.41	3.38	625.79	302.51	323.28
27.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	8,796.21	847.92	9,644.13	8,604.63	1,039.49
28.	26	गृह विभाग (पुलिस)	714.12	शून्य	714.12	350.87	363.25
29.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	583.69	शून्य	583.69	353.01	230.68
30.	37	नगर विकास विभाग	3,388.11	शून्य	3,388.11	2,650.12	737.99
31.	40	नियोजन विभाग	1,549.50	410.00	1,959.50	1,499.80	459.70
32.	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	238.24	28.72	266.96	134.65	132.31
33.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	696.07	शून्य	696.07	531.34	164.73

34.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवाएँ एवं अन्य व्यय)	331.40	शून्य	331.40	108.76	222.64
35.	70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	102.00	शून्य	102.00	शून्य	102.00
36.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	214.19	1.75	215.94	92.18	123.76
37.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	3,477.77	0.13	3,477.90	2,889.06	588.84
38.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	3,018.62	15.00	3,033.62	2,227.86	805.77
योग			**26,647.13**	**1,694.83**	**28,341.96**	**22,666.57**	**5,675.39**
पूंजीगत –भारित							
39.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवाएं एवं अन्य व्यय)	18,044.06	शून्य	18,044.06	8,109.90	9,934.16
योग			**18,044.06**	**शून्य**	**18,044.06**	**8,109.90**	**9,934.16**
महायोग			**1,67,475.09**	**4,476.25**	**1,71,951.34**	**1,41,439.42**	**30,511.92**

(स्रोत : विनियोग लेखे 2012–13)

सारणी 2.2 यह दर्शाता है कि ₹ 500 करोड़ से अधिक की बचतें राजस्व दत्तमत के अंतर्गत (10 अनुदानों) अनुदान संख्या 11–कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (कृषि), 14–कृषि एवं अन्य संबद्ध विभाग (पंचायती राज), 26–गृह विभाग (पुलिस), 54–लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), 62–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन), 71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा), 72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा), 73–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा), 76–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) एवं 83–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) में हुई जो सम्पूर्ण अनुदान की धनराशि के पाँच *प्रतिशत* से 80 *प्रतिशत* के मध्य थी।

₹ 500 करोड़ से अधिक की बचतें पूंजीगत दत्तमत के अंतर्गत (चार अनुदानों) अनुदान संख्या 21–खाद्य एवं रसद विभाग, 37–नगर विकास विभाग, 83–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) एवं 94–सिंचाई विभाग (निर्माण) में भी रही जो कि सम्पूर्ण अनुदान की धनराशि के 11 *प्रतिशत* से 27 *प्रतिशत* के मध्य थी।

₹ 500 करोड़ से अधिक की बचतें राजस्व भारित के साथ–साथ पूंजीगत भारित के अन्तर्गत भी अनुदान संख्या–61 वित्त विभाग (ऋण सेवायें एवं अन्य व्यय) में रही जो कि सम्पूर्ण अनुदान/विनियोग के कुल धनराशि के छः *प्रतिशत* से 55 *प्रतिशत* के मध्य थी।

पिछले वर्ष में हुई बचत से तुलना करने पर पाया गया कि बचत (₹ 500 करोड़ से अधिक) 13 अनुदानों[1] में से सात अनुदानों में हुई जैसा कि **सारणी 2.3** में विवरण दिया गया है।

[1] अनुदान सं0–11 (कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग–कृषि), 14 (कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग–पंचायती राज), 21 (खाद्य एवं रसद विभाग), 26 (गृह विभाग–पुलिस), 37 (नगर विकास विभाग), 54 (लोक निर्माण विभाग–अधिष्ठान), 61 (वित्त विभाग–ऋण सेवायें एवं अन्य व्यय), 62 (वित्त विभाग–अधिवर्ष, भत्ते एवं पेंशन), 71 (शिक्षा विभाग–प्राथमिक शिक्षा), 72 (शिक्षा विभाग–माध्यमिक शिक्षा), 73 (शिक्षा विभाग–उच्च शिक्षा), 76 (श्रम विभाग–श्रम कल्याण) एवं 83 (समाज कल्याण विभाग–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)।

सारणी 2.3: बचत दर्शाने वाले अनुदान

क्र0 सं0	अनुदान की संख्या एवं नाम	वर्ष के दौरान हुई बचत	
		2011–12	2012–13
1.	11 (कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग–कृषि)–राजस्व दत्तमत	766.36	644.92
2.	21 (खाद्य एवं रसद विभाग)–पूंजीगत दत्तमत	1,811.79	1,039.49
3.	61 (वित्त विभाग–ऋण सेवायें एवं अन्य व्यय)–पूंजीगत भारित	9,999.25	9,934.16
4.	71 (शिक्षा विभाग–प्राथमिक शिक्षा)–राजस्व दत्तमत	888.00	1,865.81
5.	72 (शिक्षा विभाग–माध्यमिक शिक्षा)– राजस्व दत्तमत	582.87	1,276.78
6.	73 (शिक्षा विभाग–उच्च शिक्षा)– राजस्व दत्तमत	745.76	816.09
7.	83 (समाज कल्याण विभाग–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)–राजस्व दत्तमत	792.46	1,762.10

(स्रोतः विनियोग लेखे 2011–12 एवं 2012–13)

2.3.2 अनवरत बचत

पन्द्रह अनुदानों के अंतर्गत 19 प्रकरणों में विगत पाँच वर्षों से अनवरत बचत हो रही है। इसका विवरण **सारणी 2.4** में दिया गया है। वर्ष 2012–13 में यह बचत ₹ 164.73 करोड़ से ₹ 9,934.16 करोड़ के मध्य थी।

सारणी 2.4: अनवरत बचत वाले अनुदानों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या एवं नाम	बचत की धनराशि				
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजस्व–दत्तमत						
1.	11–कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	460.99	720.33	217.67	766.36	644.92
2.	14–कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	379.24	334.35	226.92	211.62	907.53
3.	26–गृह विभाग (पुलिस)	64.74	101.09	149.67	54.74	793.40
4.	32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	369.50	414.68	203.62	145.70	403.79
5.	37–नगर विकास विभाग	300.97	54.47	711.79	625.51	238.51
6.	42–न्याय विभाग	157.09	191.88	230.59	172.36	178.52
7.	49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग	138.16	218.28	180.62	636.10	372.97
8.	52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद एवं अन्य व्यय)	64.99	64.65	104.39	69.90	353.02
9.	54–लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	496.58	442.11	396.56	238.54	681.45
10.	72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	202.21	258.35	785.84	582.87	1,276.77
11.	73–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	164.51	93.50	571.89	745.76	816.09
12.	83–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	470.38	291.56	110.33	792.46	1,762.10
13.	95–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	78.65	16.76	14.71	18.03	483.40
	योग–	**3,348.01**	**3,202.01**	**3,904.60**	**5,059.95**	**8,912.47**
पूंजीगत–दत्तमत						
14.	26–गृह विभाग (पुलिस)	69.62	145.34	356.13	488.36	363.24
15.	37–नगर विकास विभाग	11.20	374.16	687.12	261.76	737.99
16.	48–अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	167.86	134.62	165.56	373.36	164.73
17.	61–वित्त विभाग (ऋण सेवाएँ एवं अन्य व्यय)	21.69	274.13	153.04	401.78	222.64

18.	83–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	399.73	724.30	103.62	415.46	588.84
	योग	**670.10**	**1,652.55**	**1,465.47**	**1,940.72**	**2,077.44**
	पूंजीगत–भारित					
19.	61– वित्त विभाग (ऋण सेवाएँ एवं अन्य व्यय)	10,001.56	9,219.96	9,288.06	9,999.25	9,934.16
	योग	**10,001.56**	**9,219.96**	**9,288.06**	**9,999.25**	**9,934.16**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

वर्ष भर अनुदानों की पर्याप्त संख्या में अनवरत बचत, धन की आवश्यकता एवं प्रवाह की बिना उचित जाँच, राज्य सरकार द्वारा लगातार निधि की आवश्यकताओं का अनुचित आकलन दर्शाता है।

2.3.3 व्ययाधिक्य

छः अनुदानों के आठ प्रकरणों में ₹ 10,146.51 करोड़ के व्यय की धनराशि अनुमोदित प्रावधानों से ₹ 3,002.68 करोड़ अधिक थी, जिसमें प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ अथवा अधिक या कुल प्रावधान के 20 *प्रतिशत* से अधिक का व्यय था। इसका विवरण ***परिशिष्ट 2.3*** में दिया गया है।

सारणी 2.5 के विवरणानुसार निम्नलिखित अनुदानों मे लगातार पाँच वर्षों में 2012-13 के अंत तक व्ययाधिक्य पाया गया।

सारणी 2.5: अनवरत अधिक व्यय से सम्बन्धित अनुदानों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या एवं नाम	व्ययाधिक्य की धनराशि				
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
	राजस्व–दत्तमत					
1	58- लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	58.62	132.39	121.37	106.77	166.12
	पूंजीगत–दत्तमत					
2	55- लोक निर्माण विभाग (भवन)	769.50	362.12	144.20	54.55	71.97
3	58- लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	1,697.88	1,140.84	1,152.14	1,068.66	2,152.37

(स्रोतः संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

लोक निर्माण विभाग अनुदान संख्या 58 के राजस्व प्रभाग एवं अनुदान संख्या 55 व 58 के पूंजीगत प्रभाग में वर्ष 2008–13 की अवधि में अनवरत व्यय का आधिक्य बजट निर्माण के समय मांगों का कम आकलन प्रदर्शित करता है।

2.3.4 विगत वर्षों के अनुदानों/विनियोगों से अधिक हुए व्ययों का विनियमितीकरण

भारत के संविधान की धारा 205 के अन्तर्गत राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह दिये गये अनुदानों/विनियोगों से अधिक व्यय को राज्य विधान मंडल से नियमित कराये। ऐसा पाया गया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2004–05 तक अधिक हुए व्यय का विनियमितीकरण कर लिया है। फिर भी वर्ष 2005–12 की अवधि के व्ययाधिक्य ₹ 15,363.76 करोड़ का विनियमितीकरण किया जाना शेष था। 78 अनुदानों एवं 29 विनियोगों के अधीन हुए वर्षवार व्ययाधिक्य, जो विनियमितीकरण हेतु लम्बित थे, का विवरण **सारणी 2.6** में दिया गया है।

सारणी 2.6: *विगत वर्षों के अनुदानों/विनियोगों से अधिक हुए व्ययों का विनियमितीकरण*

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों/विनियोगों की संख्या	अनुदानों/विनियोगों का विवरण	आधिक्य राशि
2005-06	25–अनुदान 4–विनियोग	राजस्व दत्तमत– 8,12,19,53,55,57,58,72; पूंजीगत दत्तमत–15,16,18,23,24,33, 34,37,38,40,55,56, 57,58,73,75,96; राजस्व भारित–1,52; पूंजीगत भारित–52,55	1,026.78
2006-07	18–अनुदान 6–विनियोग	राजस्व दत्तमत–9,13,55,58,61,62,73,91,95; पूंजीगत दत्तमत–3,16,31,37,55,57,58,89,96; राजस्व भारित –2,3,10,52,62,89	2,484.47
2007-08	12–अनुदान 2–विनियोग	राजस्व दत्तमत–51,55,57,58,62; पूंजीगत दत्तमत–13,16,55,58,63,83,96; राजस्व भारित–51,66	3,610.65
2008-09	5–अनुदान 1– विनियोग	राजस्व दत्तमत–62,96; पूंजीगत दत्तमत–55,58,96; राजस्व भारित–52	3,399.42
2009-10	6–अनुदान 6– विनियोग	राजस्व दत्तमत–58; पूंजीगत दत्तमत–1,16,55,58, 59; राजस्व भारित –3,10,16,48,52,66	1,250.16
2010-11	6–अनुदान 4– विनियोग	राजस्व दत्तमत–30,51,91; पूंजीगत दत्तमत–10, 55, 58; राजस्व भारित – 10,23,61,82	1,702.62
2011-12	6–अनुदान 6– विनियोग	राजस्व दत्तमत–-21,62,91; पूँजीगत दत्तमत–1,55, 58; राजस्व भारित – 13,18,23,61,62,82	1,889.66
		योग	**15,363.76**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

2.3.5 वर्ष 2012–13 में अनुदानों/विनियोगों से अधिक हुए व्यय का विनियमितीकरण

वर्ष 2012–13 में अनुदानों/विनियोगों के सात प्रकरणों में राज्य की समेकित निधि से प्राधिकृत धनराशि से अधिक किया गया कुल व्ययाधिक्य ₹ 2,380.23 करोड़ का सार **सारणी 2.7** में दिया गया है।

सारणी 2.7: वर्ष 2012–13 के दौरान प्रावधान से अधिक व्यय का विनियमितीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	कुल अनुदान/विनियोग	व्यय	व्ययाधिक्य	वर्ष के दौरान निधि का समायोजन	अपेक्षित व्ययाधिक्य का विनियमितीकरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	राजस्व – दत्तमत					
1	51–राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के संबंध में राहत)	638.93	1,107.85	468.92	2.30	466.62
2	57–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सेतु)	16.00	20.02	4.02	1.82	2.20
	योग	**654.93**	**1,127.87**	**472.94**	**4.12**	**468.82**
	पूंजीगत – दत्तमत					
3	55–लोक निर्माण विभाग(भवन)	40.92	112.89	71.97	3.44	68.53
4	58–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	3,444.10	5,596.47	2,152.37	338.19	1,814.18
	योग	**3,485.02**	**5,709.36**	**2,224.34**	**341.63**	**1,882.71**

राजस्व भारित						
5	55–लोक निर्माण विभाग (भवन)	2.65	2.75	0.10	0.01	0.09
6	62–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	16.51	54.77	38.26	9.67	28.59
7	89–संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्यिक कर)	65.45	65.47	0.02	शून्य	0.02
योग		**84.61**	**122.99**	**38.38**	**9.68**	**28.70**
महायोग		**4,224.56**	**6,960.22**	**2,735.66**	**355.43**	**2,380.23**

(स्रोतः विनियोग लेखे 2012–13)

सारणी से यह स्पष्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन ₹ 2,380.23 करोड़ का विनियमितीकरण होना अपेक्षित था।

2.3.6 अनावश्यक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

वर्ष 2012–13 में 30 प्रकरणों में ₹ 3,135.64 करोड़ का अनुपूरक अनुदान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) प्राप्त किया गया जो कि अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि मूल प्रावधान की ही धनराशि व्यय नहीं की जा सकी थी जिसका विवरण ***परिशिष्ट 2.4*** में दिया गया है। यद्यपि, अनुदान संख्या–58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें) में ₹ 310 करोड़ का अनुपूरक अनुदान, अपर्याप्त सिद्ध हुआ जिसके कारण ₹ 2,152.37 करोड़ का अधिक व्यय अनाच्छादित रहा ***(परिशिष्ट 2.5)***। अनावश्यक एवं अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान दर्शाता है कि अनुपूरक बजट में बनाया गया प्रावधान वास्तविक आवश्यकताओं के आकलन पर आधारित नहीं था।

2.3.7 अधिक/अनावश्यक निधियों का पुनर्विनियोग

किसी अनुदान के अन्तर्गत विनियोग की एक इकाई जहाँ पर बचत पूर्वानुमानित हो, से दूसरी इकाई जहाँ अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हो, में हस्तान्तरण की प्रक्रिया पुनर्विनियोग है[2]।

अनौचित्यपूर्ण पुनर्विनियोग या तो अधिक या अपर्याप्त सिद्ध हुआ। परिणामस्वरूप, 46 अनुदानों के 141 उप–शीर्षो में ₹ 1,897.62 करोड़ की बचत तथा 24 अनुदानों के 45 उपशीर्षो में ₹ 491.61 करोड़ का व्ययाधिक्य हुआ, जिसका विवरण ***परिशिष्ट 2.6*** में दिया गया है।

2.3.8 अत्यधिक धनराशियों का अभ्यर्पण

विभिन्न कारणों से 190 उपशीर्षों से संबंधित अत्यधिक धनराशियों ₹ 3,358.92 करोड़ का अभ्यर्पण (कुल प्रावधान का 50 *प्रतिशत* या अधिक) करना पड़ा। वर्ष 2012–13 के 190 योजनाओं/कार्यक्रमों में कुल प्रावधानित ₹ 4,062.83 करोड़ में से ₹ 3,358.92 करोड़ (83 *प्रतिशत*) की धनराशि अभ्यर्पित की गई, इनमें 76 योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु प्रावधानित ₹ 1,168.23 करोड़ का शत–प्रतिशत अभ्यर्पण सम्मिलित है। इस प्रकार के प्रकरणों का विस्तृत विवरण अनुदानों, लेखाशीर्ष, अभ्यर्पित धनराशि, अभ्यर्पण के कारणों के साथ ***परिशिष्ट 2.7*** में दिया गया है। अत्यधिक धनराशियों का अभ्यर्पण यह दर्शाता है कि बजट हेतु समुचित तैयारियाँ नहीं की गयी थी।

2.3.9 वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण

वर्ष 2012–13 में 12 अनुदानों (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख या अधिक) में ₹ 3,333.93 करोड़ की बचत के सापेक्ष ₹ 3,876.76 करोड़ धनराशि का अभ्यर्पण किया

[2]बजट मैनुअल भाग–II

गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 542.83 करोड़ का अत्यधिक अभ्यर्पण हुआ जिसका विवरण **परिशिष्ट 2.8** में दिया गया है। वास्तविक बचत से अधिक का अभ्यर्पण यह दर्शाता है कि विभाग मासिक व्यय विवरण के माध्यम से व्यय के प्रवाह की निगरानी पर पर्याप्त बजटीय नियन्त्रण रखने में असफल रहा।

2.3.10 अभ्यर्पित न की गई पूर्वानुमानित बचतें

बजट मैनुअल के प्रस्तर 139 के अनुसार, व्यय करने वाले विभागों को ऐसे अनुदान/विनियोग या उनके अंश को, जैसे ही बचत प्रत्याशित हो, वित्त विभाग को अभ्यर्पित कर देना चाहिए। फिर भी, वर्ष 2012–13 के अन्त में 35 अनुदानों/विनियोगों के प्रकरणों में बचत होने के बाद भी उसका कोई भाग सम्बन्धित विभागों द्वारा अभ्यर्पित नहीं किया गया। इन प्रकरणों में ₹ 20,272.07 करोड़ की धनराशि निहित थी (***परिशिष्ट 2.9***)।

इसी प्रकार, 65 प्रकरणों (₹ एक करोड़ एवं अधिक की बचत वाले) में कुल बचत की धनराशि ₹ 26,115.54 करोड़ में से ₹ 22,057.21 करोड़ (84 *प्रतिशत*) अभ्यर्पित नहीं की गयी, जो कुल बचत ₹ 32,706.99 करोड़ का 67 *प्रतिशत* थी, जिसका विवरण ***परिशिष्ट 2.10*** में दिया गया है। यह इस तथ्य का द्योतक है कि वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त था जिसके परिणामस्वरूप निधियाँ अवरूद्ध रहीं तथा इनका उपयोग अन्य विकास कार्यों हेतु नहीं किया जा सका।

2.3.11 राजस्व एवं पूंजीगत लेखे के मध्य व्यय का अपवर्गीकरण

सरकारी लेखे नियमों के अनुसार सहायता अनुदान पर व्यय को पूंजीगत व्यय नहीं समझा जा सकता न ही पूंजीगत लेखे के नामे किया जाना चाहिए।

वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पूंजीगत शीर्षों से ₹ 4,887.43 करोड़ 'सम्पत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान' प्रदान किया गया। इस कारण इतनी ही धनराशि का राजस्व आधिक्य परिलक्षित हुआ। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने ₹ सात करोड़ की धनराशि वृहद कार्यों हेतु राजस्व अनुभाग के अधीन उपलब्ध एवं पुस्तांकित करायी, जिससे इतनी ही धनराशि से राजस्व आधिक्य में कमी परिलक्षित हुई।

2.3.12 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

राज्य सरकार द्वारा ₹ 600 करोड़ की कॉर्पस धनराशि के साथ अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1962 के अधीन आकस्मिकता निधि की व्यवस्था की जाती है जो कि राज्य विधान मण्डल द्वारा ऐसे व्यय के प्राधिकृत किये जाने हेतु लम्बित होते हैं। समेकित निधि में सम्बन्धित कार्यदायी मुख्य शीर्ष में व्यय के नामे जमा (डेबिट) करके निधि की प्रतिपूर्ति की जाती है।

आकस्मिकता निधि से सम्बन्धित लेन–देन वित्त लेखे के **विवरण संख्या–18** में मुख्य शीर्ष 8000 – आकस्मिकता निधि के अधीन दर्शाये जाते हैं। वर्ष 2012–13 में यह संज्ञान में आया कि आकस्मिकता निधि से ₹ 262.45 करोड़ आहरित किया गया, जिसकी प्रतिपूर्ति उसी वर्ष नहीं की जा सकी एवं मार्च 2013 तक इस धनराशि की प्रतिपूर्ति नहीं हो सकी।

2.3.13 बजटीय प्रावधान को व्यपगत होने से बचाने के लिए निधियों का आहरण

तेरहवें वित्त आयोग ने संस्तुति दी कि लोक लेखा को राज्य के समेकित निधि के विकल्प के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए और समेकित निधि से लोक लेखा में हस्तांतरण से बचते हुए सरकारी व्यय सीधे समेकित निधि से होने चाहिए। इसके अतिरिक्त, वित्तीय हस्त पुस्तिका के खण्ड V, भाग–1 का नियम 162 कोषागार से धनराशि के आहरण का निषेध करता है जब तक कि इसके त्वरित वितरण के लिए आवश्यकता न हो। यद्यपि, नमूना जांच में पाया गया कि ₹ 633.11 करोड़ की धनराशि राजकोष से प्रावधान को व्यपगत होने से बचाने के लिए आहरित की गई जिसका विवरण **सारणी 2.8** में दिया गया है।

सारणी 2.8: ***बजटीय प्रावधान को व्यपगत होने से बचाने के लिए निधियों का आहरण***

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या, विभाग का नाम तथा मुख्य शीर्ष	बजट प्रावधान	वित्तीय प्रभावों पर लेखा परीक्षा निष्कर्ष
1	अनुदान सं0 22 खेल विभाग मुख्य लेखा शीर्ष 4202	36.56	₹ 15.17 करोड़ की धनराशि इटावा के सैफई में स्टेडियम के निर्माण के लिए स्वीकृत की गई (30 मार्च एवं 31 मार्च) एवं उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (यू.पी.आर.एन.एन.) के जमा खाते में स्थानांतरित (31 मार्च 2013) की गई।
2	अनुदान सं0 26 गृह विभाग (पुलिस) मुख्य लेखा शीर्ष 4055	701.96	वर्ष 2012–13 में वृहद कार्यों के निर्माण के लिए कार्यदायी संस्थाओं को ₹ 41.64 करोड़ की धनराशि स्थानांतरित की गई (31 मार्च 2013)।
3	अनुदान सं0 31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) मुख्य लेखा शीर्ष 4210	73.09	सहारनपुर में एलोपैथी मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए ₹ 23.09 करोड़ स्वीकृत किया गया (31 मार्च 2013) एवं यू.पी.आर.एन.एन. के जमा खाते में हस्तांतरित किया गया (31 मार्च 2013)।
4	अनुदान सं0 37 नगर विकास मुख्य लेखा शीर्ष 2217 एवं मुख्य लेखा शीर्ष 4217	2,359.25	तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अधीन स्थानीय निकायों को 31 मार्च 2013 को निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा ₹ 230.88 करोड़ सहायता अनुदान राशि कोषागार से आहरित की गई थी एवं स्थानीय निकायों को यह हस्तांतरित होने के पहले बैंक खाते में निक्षेपित की गई। इसी प्रकार, शहरी अवस्थापना अनुदान से सम्बन्धित ₹ 209.99 करोड़ 29 मार्च एवं 31 मार्च 2013 को निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा कोषागार से आहरित की गई एवं स्थानीय निकायों को वर्ष 2012–13 के बाद स्थानांतरित की गई। इसके अलावा 31 मार्च 2013 को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से सम्बन्धित ₹ 3.07 करोड़ कोषागार से आहरित किये गये एवं बैंक खाते में रखने के बाद नगर निगम, बलिया को स्थानांतरित किया गया (जुलाई 2013)।
5	अनुदान सं0 48 अल्पसंख्यक कल्याण मुख्य लेखा शीर्ष 4235	304.62	अल्पसंख्यक जिलों में बहुक्षेत्रीय विकास से सम्बन्धित ₹ 84.27 करोड़ 31 मार्च–2013 को निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा कोषागार से आहरित किया गया एवं वर्ष 2012–13 की समाप्ति के पश्चात कार्यदायी संस्थाओं को भुगतान किया गया।
6	अनुदान सं0 49 महिला एवं बाल कल्याण मुख्य लेखा शीर्ष 4235	25.00	आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण से सम्बन्धित ₹ 25 करोड़ 30 मार्च 2013 को स्वीकृत किया गया एवं 31 मार्च 2013 को कोषागार से आहरित किया गया तथा उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम के व्यक्तिगत लेजर खाते में निक्षेपित किया गया।

(स्रोतः सम्बन्धित विभाग)

सारणी 2.8 से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2012–13 में कोषागार से निधियों को आहरित किया गया जो कि तेरहवें वित्त आयोग द्वारा हुई अनुसंशाओं की अवमानना थी एवं

विभागों द्वारा वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड V भाग 1 के नियम के बजटीय नियम का उल्लंघन बजट प्रावधान को व्यपगत होने से बचाने के लिये किया गया।

2.3.14 व्यय की अधिकता

बजट मैनुअल के प्रस्तर 211(ई) के अनुसार, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के माह में अधिक व्यय से बचना चाहिये।

वर्ष 2012–13 में कुल राजस्व व्यय का 24 *प्रतिशत* एवं कुल पूंजीगत व्यय का 33.52 *प्रतिशत* अकेले मार्च माह में ही व्यय किया गया। ऐसे व्यय विभागों के वर्ष के सम्पूर्ण बजट का महत्वपूर्ण भाग दर्शाते हैं। विवरण **परिशिष्ट 2.11** में दिया गया है।

2.4 चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम

विधान सभा में समस्त अनुदानों की माँगों पर मतदान पूर्ण होने के पश्चात् राज्य की समेकित निधि से (क) विधान सभा द्वारा पारित अनुदानों की माँगों और (ख) समेकित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित धनराशियों के विनियोग हेतु विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। तत्पश्चात् विधेयक पर राज्यपाल महोदय की सहमति प्राप्त की जाती है जिसके उपरान्त अधिनियम एवं संलग्न अनुसूचियों में दर्शायी गयी धनराशियाँ विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत व्यय हेतु स्वीकृत धनराशि होती है।

विनियोग अधिनियम, 2012 के कुल 92 अनुदानों में से दो अनुदानों नामित अनुदान संख्या 11–कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि), अनुदान संख्या 32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथी), की माह अगस्त 2013 में समीक्षा की गयी थी। वर्ष 2012–13 के अनुदानों के बजट प्रावधानों, व्ययों तथा बचतों का विवरण **परिशिष्ट 2.12** में सारांशीकृत है। समीक्षा के परिणाम की चर्चा नीचे की गई है।

अनुदान संख्या–11

अनुदान संख्या–11 के अधीन वर्ष 2012–13 में 'कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)' हेतु ₹ 3,407.22 करोड़ का प्रावधान किया गया, जिसमें ₹ 2.50 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान था। इसमें से मार्च 2013 के अन्त तक ₹ 822.72 करोड़ की बचत करते हुये ₹ 2,584.50 करोड़ व्यय किये गये

अनुदान संख्या–32

अनुदान संख्या–32 के अधीन वर्ष 2012–13 में चिकित्सा विभाग (एलोपैथी) हेतु ₹ 3,796.08 करोड़ का प्रावधान किया गया जिसमें ₹ 5.05 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान सम्मिलित था। इनमें से मार्च 2013 के अन्त तक ₹ 3,161.41 करोड़ व्यय किये गये एवं ₹ 634.67 करोड़ की बचत की गई। यह दर्शाता है कि ₹ 5.05 करोड़ अनुपूरक प्रावधान आवश्यकता से अधिक था एवं अनावश्यक सिद्ध हुआ।

अनुदान सं0–11 एवं 32 से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि वर्ष 2012–13 में विभिन्न मुख्य शीर्षों/उपशीर्षो के अधीन नौ विभिन्न कार्यक्रमों/विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन/कार्यान्वयन के लिए ₹ 74.44 करोड़ का प्रावधान किया गया, जिसका उपयोग नहीं किया गया जिसका विवरण **परिशिष्ट 2.13** में दिया गया है। यह संज्ञान में आया कि ₹ 74.44 करोड़ के प्रावधान का शत प्रतिशत उपयोग न होने के कारण वर्ष 2012–13 के अन्त में उसे अभ्यर्पित करना पड़ा। यह बजटीय प्रक्रिया में नियोजन की कमी को दर्शाता है। ₹ 74.44 करोड़ के प्रावधान को अन्य कमी वाले क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता था। निम्नलिखित बिन्दु भी आगे देखे गये:

- अनुदान संख्या–11 के अधीन ₹ 17.48 करोड़ का बजट प्रावधान भूमि एवं जमीन विकास में सूक्ष्म अवयव की कमी को दूर करने के लिए किसानों को जिप्सम का वितरण करने हेतु किया गया । इसके सापेक्ष, सरकार ने वर्ष 2012–13 में ₹ 15.12 करोड़ की स्वीकृति दी, इनमें से केवल ₹ 5.40 करोड़ व्यय किया गया एवं उत्तर प्रदेश एग्रो द्वारा जिप्सम की कम आपूर्ति के कारण ₹ 9.72 करोड़ की बचत हुई। इसके परिणामस्वरूप, किसानों को जिप्सम (64 *प्रतिशत*) का कम वितरण हुआ। इसी तरह वर्ष 2012–13 में केन्द्रीय योजना/केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना के अधीन इसी अनुदान की तीन योजनाओं[3] के लिए ₹ 63.61 करोड़ का प्रावधान किया गया। यद्यपि, इन तीन योजनाओं के कार्य योजनाओं की स्वीकृति में विलम्ब के कारण ₹ 18.64 करोड़ का उपयोग नहीं किया गया एवं वर्ष 2012–13 के अन्तिम दिन वित्त विभाग को अभ्यर्पित कर दिया गया।
- सरकार की औषधि क्रय नीति 2004 के अनुसार बजट का 20 *प्रतिशत* निदेशक, केन्द्रीय चिकित्सा स्टोर विभाग (सी.एम.एस.डी.), लखनऊ द्वारा एवं 80 *प्रतिशत* क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा व्यय किया जाना था । औषधि/रसायनों के खरीद के लिए अनुदान सख्या 32 के अधीन बजट में ₹ 360 करोड़ का प्रावधान किया गया। इनमें से ₹ 72 करोड़ (20 *प्रतिशत*) शहरी एवं ग्रामीण अस्पतालों को औषधि/रसायनों (जीवन रक्षक औषधियों) के खरीद एवं वितरण के लिए निदेशक, सी.एम.एस.डी. को आवंटित (2012–13) किया गया। वर्ष 2012–13 में निदेशक, सी.एम.एस.डी. ने उत्तर प्रदेश ड्रग एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (यू0पी0डी0पी0एल0) को ₹ 9.62 करोड़ का भुगतान किया एवं यू0पी0डी0पी0एल0 द्वारा विनिर्माण/आपूर्ति न होने के कारण वित्त विभाग को ₹ 62.38 करोड़ की अवशेष धनराशि अभ्यर्पित कर दी गई (मार्च 2013)।
- राजस्व दत्तमत भाग के अधीन अनुदान संख्या 11 एवं 32 में अनवरत बचत हो रही थी जिस पर **प्रस्तर संख्या 2.3.2** में टिप्पणी की गयी है।

2.5 कोषागार निरीक्षण के परिणाम

राज्य में 77 कोषागार एवं 210 उपकोषागार हैं। वर्ष 2012–13 में सभी कोषागारों एवं उपकोषागारों का निरीक्षण कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा किया गया। कोषागार निरीक्षण का परिणाम नीचे दिया गया है।

2.5.1 दिवंगत पेंशनरों की अवितरित पेंशन की वसूली का न हो पाना

पेंशनरों की मृत्यु के पश्चात अवितरित पेंशन की राशि ब्याज सहित सम्बन्धित बैंकों से वापस प्राप्त कर चालान के माध्यम से शासकीय लेखे के प्राप्ति शीर्ष में जमा कर देनी चाहिये।

यद्यपि, कोषागारों में उपलब्ध पेंशन अभिलेखों की जांच में यह पाया गया कि 41 कोषागारों के 685 प्रकरणों से सम्बन्धित अवितरित पेंशन ₹ 1.08 करोड़ की धनराशि बैंक से वापस नहीं ली गयी एवं 2012–13 तक सम्बन्धित बैकों में पड़ी रही। कोषागारवार अवितरित धनराशि की वांछित वसूली का विवरण **परिशिष्ट 2.14** में दिया गया है।

[3]

विवरण	बजट प्रावधान	बचत
हाईब्रिड बीज उत्पादन को बढ़ाने के लिए योजना	₹ 30.00 करोड़	₹ 8.89 करोड़
ग्रीष्मकालीन मूंगफली के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन योजना	₹ 2.50 करोड़	₹ 1.50 करोड़
विभिन्न पर्यावरणीय संसाधनों के माध्यम से कीटाणु जनित रोगों पर नियंत्रण	₹ 31.11 करोड़	₹ 8.25 करोड़
योग	**₹ 63.61 करोड़**	**₹ 18.64 करोड़**

2.5.2 पेंशन/उपादान का अधिक/कम भुगतान

सतहत्तर कोषागारों एवं 210 उपकोषागारों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2012–13 में सात कोषागारों[4] में ₹ 14.74 लाख का अधिक एवं पाँच कोषागारों[5] में ₹ 1.35 लाख कम पेंशन/परिवार पेंशन का भुगतान किया गया। इसी प्रकार, एक कोषागार[6] में ₹ 0.30 लाख अधिक एवं चार कोषागारों[7] में ₹ 0.70 लाख कम सेवानिवृत्ति उपादान का भुगतान किया गया।

2.5.3 ई–भुगतान

शासन के आदेश 1 (जून 2012) के अनुसार ई–भुगतान प्रणाली 1 अक्टूबर 2012 तक लागू किया जाना था। कोषागारों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि राज्य में 77 में से 16 कोषागारों[8] में ई–भुगतान प्रणाली प्रचलन में नहीं थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2003 में कोषागारों द्वारा जनपद के सभी सरकारी कर्मचारियों के डाटा–बेस बनाये जाने का भी आदेश दिया था। यद्यपि, कोषागारों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 14 जिलों में सरकारी कर्मचारियों का डाटा–बेस अपूर्ण था (2012–13)।

2.6 निष्कर्ष

₹ 29,701.70 करोड़ की कुल बचत ₹ 32,706.99 करोड़ की बचत का शुद्ध परिणाम थी जो ₹ 3,005.29 करोड़ के आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित हुई। इसके अतिरिक्त अनावश्यक, अपर्याप्त, आधिक्य व बचत आदि के प्रकरण थे। वर्ष 2005–12 की अवधि में किए गये व्ययाधिक्य ₹ 15,363.76 करोड़ एवं वर्ष 2012–13 में किये गये ₹ 2,380.23 करोड़ के व्ययाधिक्य को भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत विनियमितीकरण किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, बजट मैनुअल के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया, बैंकों से अवितरित पेंशनों की वसूली नहीं की गयी तथा पेंशन एवं उपादान के अधिक/कम भुगतान के प्रकरण थे।

2.7 संस्तुतियाँ

राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि:

- बजटीय नियंत्रण प्रणाली को समस्त विभागों में मजबूत किया जाना चाहिए जिससे कि प्रावधान अनुपयोगी न रहे।
- अत्यधिक, अनावश्यक, अनुपूरक प्रावधान एवं निधियों के अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन से बचना चाहिए।
- विभागीय बजट वास्तविक आधार पर बनाना चाहिए तथा निधियों का अनवरत उपयोग न करना एवं निधियों के अत्यधिक प्रावधान से बचना चाहिए।
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन विनियमितीकरण के लिए लम्बित पड़े अधिक व्यय का नियमितीकरण किया जाना चाहिए।

[4]मऊ, बुलन्दशहर, रामपुर, फिरोजाबाद, औरैया, छत्रपति साहू जी महाराज नगर एवं मुजफ्फरनगर।
[5]सहारनपुर, छत्रपति साहू जी महाराज नगर, जौनपुर, बलिया एवं मऊ।
[6]रमाबाई नगर।
[7]उन्नाव, एटा, आगरा एवं काशीराम नगर।
[8]कानपुर नगर, बांदा, चित्रकूट, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, सुल्तानपुर, हमीरपुर, ललितपुर, ज्योतिबाफूले नगर, बागपत, बाराबंकी, लखनऊ (कलेक्ट्रेट), हरदोई, सिद्धार्थनगर, छत्रपति साहू जी महाराज नगर एवं फतेहपुर।
[9]कानपुर नगर, बांदा, चित्रकूट, सहारनपुर, मिर्जापुर, चंदौली, जौनपुर, संतकबीर नगर, गौतमबुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, संतरविदास नगर, गोरखपुर, छत्रपति साहू जी महाराज नगर एवं सिद्धार्थ नगर।

अध्याय III

वित्तीय रिपोर्टिंग

अध्याय III

वित्तीय रिपोर्टिंग

सुसंगत एवं विश्वसनीय सूचनाओं के साथ एक मजबूत आंतरिक प्रणाली राज्य सरकार द्वारा दक्ष प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों के अनुपालन के साथ–साथ इनकी अनुपालन स्थिति पर समयबद्ध एवं गुणात्मक प्रतिवेदन, इस प्रकार अच्छे प्रशासन की विशिष्टियों में से एक है। अनुपालन एवं नियंत्रण पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावी एवं प्रचालन में है, तो यह राज्य सरकार को अपनी आधारभूत प्रबंधन उत्तरदायित्वों नीतिगत योजनाओं एवं निर्णय–प्रबंधन शामिल है, के निर्वहन में सहायता करता है। यह अध्याय वर्तमान वर्ष में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय नियमों के अनुपालन की स्थिति, प्रक्रिया एवं निर्देश का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

3.1 उपभोग प्रमाण–पत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब

3.1.1 अवशेष उपभोग प्रमाण–पत्रों की स्थिति **सारणी 3.1** में दी गई है।

सारणी 3.1: अवशेष उपभोग प्रमाण–पत्रों की स्थिति

अवधि	अवशेष उपभोग प्रमाण पत्रों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
2010–11 की अवधि तक	2,52,424	51,811.32
2011–12	17,433	7,276.35
2012–13	23,967	7,537.57
योग	**2,93,824**	**66,625.24**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सारणी 3.1 से स्पष्ट है कि अधिक संख्या में उपभोग प्रमाण–पत्र जिसमें महत्वपूर्ण धनराशि भी थी, वर्ष 2012–13 के अंत में (2001–02 से) अवशेष के रूप में पड़े हुए थे।

3.1.2 नमूना जांच में, 13 विभागों से, अनुदान प्राप्तकर्ताओं द्वारा उपभोग प्रमाण–पत्रों को प्रस्तुत करने से सम्बन्धित आंकड़े/सूचनाएँ एकत्रित की गई (अक्टूबर–2013)। लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि कुल धनराशि ₹ 8,149.42 करोड़ के उपभोग प्रमाण–पत्र प्राप्त होने शेष थे। अवशेष उपभोग प्रमाण–पत्रों का विभागवार विवरण **परिशिष्ट 3.1** में दिया गया है तथा उनके प्रेषण में हुए विलम्ब का अवधिवार विवरण **सारणी 3.2** में सारांशीकृत है।

सारणी 3.2: अवशेष प्रमाण–पत्रों की अवधिवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	विलम्ब वर्षों में	कुल भुगतानित अनुदान		अवशेष उपभोग प्रमाण–पत्र	
		संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
1	0-1	909	5,503.49	407	3,752.24
2	1-3	1,272	6,739.97	532	2,317.33
3	3-5	1,945	2,216.07	856	2,078.96
4	5-7	77	6.25	25	0.89
योग		**4,203**	**14,465.78**	**1,820**	**8,149.42**

(स्रोतः सम्बन्धित विभागों के अभिलेख)

लेखापरीक्षा के दौरान यह भी पाया गया कि वर्ष 2007–12 की अवधि में कुल अनुदान धनराशि ₹ 5,726.68 करोड़ के लिए पंचायत राज विभाग ने भुगतान किया। यद्यपि, इसके सापेक्ष उपभोग प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं हुए थे (अक्टूबर 2013 तक)।

अन्य प्रमुख विभाग जैसे समाज कल्याण (₹ 2,094.81 करोड़), रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश (₹ 183.29 करोड़), दुग्धशाला विकास विभाग (₹ 89.92 करोड़) एवं समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति विकास) (₹ 25.90 करोड़) भी अनुदान प्राप्तकर्ताओं से उपभोग प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में विफल रहे।

3.1.3 अल्पसंख्यक विभाग (उ.प्र. राज्य हज समिति) ने वर्ष 2006 में उन परिवारों को जिनके सदस्यों की मृत्यु मीना में हुई भगदड़ की वजह से हुई थी, को ₹ 1.20 करोड़ स्वीकृत किये (2006–07)। हालांकि, दो मृतक परिवारों के कानूनी उत्तराधिकारी की पहचान न होने के कारण ₹ 10 लाख की धनराशि का वितरण नहीं किया जा सका एवं इसे विगत 7 वर्षो से (अक्टूबर 2013 तक) बचत बैंक खाते में रोके रखा गया।

3.2 विस्तृत आकस्मिक बिल

आहरण एवं संवितरण अधिकारी[1] सेवा शीर्ष को डेबिट करते हुए सार आकस्मिक बिलों के माध्यम से धनराशियाँ आहरित किये जाने हेतु प्राधिकृत है। विस्तृत आकस्मिक बिल समर्थक दस्तावेज के साथ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को एक महीने के अन्दर प्रस्तुत करना होता है। सार आकस्मिक देयकों के सापेक्ष लम्बे समय तक विस्तृत आकस्मिक देयकों का अप्रस्तुतीकरण सार आकस्मिक देयकों के अंतर्गत व्यय को अपारदर्शी बनाता है। 31 मार्च 2013 तक ₹ 64.55 करोड़ के 7,654 सार आकस्मिक देयक, विस्तृत आकस्मिक देयकों के अभाव में असमायोजित थे। वर्षवार विवरण **सारणी 3.3** में दी गई है।

सारणी 3.3: अवशेष सार आकस्मिक बिल

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष 2011–12 तक अवशेष सार आकस्मिक बिल एवं वर्ष 2012–13 में आहरित सार आकस्मिक बिल		वर्ष 2012–13 में प्राप्त विस्तृत आकस्मिक बिल		31 मार्च 2013 को अवशेष सार आकस्मिक बिल	
	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
2010-11 तक	10,097	118.12	2,908	73.42	7,189	44.70
2011-12	842	39.42	536	24.33	306	15.09
2012-13	485	28.07	326	23.31	159	4.76
योग	**11,424**	**185.61**	**3,770**	**121.06**	**7,654**	**64.55**

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

मार्च 2013 में 72 सार आकस्मिक देयक, जिनकी धनराशि ₹ 3.51 करोड़ थी, आहरित किये गये। इनमें से सात सार आकस्मिक देयक, जिनकी धनराशि ₹ 1.66 करोड़ थी, दिनाँक 31 मार्च 2013 को आहरित किए गए। मार्च माह में सार आकस्मिक बिल के सापेक्ष महत्वपूर्ण व्यय अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण दर्शाता है।

3.3 विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम

विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा निर्धारित प्रारूप में वित्तीय लेन–देन एवं व्यवसाय में दक्षता दर्शाते हुए प्रतिवर्ष निर्धारित प्रारूप में प्रोफॉर्मा लेखा बनाया जाता है। इन लेखों

[1]शासनादेश संख्या–ए-1-3 (1) दस -10820/2001 दिनांक 24 जनवरी–2006।

को लेखापरीक्षा हेतु लेखा–बन्दी माह के तीन माह के अन्दर महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

राज्य में मार्च 2013 तक इस प्रकार के दस उपक्रम थे। इनमें से चार उपक्रमों ने अद्यतन प्रोफॉर्मा लेखे तैयार नहीं किये थे। ऐसे विभागवार उपक्रम, जिनके प्रोफॉर्मा लेखे शेष थे, का विवरण **परिशिष्ट 3.2** में दिया गया है। स्टेट फार्मेसी ऑफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी मेडिसिन (सरकारी निवेश ₹ नौ लाख) एवं क्रिमिनल ट्राइब्स सेटलमेन्ट टेलरिंग फैक्ट्री (सरकारी निवेश ₹ चार लाख) द्वारा अद्यतन उपलब्ध लेखों के आधार पर वर्ष 2012–13 तक अपने–अपने लेखे क्रमशः वर्ष 1988–89 एवं वर्ष 1980–81 से तैयार नहीं किये गये थे। इसी तरह, खाद्यान्न की सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं राज्य पशुधन सह कृषि फार्म जिसमें सरकार द्वारा क्रमशः ₹ 2,566.73 करोड़ एवं ₹ 17.03 करोड़ का निवेश किया गया था, के वर्ष 2010–13 तक के लेखे तैयार नहीं किये गये थे। फलस्वरूप, विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम में शासन द्वारा निवेशित धनराशि की लेखापरीक्षा/राज्य विधायिका से की जाने वाली जांच से परे थी। लेखों को तैयार न किये जाने के कारण गबन एवं निधियों के दुरूपयोग का खतरा भी बना रहता है।

3.4 लम्बित प्रकरणों की रिपोर्टिंग

वित्तीय नियमों के प्रस्तर 82 के अनुसार हानि एवं गबन के प्रकरणों को कार्यालय प्रधान महालेखाकार (जी.एण्ड एस.एस.ए.), उ0प्र0, इलाहाबाद को अविलम्ब प्रेषित किये जाने चाहिए, उन प्रकरणों सहित जिसमें उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा क्षतिपूर्ति कर दी गयी हो।

वर्ष 2012–13 की अवधि तक इस प्रकार के 143 प्रकरण लम्बित थे जिनमें ₹ 893.84 लाख की धनराशि निहित थी। विभागवार लम्बित प्रकरणों एवं उनका अवधिवार विश्लेषण **परिशिष्ट 3.3** में दिया गया है। ऐसे प्रकरणों का श्रेणीवार विवरण भी **परिशिष्ट 3.4** में दिया गया है। परिशिष्टियों में दिये गये अवधिवार लम्बित प्रकरणों को **सारणी 3.4** में सारंशीकृत किया गया है।

सारणी 3.4: लम्बित प्रकरणों की स्थिति

अवधिवार लम्बित प्रकरण			लम्बित प्रकरणों की प्रकृति		
अवधि (वर्षों में)	प्रकरणों की संख्या	सम्मिलित धनराशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की प्रकृति	प्रकरणों की संख्या	सम्मिलित धनराशि (₹ लाख में)
0-5	23	360.76	चोरी	65	42.90
5-10	23	59.37			
10-15	12	71.91	दुर्विनियोग	10	64.89
15-20	38	14.33			
20-25	20	33.11	हानियां	24	171.74
25 और इससे अधिक	27	354.36	गबन	44	614.31
योग	**143**	**893.84**	**कुल लम्बित प्रकरण**	**143**	**893.84**

(स्रोतः सम्बन्धित विभागों के अभिलेख)

अभिलेखों की जॉच में यह पाया गया कि ₹ 895.87 लाख, के 161 प्रकरणों में सें ₹ 2.03 लाख के 18 प्रकरण **(परिशिष्ट 3.5)** वर्ष 2012–13 में निस्तारित/बट्टे खाते में

डाल दिये गये थे, एवं अवशेष 143 प्रकरण जिसमें ₹ 893.84 लाख की धनराशि निहित थी, मार्च 2013 तक **सारणी 3.5** में दिये गये विभिन्न कारणों से लम्बित पड़े थे।

सारणी 3.5: लम्बित प्रकरणों के कारण

विलम्ब/बकाया प्रकरणों का कारण		प्रकरणों की संख्या	धनराशि (₹ लाख में)
i	विभागीय एवं आपराधिक जांच प्रतीक्षित है	27	189.67
ii	विभागीय जाँच प्रारम्भ की गयी परन्तु अन्तिम रूप नहीं दिया गया	77	550.40
iii	आपराधिक कार्यवाही पूरी की गयी परन्तु धनराशि की वसूली की प्रक्रिया के प्रकरण लम्बित हैं	2	4.58
iv	वसूली या अपलेखन के आदेश प्रतीक्षित हैं	12	7.99
v	माननीय न्यायालयों में लम्बित	25	141.20
	योग	143	893.84

(स्रोतः सम्बन्धित विभागों के अभिलेख)

3.5 लघु लेखा शीर्ष–800 के अंतर्गत 'अन्य राजस्व प्राप्तियाँ' एवं 'अन्य व्यय' का दर्शाया जाना

लघु शीर्ष 800–अन्य व्यय/अन्य प्राप्तियाँ को लेखों में केवल तभी परिचालन किया जाना उचित है जब तक समुचित लघुशीर्षों की लेखे में उपलब्धता न हो। लघु शीर्ष 800 का नियमित परिचालन हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह लेखों को अपारदर्शी बनाता है। वर्ष 2012–13 के दौरान व्यय संबंधी विभिन्न मुख्य शीर्षों (राजस्व एवं पूंजीगत) के अंतर्गत ₹ 20,860.88 करोड़ के व्यय हुए जो कि राजस्व एवं पूंजीगत शीर्षों के समस्त व्यय के लगभग 12.68 *प्रतिशत* था, सम्बन्धित मुख्य शीर्ष के अधीन लघु शीर्ष 800–अन्य व्यय के अंतर्गत दर्शाया गया था। उसी प्रकार ₹ 17,779.03 करोड़ राजस्व के विभिन्न मुख्यशीर्षों के प्राप्ति पक्ष, कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 12.19 *प्रतिशत*, सम्बन्धित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत अंकित किया गया। ऐसे उदाहरण जहाँ लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियों/व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत धनराशि जिनका अनुपात सम्बन्धित शीर्षों के सम्पूर्ण धनराशि के सापेक्ष अत्यधिक है (50 *प्रतिशत* या अधिक) **सारणी 3.6** में दिया गया है।

सारणी 3.6: लघु लेखा शीर्ष–800 के अंतर्गत 'अन्य राजस्व प्राप्तियाँ' एवं 'अन्य व्यय' का दर्शाया जाना

विवरण	प्राप्तियाँ		व्यय	
	धनराशि (₹ करोड़ में)	लेखाशीर्ष	धनराशि (₹ करोड़ में)	लेखाशीर्ष
100 *प्रतिशत* एवं अधिक	149.87	1456, 0801, 0023, 0217, 0852, 0810, 0215, 0415, 0875, 0047, 0575	677.18	4859, 4070, 2705, 2407, 2885, 2041, 4851, 4853, 5053
75 *प्रतिशत* एवं 99 *प्रतिशत* के मध्य	5,633.91	0851, 1055, 0029, 0071, 0235, 0406, 0220, 0075, 0230, 0059, 1452	6,546.96	2801, 2575, 4235, 2425, 4401

50 *प्रतिशत* एवं 74 *प्रतिशत* के मध्य	10,372.72	0211, 1054, 0700, 0425, 0403, 0056, 1601	2,775.79	4515, 2700, 2405, 2501, 4406, 4575
योग	**16,156.50**		**9,999.93**	

(स्रोतः वित्त लेखे 2012–13)

परिणामस्वरूप शासन के विभिन्न कार्यक्रमों/क्रियाकलापों के अंतर्गत किये गये व्यय जो कि लघु शीर्ष '800 अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किये गये थे, वित्त लेखे 2012–13 में अलग से दर्शाये नहीं जा सके।

3.6 धनराशियों का केन्द्रीय सड़क निधि में हस्तांतरण न किया जाना

भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क निधि हेतु धनराशि अनुदानों के रूप में अवमुक्त की जाती है जिसे कि मुख्य लेखाशीर्ष '1601–सहायता अनुदान' में लेखांकित किया जाता है। अवमुक्त की गयी इस धनराशि को राज्य सरकार द्वारा बजट में प्रावधान किये जाने के उपरान्त 'केन्द्रीय सड़क निधि' से मुख्य शीर्ष '8449–अन्य जमा–103–आर्थिक सहायता' में हस्तान्तरित करने की आवश्यकता पड़ती है।

निरीक्षण में पाया गया कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 में सड़क निर्माण हेतु अनुदान ₹ 184.76 करोड़ 'केन्द्रीय सड़क निधि' में अन्तरित किया गया था। यद्यपि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 की अवधि में बजट में प्रावधान नहीं किया गया, इस धनराशि को 'केन्द्रीय सड़क निधि' से मुख्य शीर्ष '8449–अन्य जमा–103–आर्थिक सहायता' में स्थानान्तरित नहीं किया जा सका। सम्पूर्ण धनराशि राज्य की समेकित निधि में मार्च 2013 के अन्त तक पड़ी हुई थी।

3.7 नकद अवशेषों में भिन्नता

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा आगणित एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किये गये राज्य सरकार के रोकड़ शेष में 31 मार्च 2013 को ₹ 22.00 करोड़ (निवल जमा) में विसंगति का मुख्य कारण एजेन्सी बैंकों द्वारा आंकड़ों का मिलान न किया जाना है तथा इनका मिलान किया जा रहा है।

3.8 वैयक्तिक जमा लेखाओं में धनराशियों का अन्तरण

राज्य सरकार विशिष्ट उद्देश्यों के लिए वैयक्तिक जमा खाता खोलने के लिए प्राधिकृत है। नामांकित प्रशासकों को इन वैयक्तिक जमा खातों में निधियों, जो राज्य के समेकित निधि (सेवा मुख्य शीर्षों) के सापेक्ष व्यय के रूप में अंकित किया जाता है, को स्थानान्तरित कर परिचालन हेतु अधिकृत किया जाता है। इन वैयक्तिक जमा खातों को आगामी वित्तीय वर्ष के अन्तिम तिथि को बन्द किया जाना एवं शेष धनराशि की सरकारी लेखे में वापसी आवश्यक होती है। राज्य सरकार ने इस प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया है। विवरण **सारणी 3.7** में दिया गया है:

सारणी 3.7: वैयक्तिक जमा खातों की स्थिति

प्रारम्भिक अवशेष		वर्ष 2012 -13 में खोले गये खातों की संख्या		वर्ष 2012–13 में बंद किये गये खातों की संख्या		अन्तिम अवशेष	
खातों की संख्या	सम्मिलित धनराशि (₹ करोड़ में)	खातों की संख्या	सम्मिलित धनराशि (₹ करोड़ में)	खातों की संख्या	सम्मिलित धनराशि (₹ करोड़ में)	खातों की संख्या	सम्मिलित धनराशि (₹ करोड़ में)
1,572	1,333.86	शून्य	1,124.20	70	146.75	1,502	2,311.31
1,502 वैयक्तिक निक्षेप खातों में से 554 परिचालित थे एवं शेष 948 अपरिचालित थे।							

(स्रोतः वित्त लेखे 2012–13)

राज्य के 77 कोषागारों में से 43 ने महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को सूचित किया है कि उनके द्वारा रख-रखाव किये गये 837 वैयक्तिक खातों का मिलान किया गया है। शेष 34 कोषागारों के मिलान की स्थिति अज्ञात है।

3.9 प्राप्तियों एवं व्यय का मिलान

मुख्य नियंत्रक अधिकारी (सी0सी0ओ0)/नियंत्रक अधिकारियों (सी0ओ0) द्वारा सरकार के प्राप्तियों एवं व्यय का महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा लेखांकित आंकड़ों से मिलान किया जाना चाहिए। वर्ष के दौरान कुल व्यय के 99.43 *प्रतिशत* एवं कुल प्राप्तियों के 99.95 *प्रतिशत* का महालेखाकार से मुख्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा मिलान किया गया।

3.10 दिये गए अनुदान/ऋण के विवरण का अप्रस्तुतीकरण/विलम्बित प्रस्तुतीकरण

लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियमन, 2007 में यह प्रावधानित है कि सरकार एवं सहायक अनुदान स्वीकृत करने वाले विभागाध्यक्षों द्वारा ऐसी संस्थाओं/संगठनों जिन्हें विगत वित्तीय वर्ष में ₹ 10.00 लाख या अधिक की वित्तीय सहायता दी गयी थी, अनुदान की राशि प्रदर्शित करते हुए, जिस उद्देश्य हेतु अनुदान स्वीकृत किया गया था एवं संस्थाओं/संगठनों के कुल व्यय का एक विवरण लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रत्येक वर्ष जुलाई के अन्त तक उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि उनकी पहचान की जा सके जिनकी लेखापरीक्षा, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 14 एवं 15 के अधीन सम्पन्न की जाती है। यद्यपि, इस प्रकार का कोई विवरण लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रेषित नहीं किया गया। वित्त विभाग ने माह अक्टूबर 2013 में आश्वासन दिया कि विवरण प्रेषित करने हेतु कार्यवाही की जायेगी।

3.11 निष्कर्ष

वित्तीय वर्ष 2012–13 के अंत तक उपभोग प्रमाण-पत्र एवं सार आकस्मिक बिल के सापेक्ष विस्तृत आकस्मिक बिल लम्बित थे। प्रचुर मात्रा में चोरी, दुर्विनियोग, गबन इत्यादि के प्रकरण या तो वसूली अथवा अपलेखन के अभाव में लम्बित थे, जिनमें ₹ 893.84 लाख की धनराशि सन्निहित थी। प्राप्तियाँ एवं व्यय उपयुक्त शीर्षों के अन्तर्गत वर्गीकृत नहीं किये गये थे।

3.12 संस्तुतियाँ

सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए किः

- अनुग्राही को उपलब्ध कराए गए अनुदान की समीक्षा कराये जाने की आवश्यकता है जिससे उपभोग प्रमाण–पत्रों की प्राप्ति हेतु प्रयास नहीं करने वाले विभागों की पहचान की जा सके।

- चोरी, दुर्विनियोग, गबन, हानियों आदि के समस्त प्रकरणों में विभागीय जाँच शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण की जानी चाहिए।

(मुकेश पी सिंह)
प्रधान महालेखाकार (जी0 एण्ड एस0एस0ए0)
उत्तर प्रदेश

इलाहाबाद
दिनांक

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक

परिशिष्टियाँ

परिशिष्ट 1.1

उत्तर प्रदेश राज्य का परिदृश्य

(संदर्भः पृष्ठ 1)

अ. सामान्य आंकड़े			
क्र0सं0	विवरण		आंकड़े
1	क्षेत्रफल		2,40,928 वर्ग किमी0
2	जनसंख्या		
	अ.	2001 की जनगणना के अनुसार	16.62 करोड़
	ब.	2012-13 (पुनरीक्षित अग्रिम आगणन के अनुसार)	20.63 करोड़
3	अ.	जनसंख्या घनत्व (2001) (अखिल भारतीय घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0)	690 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0
	ब.	जनसंख्या घनत्व (2011) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0)	828 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0
4	गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत = 21.92 *प्रतिशत*)		29.43 *प्रतिशत*
5	अ.	साक्षरता (2001) (अखिल भारतीय औसत = 64.8 *प्रतिशत*)	56.27 *प्रतिशत*
	ब.	साक्षरता (2011) (अखिल भारतीय औसत = 74.04 *प्रतिशत*)	69.72 *प्रतिशत*
6	शिशु मृत्युदर (प्रति 1,000 जन्म पर) (अखिल भारतीय औसत = 42 प्रति 1,000 जन्म पर)		53 प्रति 1,000 जन्म पर
7	जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत = 66.10 वर्ष)		62.70 वर्ष
8	गिनी गुणांक[1]		
	अ.	ग्रामीण (सम्पूर्ण भारत = 0.29)	0.36
	ब.	शहरी (सम्पूर्ण भारत = 0.38)	0.33
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) 2012-13 चालू मूल्यों पर		₹ 7,69,729 करोड़
10	प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (2003-04 से 2012-13)	उत्तर प्रदेश	12.45 *प्रतिशत*
		अन्य सामान्य श्रेणी राज्य	14.94 *प्रतिशत*
11	सकल राज्य घरेलू उत्पाद मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (2003-04 से 2012-13)	उत्तर प्रदेश	14.53 *प्रतिशत*
		अन्य सामान्य श्रेणी राज्य	16.37 *प्रतिशत*
12	जनसंख्या वृद्धि (2003-04 से 2012-13)	उत्तर प्रदेश	17.94 *प्रतिशत*
		अन्य सामान्य श्रेणी राज्य	13.22 *प्रतिशत*

ब. वित्तीय आंकडे				
क्र.सं.	विवरण	आंकड़े (*प्रतिशत* में)		
	मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर	2003-04 से 2011-12		2003-04 से 2012-13
		सामान्य श्रेणी राज्य	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश
13	क. राजस्व प्राप्तियों का	17.48	19.42	18.51
	ख. स्वयं का कर राजस्व	17.44	18.42	17.51
	ग. करेतर राजस्व	12.64	20.50	21.30
	घ. कुल व्यय	14.15	11.62	11.78
	ड. पूंजीगत व्यय	16.83	11.06	11.00
	च. शिक्षा पर राजस्व व्यय	16.85	19.48	18.76
	छ. स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय	15.35	16.05	17.55
	ज. वेतन एवं मजदूरी[2]	14.18	17.63	16.87
	झ. पेंशन	18.36	21.89	22.43

(स्रोतः वित्तीय आंकड़े वित्त लेखे 2012–13 पर आधारित हैं)

[1]गिनी गुणांक, जनता की आय में परस्पर असमानता का मापक है। शून्य से एक के पैमाने पर, शून्य के समीप होने पर असमानता कम तथा एक के समीप होने पर असमानता अधिक होगी।

[2]वर्ष 2003–04 से 2011–12 अथवा 2012–13 अवधि के लिए जैसा भी प्रकरण हो।

परिशिष्ट 1.2

(अ) राज्य सरकार के लेखे का रूप एवं संरचना
(ब) वित्त लेखे का प्रारूप

(संदर्भः प्रस्तर 1.1; पृष्ठ 1)

भाग–अः राज्य सरकार के लेखे का रूप एवं संरचना

शासकीय लेखे का ढाँचा: राज्य सरकार के लेखे को तीन भागों में रखा गया है (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिकता निधि तथा (iii) लोक लेखा।

भाग-1 समेकित निधिः राज्य सरकार की समस्त राजस्व प्राप्तियां, ट्रेजरी बिलों के जरिये उगाहे गये समस्त ऋण, आन्तरिक एवं वाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋणों के भुगतान हेतु प्राप्त समस्त धनराशि एक समेकित निधि का गठन करेगा जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अन्तर्गत गठित 'राज्य की समेकित निधि' नाम से जाना जाता है।

भाग-2 आकस्मिकता निधिः संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अन्तर्गत राज्य की आकस्मिकता निधि का गठन होता है जो एक प्रकार का अग्रदाय है जिसमें से अति आवश्यक अनपेक्षित व्यय के पूरा करने हेतु अग्रिम लिया जाता है जो राज्यपाल के अधिकार में है। इस प्रकार के व्यय हेतु तथा बाद में इसी के बराबर की धनराशि के समेकित निधि से आहरण हेतु विधान मण्डल की संस्तुति प्राप्त की जाती है। निधि बाद में प्राप्त की जाती है जिससे आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिमों की प्रतिपूर्ति की जाती है।

भाग-3 लोक लेखाः प्राप्तियों एवं वितरणों से सम्बन्धित कुछ लेनदेनों यथा लघु बचत, भविष्य निधि, संचित निधि, निक्षेप, उचन्त, प्रेषण इत्यादि जो समेकित निधि के भाग नहीं होते, को संविधान की धारा 266(2) के अन्तर्गत लोक लेखे में रखा जाता हैं एवं वे राज्य विधायिका के द्वारा मतदान का विषय नहीं होते हैं।

भाग–ब : वित्त लेखे का प्रारूप

विवरण सं0	प्रारूप
वित्त लेखा दो भागों में विभाजित है। भाग एक सरकार के वित्तीय विवरण के सारांशीकृत रुप में और भाग दो में विस्तृत विवरण प्रस्तुत है।	
भाग एक में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रमाण–पत्र, चार सारांश विवरण और लेखाओं की योजना पर टिप्पणी को सम्मिलित करते हुए नीचे दिया गया है।	
खण्ड–1	
1	वित्तीय वर्ष के अन्त में पूंजी एवं देयताओं की प्रगामी वित्तीय स्थिति।
2	प्राप्तियों एवं संवितरणों के तीन भागों का विवरण।
3	संचित निधि में प्राप्तियों का विवरण जिसमें राजस्व, पूंजीगत और उधार से प्राप्तियां सम्मिलित हैं।
4	संचित निधि से व्यय का विवरण जिसमें व्यय की प्रकृति तथा कार्य से सम्बन्धित है।
परिशिष्ट–1	नकद शेष और नकद शेष का निवेश।
खण्ड–2	
भाग–1	
5	प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण विस्तृत प्रगामी पूंजीगत व्यय को विवरण संख्या 1 में दिखाया गया है।
6	उधार और अन्य दायित्व जैसे कि बाजार ऋण और भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम का विवरण।

7	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गये ऋण एवं अग्रिम और उनकी वसूली का विवरण।
8	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गये सहायता अनुदान का विवरण।
9	वित्तीय वर्ष के दौरान सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को भुगतान के लिए सरकार द्वारा दी गयी गारण्टी का विवरण।
10	दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण। विस्तृत विवरण दत्तमत और प्रभारित व्यय।
भाग–2	
11	राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार ब्यौरेवार विवरण ।
12	राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण।
13	पूंजीगत व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण।
14	सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी बैंकों, समितियों इत्यादि में राज्य सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण।
15	उधार एवं अन्य दायित्वों और परिपक्वता और भुगतान का विवरण ।
16	सरकार द्वारा दिए गये अग्रिमों, ऋण शेष में परिवर्तन, ऋण माफी और ऋणों पर ब्याज प्राप्तियां इत्यादि का विस्तृत विवरण।
17	राजस्व लेखा से भिन्न व्ययों के लिए स्रोत एवं निधियों के प्रयोग का विस्तृत विवरण।
18	आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के लेन–देनों का विस्तृत विवरण।
19	उद्दिष्ट निधियों के निवेश का ब्यौरेवार विवरण।
भाग–3 (परिशिष्ट)	
परिशिष्ट–2	वेतन पर तुलनात्मक व्यय
परिशिष्ट–3	सब्सिडी पर तुलनात्मक व्यय
परिशिष्ट–4	राज्य सरकार द्वारा दिया गया सहायता अनुदान (संस्थानवार और योजनावार)
परिशिष्ट–5	वाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं का विवरण
परिशिष्ट–6	आयोजनागत योजना व्यय
परिशिष्ट–7	राज्य में केन्द्रीय योजना निधियों का लागू करने वाली एजेन्सियों को सीधे हस्तान्तरण
परिशिष्ट–8	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे की शेष राशियों का सारांश
परिशिष्ट–9	सिंचाई निर्माण कार्य के वित्तीय परिणाम
परिशिष्ट–10	अपूर्ण लोकनिर्माण कार्य संविदाओं पर वचनबद्धताओं का विवरण
परिशिष्ट–11	राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरुप ऐसी मदों का विवरण,जिनके शेषों का विभाजन अंतिम रुप से नहीं हुआ
परिशिष्ट–12	राज्य के अनुरक्षण व्यय का विवरण
परिशिष्ट–13	वर्ष के दौरान प्रमुख नीतिगत निर्णयों अथवा भावी रोकड़ प्रवाह हेतु बजट में प्रस्तावित नयी योजनाओं के प्रभावों का विवरण।
परिशिष्ट–14	राज्य सरकार द्वारा भविष्य में वचनबद्ध दायित्वों का विवरण

परिशिष्ट 1.3

वर्ष 2012-13 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(संदर्भः प्रस्तर 1.1.1; पृष्ठ 2)

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ				संवितरण					
2011-12			2012-13	2011-12			आयोजनेत्तर	आयोजनागत	योग 2012-13
भाग 'अ'									
1,30,869.70	**I**	**राजस्व प्राप्तियाँ**	**1,45,903.98**	**1,23,885.17**	**I**	**राजस्व व्यय**	**1,14,845.73**	**25,877.91**	**1,40,723.64**
52,613.43		**-कर राजस्व**	**58,098.36**	**52,946.92**		**सामान्य सेवाएँ**	**59,119.18**	**787.54**	**59,906.72**
				47,390.94		**सामाजिक सेवाएँ**	**32,235.57**	**21,064.75**	**53,300.32**
10,145.30		-करेतर राजस्व	12,969.98	25,975.04		-शिक्षा, खेल, कला एवंसंस्कृति	22,084.22	7,298.40	29,382.62
				5,770.08		-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4,767.13	2,751.72	7,518.85
50,350.95		- संघीय करों में राज्यांश	57,497.85	1,895.04		-जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	849.61	110.63	960.24
				84.51		-सूचना एवं प्रसारण	57.30	0.94	58.24
4,396.73		-आयोजनेत्तर अनुदान	4,341.00	3,382.44		-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2,060.11	2,408.27	4,468.38
6,813.28		-राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	5,518.39	441.88		-श्रम तथा श्रमिक कल्याण	328.83	773.84	1,102.67
				9,779.27		-समाज कल्याण तथा पोषण	2,023.80	7,720.87	9,744.67
6,549.89		-केन्द्रीय तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं हेतु अनुदान	7,478.40	62.68		-अन्य	64.57	0.08	64.65
00.12		-वाह्य अनुदान सहायता	0.00	**18,292.21**		**आर्थिक सेवाएँ**	**17,311.74**	**4,025.62**	**21,337.36**
				3,651.55		-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध सेवाएँ	3,224.39	1,374.04	4,598.43
				4,529.51		-ग्राम्य विकास	2,837.93	1,787.36	4,625.29
				60.96		-विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	0.00	27.38	27.38

				4,009.32		-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	4,028.94	645.13	4,674.07
				3,535.54		-ऊर्जा	4,612.66	37.58	4,650.24
				319.72		-उद्योग एवं खनिज	236.84	131.84	368.68
				1,943.87		-परिवहन	2,121.83	1.10	2,122.93
				30.66		-विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	13.90	18.76	32.66
				211.08		-सामान्य आर्थिक सेवाएँ	235.25	2.43	237.68
				5,255.10		**सहायक अनुदान एवं अंशदान**	**6,179.24**	**0.00**	**6,179.24**
1,30,869.70		**योग**	**1,45,903.98**	**1,23,885.17**		**योग**			**1,40,723.64**
शून्य	**II**	**राजस्व घाटा भाग 'ब' को प्रेषित**	**शून्य**	**6,984.53**	**II**	**राजस्व अधिशेष भाग 'ब' को प्रेषित**	**-**	**-**	**5,180.34**
1,30,869.70		**योग**	**1,45,903.98**	**1,30,869.70**		**योग**			**1,45,903.98**
					भाग 'ब'				
10,304.99	**III**	**प्रारम्भिक रोकड़ शेष स्थाई अग्रिम एवं रोकड़ शेष निवेश सहित**	**13,446.70**	**-**	**III**	**भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारम्भिक ओवरड्राफ्ट**	**-**	**-**	**-**
–	**IV**	**विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ**	**-**	**21,573.96**	**IV**	**पूंजीगत परिव्यय**	**1,225.78**	**22,608.51**	**23,834.29**
				1,143.62		**सामान्य सेवाएँ**	**577.06**	**827.89**	**1,404.95**
				5,187.14		**सामाजिक सेवाएँ**	**57.62**	**7,536.89**	**7,594.51**
				331.16		-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	5.15	701.93	707.08
				942.39		-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	13.28	1,102.34	1,115.62
				3,551.41		-जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	37.97	4,985.14	5,023.11
				-		-सूचना एवं प्रसारण	-	-	-
				46.70		-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	00	57.97	57.97
				240.09		-समाज कल्याण तथा पोषण	00	608.74	608.74
				75.39		-अन्य	1.22	80.77	81.99
				15,243.20		**आर्थिक सेवाएँ**	**591.10**	**14,243.73**	**14,834.83**

				(-)127.38		-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध सेवाएँ	521.36	367.13	888.49
				2,755.84		-ग्राम्य विकास	0.00	1,051.70	1,051.70
				1,480.80		-विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	0.00	840.31	840.31
				2,124.87		-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	0.00	1,896.69	1,896.69
				4,314.36		-ऊर्जा	64.38	3,561.50	3,625.88
				3.57		-उद्योग एवं खनिज	5.36	1.19	6.55
				4,651.20		-परिवहन	0.00	6,454.52	6,454.52
				39.94		-सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.00	70.69	70.69
				शून्य		-विज्ञान,तकनीकी एवं पर्यावरण	-	-	-
133.17	**V**	**ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली**	**418.80**	975.57	**V**	**संवितरित ऋण तथा अग्रिम -**	**619.49**	**383.75**	**1,003.24**
00.00		-विद्युत परियोजनाओं से	-	-		-विद्युत परियोजनाओं हेतु	-	-	-
74.11		-सरकारी कर्मचारियों से	83.10	115.67		-सरकारी कर्मचारियों को	106.76	-	106.76
59.06		-अन्य से	335.70	859.90		-अन्य को	512.73	383.75	896.48
6,984.53	**VI**	**अधोनीत राजस्व अधिशेष**	**5,180.34**	-	**VI**	**अधोनीत राजस्व घाटा**	-	-	-
19,652.30	**VII**	**लोक ऋण प्राप्तियाँ**	**15,819.95**	**8,287.61**	**VII**	**लोक ऋण की अदायगी**			**8,909.04**
		-वाह्य ऋण	-			-बाह्य ऋण	-	-	-
19,336.67		-अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओवरड्राफ्ट से भिन्न आंतरिक ऋण	15,493.30	6,973.02		-अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत शुद्ध लेनदेन			7,513.87
-		-अर्थोपाय अग्रिम के अन्तर्गत शुद्ध लेन देन	30.69	-		-ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत शुद्ध लेनदेन	-	-	-
-		-ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत शुद्ध लेन देन		-		-अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओवरड्राफ्ट से भिन्न आंतरिक ऋण	-	-	-
315.63		-केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम	295.96	1,314.59		-केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान			1,395.17
-	**VIII**	**आकस्मिकता निधि को विनियोग**	-	-	**VIII**	**आकस्मिकता निधि से विनियोग**			-

39.89	**IX**	**आकस्मिकता निधि को स्थानान्तरित राशि**	**309.65**	**309.64**	**IX**	**आकस्मिकता निधि से व्यय**			**262.45**
1,38,449.36	**X**	**लोक लेखा प्राप्तियाँ**	**1,43,477.51**	**1,30,970.76**	**X**	**लोक लेखा संवितरण**			**1,29,471.51**
9,539.26		-अल्प बचतें एवं भविष्य निधियाँ	10,096.34	5,908.99		-अल्प बचतें एवं भविष्य निधियाँ			6,754.83
10,255.12		-आरक्षित निधियाँ	9,638.28	4,767.87		-आरक्षित निधियाँ			5,252.14
89,398.38		-उचन्त एवं विविध	99,159.77	88,790.15		-उचन्त एवं विविध			95,620.37
18,705.74		-प्रेषण	15,954.43	18,914.42		-प्रेषण			14,968.51
10,550.86		-जमा तथा अग्रिम	8,628.69	12,589.33		-जमा तथा अग्रिम			6,875.66
-	**XI**	**भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट का अंतिम अवशेष**		**13,446.70**	**XI**	**अंतिम रोकड़ शेष**			**15,172.42**
				#		-कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण			#
				(-) 619.34		-रिजर्व बैंक में जमा			(-) 39.52
				13.32		-स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष			13.21
				14,052.72		-रोकड़ शेष निवेश			15,198.73
3,06,433.94		**योग**	**3,24,556.93**	**3,06,433.94**		**योग**			**3,24,556.93**

(#) '₹ एक लाख से कम धनराशि'

परिशिष्ट 1.4

वर्ष 2012-13 के लिए वास्तविक प्राप्तियों एवं व्यय की बजट अनुमान से तुलना

(संदर्भ: प्रस्तर 1.1.3; पृष्ठ 6)

(₹ करोड़ में)

विवरण	बजट अनुमान	पुनरीक्षित अनुमान	वास्तविक	वृद्धि(+)/ घाटा (-)	वृद्धि(+)/ घाटा (-) *प्रतिशत में*
1	2	3	4	5 (4-3)	6
राजस्व प्राप्तियाँ जिसमें	**1,58,847.96**	**1,56,687.63**	**1,45,903.98**	**-10,783.65**	***-6.88***
कर राजस्व	**62,057.06**	**60,472.14**	**58,098.36**	**-2,373.78**	***-3.93***
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	38,492.18	36,616	34,870.16	-1,745.84	***-4.77***
राज्य आबकारी	10,068.28	10,070	9,782.49	-287.51	***-2.86***
वाहनों पर कर	3,093.90	3,094	2,992.92	-101.08	***-3.27***
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	9,307.99	9,021	8,742.17	-278.83	***-3.09***
माल भाड़ा एवं यात्रियों पर कर	0	0	1.04	1.04	***100***
भू–राजस्व	299.96	676.14	804.64	128.50	***19***
अन्य कर	794.75	995	904.94	-90.06	***-9.05***
करेतर राजस्व	**14,173.82**	**13,798.08**	**12,969.98**	**-828.10**	***-6***
ब्याज प्राप्तियाँ	980.02	1,422.36	1,186.42	-235.94	***-16.59***
विविध सामान्य सेवाएँ	3,973.37	4,914.10	4,494.11	-419.99	***-8.55***
अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	954	600	722.12	122.12	***20.35***
अन्य करेतर राजस्व	8,266.43	6,861.62	6,567.33	-294.29	***-4.29***
केन्द्रीय कर एवं शुल्कों का अंश	**59,528.34**	**59,528.34**	**57,497.85**	**-2,030.49**	***-3.41***
भारत सरकार से सहायता अनुदान	**23,088.74**	**22,889.07**	**17,337.79**	**-5,551.28**	***-24.25***
राजस्व व्यय जिसमें	**1,52,963.61**	**1,51,141.63**	**1,40,723.64**	**-10,417.99**	***-6.89***
सामान्य सेवाएँ	**64,768.46**	**62,175.69**	**59,906.72**	**-2,268.97**	***-3.65***
प्रशासनिक सेवाएँ	13,791.88	13,307.14	11,881.13	-1,426.01	***-10.72***
पेन्शन एवं विविध सामान्य सेवाएँ	18,961.47	18,962.47	17,952.25	-1,010.22	***-5.33***
ब्याज की अदायगी तथा ऋण सेवा	26,793.65	24,759.62	25,182.28	422.66	***1.71***
राजकोषीय सेवाएँ	3,437.89	3,286.91	3,295.33	8.42	***0.26***
सरकार के अंग	1,783.57	1,859.55	1,595.73	-263.82	***-14.19***
सामाजिक सेवाएँ	**58,637.63**	**59,081.49**	**53,300.32**	**-5,781.17**	***-9.79***
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	32,480.14	32,002.89	29,382.62	-2,620.27	***-8.19***
समाज कल्याण एवं पोषण	10,630.02	10,864.43	9,744.67	-1,119.76	***-10.31***
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	3,749.58	4,332.04	4,468.38	136.34	***3.15***
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	8,193.71	8,300.77	7,518.85	-781.92	***-9.42***

जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	1,123.47	1,134.86	960.24	-174.62	***-15.39***
सूचना एवं प्रसारण	145.99	145.99	58.24	-87.75	***-60.11***
श्रम एवं श्रमिक कल्याण	2,229.82	2,225.63	1,102.67	-1,122.96	***-50.46***
अन्य	84.90	74.88	64.65	-10.23	***-13.66***
आर्थिक सेवाएँ	**23,312.85**	**23,639.78**	**21,337.36**	**-2,302.42**	***-9.74***
कृषि तथा अन्य सम्बद्ध सेवाएँ	4,929.27	5,277.38	4,598.44	-678.94	***-12.87***
ग्राम्य विकास	5,656.29	5,648.61	4,625.29	-1,023.32	***-18.12***
विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	101.70	102.16	27.38	-74.78	***-73.20***
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	5,283.10	5,203.61	4,674.06	-529.55	***-10.18***
ऊर्जा	4,624.91	4,674.91	4,650.24	-24.67	***-0.53***
उद्योग एवं खनिज	393.20	419.49	368.67	-50.82	***-12.11***
परिवहन	1,975.35	1,974.96	2,122.93	147.97	***7.49***
विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	33.26	33.26	32.66	-0.60	***-1.8***
सामान्य आर्थिक सेवाएँ	315.77	305.40	237.69	-67.71	***-22.17***
सहायक अनुदान एवं अंशदान	**6,244.67**	**6,244.67**	**6,179.24**	**-65.43**	***-1.05***
पूंजीगत व्यय जिसमें	**26,978.26**	**26,147.20**	**23,834.29**	**-2,312.91**	***-8.85***
सामान्य सेवाएँ	**1,630.69**	**1,914.48**	**1,404.95**	**-509.53**	***-26.61***
सामाजिक सेवाएँ	**9,310.20**	**8,506.21**	**7,594.51**	**-911.70**	***-10.72***
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	885.83	921.56	707.08	-214.48	***-23.27***
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,412.19	1,447.69	1,115.62	-332.07	***-22.94***
जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	5,811.82	5,087.82	5,023.11	-64.71	***-1.27***
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	118.39	118.39	57.97	-60.42	***-51.03***
समाज कल्याण एवं पोषण	797.13	645.91	608.74	-37.17	***-5.75***
अन्य सामाजिक सेवाएँ	284.84	284.84	81.99	-202.85	***-71.22***
आर्थिक सेवाएँ	**16,037.37**	**15,726.51**	**14,834.83**	**-891.68**	***-5.67***
कृषि तथा अन्य सम्बद्ध सेवाएँ	503.10	482.60	888.50	405.90	***84.11***
ग्राम्य विकास	1,402.26	1,431.76	1,051.70	-380.06	***-26.54***
विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	1,979.01	1,939.01	840.31	-1,098.70	***-56.66***
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	3,242.60	2,992.53	1,896.69	-1,095.84	***-36.62***
ऊर्जा	3,760.25	3,061.17	3,625.88	564.71	***18.45***
उद्योग एवं खनिज	8.69	9.98	6.54	-3.44	***-34.47***
परिवहन	5,043.33	5,710.33	6,454.52	744.19	***13.03***
विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	0	0	0	0	***0***
सामान्य आर्थिक सेवाएँ	98.13	99.13	70.69	-28.44	***-28.69***
राजस्व वृद्धि (+)/कमी (–)	**5,884**	**5,546**	**5,180**	**-366**	***-6.6***
राजकोषीय घाटा (–)	**21,570**	**21,210**	**-19,238**	**1,972**	***9.3***
प्राथमिक वृद्धि (+)/कमी (–)	**-4,953**	**-4,712**	**-2,317**	**2,395**	***-50.83***

परिशिष्ट 1.5

राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आंकड़े

(संदर्भः प्रस्तर 1.3; पृष्ठ 11)

(₹ करोड़ में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
भाग अ. प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	**77,831**	**96,421**	**1,11,184**	**1,30,869**	**1,45,904**
(i) स्वयं के कर राजस्व	28,659 (37)	33,878(35)	41,110(37)	52,613 (40)	58,098(40)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	17,482 (61)	20,825 (62)	24,837(60)	33,107 (63)	34,870 (60)
राज्य आबकारी	4,720 (17)	5,666 (17)	6,723(16)	8,139 (15)	9,782 (17)
वाहनों पर कर	1,125 (4)	1,404 (4)	1,817(4)	2,376 (4)	2,993 (5)
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	4,138 (14)	4,562 (13)	5,975(15)	7,694 (15)	8,742 (15)
भू–राजस्व	549 (2)	663 (2)	1,134(3)	491 (1)	805 (1)
माल भाड़ा तथा यात्री कर	266(1)	271 (1)	242(1)	5 (0)	1 (0)
अन्य कर	379 (1)	487 (1)	382(1)	801 (2)	905 (2)
(ii) करेतर राजस्व	6,767 (8)	13,601(14)	11,176(10)	10,145 (8)	12,970 (9)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	30,906 (40)	31,797 (33)	43,464(39)	50,351 (38)	57,498 (39)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	11,499 (15)	17,146 (18)	15,434(14)	17,760 (14)	17,338 (12)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
3. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	**778**	**293**	**485**	**133**	**419**
4. कुल राजस्व एवं ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	**78,609**	**96,714**	**1,11,669**	**1,31,002**	**1,46,323**
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	**16,760**	**22,489**	**21,394**	**19,652**	**15,820**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट छोड़कर)	16,339 (97)	22,206 (99)	20,317 (95)	19,336 (98)	15,493 (98)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत शुद्ध लेन–देन	-	-	714(3)	-	31 (0)
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	421 (3)	283 (1)	363(2)	316 (2)	296 (2)
6.समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	**95,369**	**1,19,203**	**1,33,063**	**1,50,654**	**1,62,143**
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	**171**	**83**	**Nil**	**40**	**310**
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	**1,04,252**	**99,908**	**1,27,649**	**1,38,449**	**1,43,478**
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	**1,99,792**	**2,19,194**	**2,60,712**	**2,89,143**	**3,05,931**
भाग ब. व्यय / वितरण					
10. राजस्व व्यय	**75,969 (77)**	**89,374 (77)**	**1,07,676(83)**	**1,23,885 (84)**	**1,40,724 (85)**
आयोजनागत	17,291 (23)	15,701(18)	21,040(20)	22,616 (18)	25,878 (18)
आयोजनेत्तर	58,678 (77)	73,673 (82)	86,636(80)	1,01,269 (82)	1,14,846 (82)
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित)	29,769 (39)	40,641(45)	48,019(45)	52,947 (43)	59,907 (43)
सामाजिक सेवाएँ	28,546 (37)	32,064 (36)	39,567(37)	47,391 (38)	53,300 (38)
आर्थिक सेवाएँ	14,150 (19)	13,308 (15)	15,725(15)	18,292 (15)	21,338 (15)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	3,504 (5)	3,360 (4)	4,365(4)	5,255 (4)	6,179 (4)
11. पूंजीगत व्यय	**22,346 (22)**	**25,091 (22)**	**20,273(16)**	**21,574 (15)**	**23,834 (14)**
आयोजनागत	18,088 (81)	19,224 (77)	19,581(97)	20,735 (96)	22,608 (95)

आयोजनेत्तर	4,258 (19)	5,867 (23)	692(3)	839 (4)	1,226 (5)
सामान्य सेवाएँ	841 (4)	611 (2)	1,002(5)	1,144 (5)	1,405 (6)
सामाजिक सेवाएँ	2,946 (13)	4,702 (19)	4,796(24)	5,187 (24)	7,594 (32)
आर्थिक सेवाएँ	18,559 (83)	19,778 (79)	14,475(71)	15,243 (71)	14,835 (62)
12. ऋण एवं अग्रिमों का भुगतान	**807 (1)**	**942 (1)**	**968(1)**	**976 (1)**	**1,003 (1)**
13. कुल व्यय (10+11+12)	**99,122**	**1,15,407**	**1,28,917**	**1,46,435**	**1,65,561**
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	**6,776**	**7,669**	**7,383**	**8,288**	**8,909**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	5,577(82)	6,469 (84)	5,369(73)	6,973 (84)	7,514 (84)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत शुद्ध लेन–देन	-	-	714(10)	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1,199 (18)	1,200 (16)	1,300(17)	1,315 (16)	1,395 (16)
15. आकस्मिकता निधि से विनियोग	-	-	-	-	
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (कुल व्यय) (13+14+15)	**1,05,898**	**1,23,076**	**1,36,300**	**1,54,723**	**1,74,470**
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	**-**	**-**	**40**	**310**	**262**
18. लोक लेखा संवितरण	**1,00,027**	**1,01,780**	**1,17,473**	**1,30,971**	**1,29,472**
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	**2,05,925**	**2,24,856**	**2,53,813**	**2,86,004**	**3,04,204**
भाग स. घाटा					
20. राजस्व घाटा (–)/राजस्व आधिक्य (+)(1–10)	**(+)1,862**	**(+) 7,047**	**(+)3,508**	**(+)6,984**	**(+)5,180**
21. राजकोषीय घाटा (–)/राजकोषीय आधिक्य (+)(4–13)	**(-)20,513**	**(-)18,693**	**(-)17,248**	**(-) 15,433**	**(-)19,238**
22. प्राथमिक घाटा (21+23)	**(-)9,138**	**(-) 6,705**	**(-)3,032**	**(+) 48**	**(-)2,317**
भाग द. अन्य आंकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	**11,375**	**11,988**	**14,216**	**15,481**	**16,921**
24. स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता, इत्यादि	**15,822**	**18,120**	**30,683**	**39,214**	**43,212**
25. अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट का लाभ (दिनों में)					
अर्थोपाय अग्रिम का उपभोग (दिनों में)	-	-	4	-	-
ओवरड्राफ्ट का उपभोग (दिनों में)	-	-	4	-	-
26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	-	-	-	-	-
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)	**4,12,151[3]**	**4,91,302[4]**	**5,88,467[5]**	**6,87,836[6]**	**7,69,729[7]**
28. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्षान्त)	**1,87,411**	**2,01,720**	**2,24,785**	**2,43,229**	**2,59,621**
29. बकाया गारन्टियाँ (वर्षान्त) ब्याज सहित	**16,084**	**20,038**	**20,162**	**21,752**	**43,337**
30. दी गयी गारन्टी की अधिकतम धनराशि (वर्षान्त)	**27,892**	**29,311**	**29,778**	**29,629**	**50,459**
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	**98**	**126**	**119**	**183**	**383**
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी	**4,598**	**880.85**	**2,735**	**2,453**	**3,393**

[3]2008–09 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्विक आंकड़े हैं।
[4]2009–10 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अग्रिम आंकड़े हैं।
[5]2010–11 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्विक आंकड़े हैं।
[6]2011–12 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद का पुनरीक्षित आंकड़े हैं।
[7]2012–13 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद का पुनरीक्षित आंकड़े हैं।

भाग य. राजकोषीय स्थिति के सूचक					
I. संसाधनों का संग्रहण					
स्वयं का कर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	6.95	6.90	6.99	7.65	7.55
करेतर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.64	2.77	1.90	1.47	1.69
केन्द्रीय स्थानान्तरण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	7.50	6.47	7.39	7.32	7.47
II. व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	24.05	23.49	21.91	21.29	21.51
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	127.36	119.69	115.95	111.89	113.47
राजस्व व्यय/कुल व्यय	76.64	77.44	83.52	84.60	85.00
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	32	32	34	36	37
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	33	29	23	23	22
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	23	22	16	15	14
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर कुल पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	22	21	15	14	14
III. राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	-	-	-	-	-
राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-)4.98	(-)3.80	(-)2.93	(-) 2.24	(-)2.50
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-)2.22	(-)1.36	(-)0.52	(+) 0.007	(-)0.30
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	-	-	-		
प्राथमिक राजस्व शेष/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 2.31	(-) 1.01	(-)1.82	(-) 1.24	(-)1.53
IV. राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन					
राजकोषीय देयताएँ/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	45	41	38	35	34
राजकोषीय देयताएँ/राजस्व प्राप्ति	241	209	202	186	178
प्राथमिक घाटा के सापेक्ष प्रमात्रा विस्तार	(+)8,426	(+)17,733	(+)23,413	(+) 23,134	(+)10,282
ऋण मोचन (मूल+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्ति	96	96	84	94	101
V. अन्य राजकोषीय स्थिति के संकेतक					
निवेश पर प्रतिफल (₹ करोड़ में)	1.26	0.84	26.81	38.17	62.70
वालू राजस्व से अवशेष (₹ करोड़ में)	13,960	14,422	19,530	24,864	26,323
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ/दायित्व	0.66	0.72	0.77	0.81	0.85

कोष्ठक में दिए गये अंक प्रत्येक उपशीर्षों का कुल योग से *प्रतिशत* (पूर्णांक) प्रदर्शित करता है।
@शासन द्वारा सूचित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) के आंकड़ों को अपनाया गया है।

(अ) स्वयं का कर राजस्व वर्ष 2008-13 के लिए
(ब) करेतर राजस्व वर्ष 2008-13 के लिए

(संदर्भः प्रस्तर 1.3.1; पृष्ठ 13)

(अ) स्वयं का कर राजस्व 2008-13 के लिए

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	
					पुनरीक्षित अनुमान	वास्तविक व्यय
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	17,482	20,825	24,837	33,107	36,616	34,870
राज्य आबकारी	4,720	5,666	6,723	8,139	10,070	9,782
वाहनों पर कर	1,125	1,404	1,817	2,376	3,094	2,993
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	4,138	4,562	5,975	7,694	9,021	8,742
भू–राजस्व	549	663	1,134	491	676	805
माल–भाड़ा एवं यात्रियों पर कर	266	271	242	5	00	1
अन्य कर	379	487	382	801	995	905
योग (अ)	**28,659**	**33,878**	**41,110**	**52,613**	**60,472**	**58,098**

(ब) करेतर राजस्व 2008-13 के लिए

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	
					पुनरीक्षित अनुमान	वास्तविक व्यय
ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश एवं लाभ	1,013	631	716	827	1,422	1,249
सामान्य सेवाएँ	2,120	8,482	5,807	4,907	4,914	5,069
सामाजिक सेवाएँ	1,829	2,622	3,019	2,662	5,589	4,670
आर्थिक सेवाएँ	1,805	1,866	1,634	1,749	1,873	1,982
योग (ब)	**6,767**	**13,601**	**11,176**	**10,145**	**13,798**	**12,970**
महायोग (अ+ब)	**35,426**	**47,479**	**52,286**	**62,758**	**74,270**	**71,068**

परिशिष्ट 1.7

31 मार्च 2013 को राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त सार

(संदर्भः प्रस्तर 1.9.1 एवं 1.9.2; पृष्ठ 30)

(₹ करोड़ में)

31.03.2012 को	देयताएं		31.03.2013 को
1,40,388.62	**आंतरिक ऋण**		**1,48,398.74**
77,837.61	ब्याज भारित बाजार ऋण	84,100.69	
3.21	ब्याज भार रहित बाजार ऋण	2.85	
18.91	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	13.99	
62,559.58	अन्य संस्थानों से ऋण	64,281.21	
-30.69	अर्थोपाय अग्रिम	00	
-	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट	-	
17,510.87	**केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम**		**16,411.66**
9.96	1984–85 से पहले का ऋण	9.96	
101.29	आयोजनेतर ऋण	93.85	
17,201.43	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	16,198.90	
0.80	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	0.80	
195.96	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के लिए ऋण	106.72	
1.43	अर्थोपाय अग्रिम	1.43	
600.00	**आकस्मिकता निधि (कॉर्पस)**	-	**600.00**
37,730.24	**अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ आदि**	-	**41,071.76**
16,015.72	**जमा**	-	**17,768.76**
31,583.69	**आरक्षित निधियाँ**	-	**35,969.82**
433.57	**प्रेषण शेष**	-	**1,419.49**
2,44,262.71	**योग**		**2,61,640.23**
	परिसम्पत्तियां		
1,78,439.34	**अचल सम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय**	-	**2,02,273.63**
42,607.07	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	46,227.91	
1,35,832.27	अन्य पूंजीगत परिव्यय	1,56,045.72	
309.64	**आकस्मिकता निधि (असमायोजित)**	-	**262.45**
10,987.99	**ऋण एवं अग्रिम**	-	**11,572.44**
2,681.49	विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	2,462.40	
8,134.14	अन्य विकास ऋण	8,914.01	
172.36	सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं विविध ऋण	196.03	
45.20	**आरक्षित निधियों में निवेश**	-	**45.20**
9.11	**अग्रिम**	-	**9.10**
(-) 4,555.23	**उचन्त एवं विविध शेष**	-	**(-) 8,094.63**
13,446.70	**रोकड़**		**15,172.42**
	कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	00	
(-) 619.34	रिजर्व बैंक में जमा	(-)39.52	
12.90	विभागीय रोकड़ शेष	-	
0.42	स्थाई अग्रिम	0.42	
14,052.72	रोकड़ शेष निवेश	15,198.73	
45,579.96	**सरकारी लेखों में घाटा**		**40,399.62**
52,564.49	(i) वर्ष के प्रारम्भ में संचयी घाटा	45,579.96	
6,984.53	(ii) **घटाना:**वर्तमान वर्ष में राजस्व आधिक्य	5,180.34	
2,44,262.71	**योग**		**2,61,640.23**

परिशिष्ट 1.3 एवं 1.7 के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

पूर्ववर्ती विवरणों में संक्षिप्त लेखों को वित्त लेखे में दिए गये विवरणों एवं टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाय। सरकारी लेखे मुख्यतः रोकड़ आधारित होते है, सरकारी लेखे में घाटे जैसा कि **परिशिष्ट 1.7** में प्रदर्शित है रोकड़ की स्थिति अंकित है, सम्भूति आधारित वाणिज्यिक लेखाओं से भिन्न है। फलस्वरूप, देय या प्राप्य मद का ह्रास अथवा भंडार लेखा में विचलन इत्यादि मद लेखे में अंकित नहीं है। उचन्त एवं विविध अवशेष में ऐसे निर्गत चेक जिनका भुगतान नहीं किया गया, राज्य की ओर से किए गये भुगतान एवं अन्य लंबित समाधान सम्मिलित है। "रिजर्व बैंक में निक्षेप" के अर्न्तगत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित एवं लेखों में प्रदर्शित आंकड़ों के बीच **₹ 21.99 करोड़ (निवल क्रेडिट)** का अन्तर था।

परिशिष्ट 1.8

आरक्षित निधि का विवरण

(संदर्भः प्रस्तर 1.9.3; पृष्ठ 31)

(₹ लाख में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	संवितरण	अंतिम शेष
2010-11				
आरक्षित निधियाँ				
ब्याज सहित आरक्षित निधि				
8115- मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	**1,60,462.23**	**0.00**	**93,613.69**	**66,848.54**
103- मूल्यह्रास आरक्षित निधि–सरकारी वाणिज्यिक विभाग एवं उपक्रम	1,64,903.80	0.00	93,613.69	71,290.11
105- मूल्यह्रास आरक्षित निधि–निवेश खाता	-4,441.57	0.00	0.00	-4,441.57
8121- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि	**126.69**	**0.00**	**0.00**	**126.69**
102- कृषि प्रयोजनों के लिए विकास निधि	120.50	0.00	0.00	120.50
111- आकस्मिकता आरक्षित निधि– विद्युत	6.19	0.00	0.00	6.19
योग	**1,60,588.92**	**0.00**	**93,613.69**	**66,975.23**
ब्याज रहित आरक्षित निधि				
8222- सिंकिंग फण्ड	**20,78,247.98**	**7,32,268.60**	**3,92,537.04**	**24,17,979.54**
01-ऋण घटाने या उसके परिहार के लिए विनियोग 101- सिंकिंग फण्ड	20,78,247.98	7,32,268.60	3,92,537.04	24,17,979.54
8223- अकाल राहत निधि	**853.50**	**0.00**	**0.00**	**853.50**
101- अकाल राहत निधि	931.51	0.00	0.00	931.51
102- अकाल राहत निधि निवेश लेखा	-78.01	0.00	0.00	-78.01
8225- सड़कें एवं सेतु निधि	**99,841.03**	**0.00**	**0.00**	**99,841.03**
101- राज्य सड़क एवं सेतु निधि	99,841.03	0.00	0.00	99,841.03
8226- मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	**4,887.77**	**11.00**	**0.00**	**4,898.77**
102- सरकारी अवाणिज्यिक विभागों की मूल्यह्रास आरक्षित निधि	4,887.77	11.00	0.00	4,898.77
8229- विकास एवं कल्याण निधि	**38,964.26**	**86,860.09**	**84,646.89**	**41,177.46**
101- शैक्षिक उद्देश्यों के लिए विकास निधि	4,187.07	0.34	0.00	4,187.41
102- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए विकास निधि	1,061.04	29.69	5.84	1,084.89
103-कृषि प्रयोजनों के लिए विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00
105- चीनी विकास निधि	941.91	-267.36	-325.45	1,000.00
106-औद्योगिक विकास निधि	964.34	29,969.94	27,911.90	3,022.38
109- सहकारी विकास निधि	4.77	0.00	0.00	4.77
200- अन्य विकास एवं कल्याण निधि	31,805.13	57,127.48	57,054.60	31,878.01
8235- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ	**-12,124.15**	**38,544.34**	**53,021.37**	**-26,601.18**
101- सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य आरक्षित निधियाँ	467.88	5.34	0.00	473.22
102- जमींदारी उन्मूलन निधि	707.78	0.00	0.00	707.78
103- धार्मिक एवं पूर्त न्यास निधि	33.79	0.00	0.00	33.79
105- सामान्य बीमा निधि	27.78	0.00	0.00	27.78
111- आपदा राहत निधि	15,266.86	38,539.00	53,021.37	-29,749.23
200- अन्य निधियाँ	1,905.48	0.00	0.00	1,905.48
योग	**22,10,670.39**	**8,57,684.03**	**5,30,205.30**	**25,38,149.12**
महायोग	**23,71,259.31**	**8,57,684.03**	**6,23,818.99**	**26,05,124.35**

2011-12				
आरक्षित निधियाँ				
ब्याज सहित आरक्षित निधि				
8115- मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	**66,848.54**	**0.00**	**65,000.00**	**1,848.54**
103- मूल्यह्रास आरक्षित निधि– सरकारी वाणिज्यिक विभाग एवं उपक्रम	71,290.11	0.00	65,000.00	6,290.11
105- मूल्यह्रास आरक्षित निधि–निवेश खाता	-4,441.57	0.00	0.00	-4,441.57
8121- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि	**126.69**	**0.00**	**0.00**	**126.69**
102- कृषि प्रयोजनों के लिए विकास निधियाँ	120.50	0.00	0.00	120.50
111- आकस्मिकता आरक्षित निधि– विद्युत	6.19	0.00	0.00	6.19
योग	66,975.23	0.00	65,000.00	1,975.23
ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ				
8222- सिंकिंग फण्ड	**24,17,979.54**	**8,62,661.20**	**2,99,673.79**	**29,80,966.95**
01- ऋण घटाने या उसके परिहार के लिए विनियोजन 101- सिंकिंग फण्ड	24,17,979.54	8,62,661.20	2,99,673.79	29,80,966.95
8223- अकाल राहत निधि	**853.50**	**0.00**	**0.00**	**853.50**
101- अकाल राहत निधि	931.51	0.00	0.00	931.51
102- अकाल राहत निधि निवेश लेखा	-78.01	0.00	0.00	-78.01
8225- सड़कें एवं सेतु निधि	**99,841.03**	**0.00**	**0.00**	**99,841.03**
101- राज्य सड़क एवं सेतु निधि	99,841.03	0.00	0.00	99,841.03
8226-- मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	**4,898.77**	**11.00**	**0.00**	**4,909.77**
102- सरकारी अवाणिज्यिक विभागों की मूल्यह्रास आरक्षित निधि	4,898.77	11.00	0.00	4,909.77
8229- विकास एवं कल्याण निधि	**41,177.46**	**50,673.66**	**48,880.57**	**42,970.55**
101- शैक्षिक उद्देश्यों के लिए विकास निधि	4,187.41	4.73	0.00	4,192.14
102- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए विकास निधि	1,084.89	0.00	0.00	1,084.89
103 कृषि प्रयोजनों के लिए विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00
105- चीनी विकास निधि	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
106- औद्योगिक विकास निधि	3,022.38	0.00	0.00	3,022.38
109- सहकारी विकास निधि	4.77	0.00	0.00	4.77
200- अन्य विकास एवं कल्याण निधि	31,878.01	50,668.93	48,880.57	33,666.37
8235- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ	**-26,601.18**	**1,12,166.07**	**63,232.97**	**22,331.92**
101- सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य आरक्षित निधियाँ	473.22	10.48	0.00	483.70
102- जमींदारी उन्मूलन निधि	707.78	0.00	0.00	707.78
103- धार्मिक एवं पूर्त न्यास निधि	33.79	0.00	0.00	33.79
105- सामान्य बीमा निधि	27.78	0.00	0.00	27.78
111- आपदा राहत निधि	-29,749.23	1,10,789.94	63,232.97	17,807.74
200- अन्य निधियाँ	1,905.48	1,365.65	0.00	3,271.13
योग	25,38,149.12	10,25,511.93	4,11,787.33	31,51,873.72
महायोग	26,05,124.35	10,25,511.93	4,76,787.33	31,53,848.95

2012-13				
आरक्षित निधियाँ				
ब्याज सहित आरक्षित निधि				
8115- मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	**1,848.54**	**0.00**	**0.00**	**1,848.54**
103- मूल्यह्रास आरक्षित निधि– सरकारी वाणिज्यिक विभाग एवं उपक्रम	6,290.11	0.00	0.00	6,290.11
105- मूल्यह्रास आरक्षित निधि–निवेश खाता	-4,441.57	0.00	0.00	-4,441.57
8121- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि	**126.69**	**0.00**	**0.00**	**126.69**
102- कृषि प्रयोजनों के लिए विकास निधियाँ	120.50	0.00	0.00	120.50
111- आकस्मिकता आरक्षित निधि–विद्युत	6.19	0.00	0.00	6.19
योग	**1,975.23**	**0.00**	**0.00**	**1,975.23**
ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ				
8222- सिंकिंग फण्ड	**29,80,966.95**	**8,26,168.64**	**3,23,691.26**	**34,83,444.33**
01- ऋण घटाने या उसके परिहार के लिए विनियोग 101- सिंकिंग फण्ड	29,80,966.95	8,26,168.64	3,23,691.26	34,83,444.33
8223- अकाल राहत निधि	**853.50**	**0.00**	**0.00**	**853.50**
101- अकाल राहत निधि	931.51	0.00	0.00	931.51
102- अकाल राहत निधि निवेश लेखा	-78.01	0.00	0.00	-78.01
8225- सड़कें एवं सेतु निधि	**99,841.03**	**0.00**	**94,096.38**	**5,744.65**
101- राज्य सड़क एवं सेतु निधि	99,841.03	0.00	94,096.38	5,744.65
8226- मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	**4,909.77**	**11.00**	**0.00**	**4,920.77**
102- सरकारी अवाणिज्यिक विभागों की मूल्यह्रास आरक्षित निधि	4,909.77	11.00	0.00	4,920.77
8229- विकास एवं कल्याण निधि	**42,970.55**	**71,319.89**	**60,385.18**	**53,905.26**
101- शैक्षिक उद्देश्यों के लिए विकास निधि	4,192.14	133.93	0.00	4,326.07
102- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए विकास निधि	1,084.89	3.95	0.00	1,088.84
103- कृषि प्रयोजनों के लिए विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00
105- चीनी विकास निधि	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
106- औद्योगिक विकास निधि	3,022.38	0.00	0.00	3,022.38
109- सहकारी विकास निधि	4.77	0.00	0.00	4.77
200- अन्य विकास एवं कल्याण निधि	33,666.37	71,182.01	60,385.18	44,463.20
8235- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ	**22,331.92**	**66,328.45**	**47,041.57**	**41,618.80**
101- सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य आरक्षित निधियाँ	483.70	4.80	0.00	488.50
102- जमींदारी उन्मूलन निधि	707.78	0.00	0.00	707.78
103- धार्मिक एवं पूर्त न्यास निधि	33.79	0.00	0.00	33.79
105- सामान्य बीमा निधि	27.78	0.00	0.00	27.78
111- आपदा राहत निधि	17,807.74	62,458.00	47,041.57	33,224.17
200- अन्य निधियाँ	3,271.13	3,865.65	0.00	7,136.78
योग	**31,51,873.72**	**9,63,827.98**	**5,25,214.39**	**35,90,487.31**
महायोग	**31,53,848.95**	**9,63,827.98**	**5,25,214.39**	**35,92,462.54**

परिशिष्ट 2.1

बचत के अन्तर्गत अनुदानों एवं विनियोगों के प्रकरण

(संदर्भः प्रस्तर 2.2; पृष्ठ 45)

(₹ हजार में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	कुल अनुदान / विनियोग	व्यय	बचत
		राजस्व			
	1	आबकारी विभाग			
1		दत्तमत	1,26,78,31	1,17,16,44	9,61,87
2		*भारित*	*20,00*	*6,39*	*13,61*
	2	आवास विभाग			
3		दत्तमत	1,38,49,04	1,14,98,21	23,50,83
	3	उद्योग विभाग (लघु एवं निर्यात प्रोत्साहन)			
4		दत्तमत	1,19,89,28	1,10,08,83	9,80,45
5		*भारित*	*6,00*	..	*6,00*
	4	उद्योग विभाग (खानें एवं खनिज)			
6		दत्तमत	22,87,69	19,33,32	3,54,37
	6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)			
7		दत्तमत	1,04,53,39	64,32,76	40,20,63
	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)			
8		दत्तमत	69,85,34	18,05,97	51,79,37
	8	उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री)			
9		दत्तमत	1,34,03,07	1,21,77,90	12,25,17
	9	उर्जा विभाग			
10		दत्तमत	55,29,32,12	55,28,88,28	43,84
11		*भारित*	*39,46,50*	*32,88,71*	*6,57,79*
	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)			
12		दत्तमत	1,96,60,89	1,68,82,26	27,78,63
13		*भारित*	*1,10,62*	*1,02,37*	*8,25*
	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)			
14		दत्तमत	26,90,05,45	20,45,13,40	6,44,92,05
15		*भारित*	*15,20*	*7,37*	*7,83*
	12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एंव जल संसाधन)			
16		दत्तमत	3,06,00,01	2,17,45,70	88,54,31
	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)			
17		दत्तमत	14,28,23,11	13,24,43,84	1,03,79,27
18		*भारित*	*15,50*	*9,72*	*5,78*
	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)			
19		दत्तमत	38,73,89,04	29,66,35,59	9,07,53,45
	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)			
20		दत्तमत	5,07,05,66	4,83,99,22	23,06,44
	16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)			
21		दत्तमत	84,50,43	72,11,05	12,39,38
22		*भारित*	*10*	-	*10*

	17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)			
23		दत्तमत	80,11,07	46,93,66	33,17,41
	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)			
24		दत्तमत	11,53,56,48	11,32,51,71	21,04,77
25		*भारित*	*5,24,24*	*5,23,68*	*56*
	19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)			
26		दत्तमत	8,85,13	4,65,04	4,20,09
	20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)			
27		दत्तमत	1,88,47	1,88,18	29
28		*भारित*	*30,88,00*	*30,87,99*	*1*
	21	खाद्य एवं रसद विभाग			
29		दत्तमत	72,58,34	61,50,53	11,07,81
	22	खेल विभाग			
30		दत्तमत	48,64,91	45,75,14	2,89,77
	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)			
31		दत्तमत	1,41,34,50	1,16,80,57	24,53,93
32		*भारित*	*1,50*	*46*	*1,04*
	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)			
33		दत्तमत	49,02,34	45,12,33	3,90,01
	25	गृह विभाग (कारागार)			
34		दत्तमत	3,85,96,00	3,85,81,02	14,98
35		*भारित*	*10,00*	11	*9,89*
	26	गृह विभाग (पुलिस)			
36		दत्तमत	96,91,40,09	88,97,99,73	7,93,40,36
37		*भारित*	*75,00*	*54,69*	*20,31*
	27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)			
38		दत्तमत	4,76,51,68	4,06,08,78	70,42,90
	28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)			
39		दत्तमत	1,41,32,14	1,13,41,52	27,90,62
	29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)			
40		*भारित*	*9,89,76*	*9,20,08*	*69,68*
	30	गोपन विभाग (राजस्व विशेष गुप्तचर निदेशालय एवं अन्य व्यय)			
41		दत्तमत	3,60,14	3,56,63	3,51
	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)			
42		दत्तमत	11,69,98,87	10,83,90,11	86,08,76
	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)			
43		दत्तमत	32,12,19,24	28,08,40,11	4,03,79,13
44		*भारित*	*20,00*	..	*20,00*
	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)			
45		दत्तमत	4,82,92,27	4,33,76,68	49,15,59
	34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी)			
46		दत्तमत	2,12,75,53	2,07,73,17	5,02,36
	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)			
47		दत्तमत	25,56,88,98	23,35,64,22	2,21,24,76
48		*भारित*	*16,00*	*1,24*	*14,76*
	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)			

49		दत्तमत	4,39,69,47	3,94,21,00	45,48,47
50		*भारित*	*2,00*	*17*	*1,83*
	37	नगर विकास विभाग			
51		दत्तमत	11,50,50,81	9,11,99,73	2,38,51,08
	38	नागरिक उड्डयन विभाग			
52		दत्तमत	32,67,86	26,90,41	5,77,45
	39	भाषा विभाग			
53		दत्तमत	11,21,72	10,81,54	40,18
	40	नियोजन विभाग			
54		दत्तमत	1,78,95,99	1,12,51,78	66,44,21
	41	निर्वाचन विभाग			
55		दत्तमत	2,36,93,04	2,00,15,44	36,77,60
	42	न्याय विभाग			
56		दत्तमत	11,62,79,07	9,84,26,72	1,78,52,35
57		*भारित*	*2,07,64,49*	*1,76,32,52*	*31,31,97*
	43	परिवहन विभाग			
58		दत्तमत	1,15,70,34	97,12,93	18,57,41
	44	पर्यटन विभाग			
59		दत्तमत	23,76,56	18,23,73	5,52,83
	45	पर्यावरण विभाग			
60		दत्तमत	3,96,50	3,36,64	59,86
	46	प्रशासनिक सुधार विभाग			
61		दत्तमत	9,82,14	6,68,57	3,13,57
	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग			
62		दत्तमत	2,36,19,21	1,70,10,71	66,08,50
63		*भारित*	*1,02*	..	*1,02*
	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग			
64		दत्तमत	16,49,01,99	15,44,75,62	1,04,26,37
65		*भारित*	*2,05*	*1,70*	*35*
	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग			
66		दत्तमत	43,76,43,62	40,03,46,44	3,72,97,18
67		*भारित*	*1,00*	..	*1,00*
	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)			
68		दत्तमत	6,50,14,07	4,94,66,63	1,55,47,44
69		*भारित*	*17,00*	*12,64*	*4,36*
	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)			
70		दत्तमत	21,40,50,93	17,87,49,08	3,53,01,85
	53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग			
71		दत्तमत	1,21,90	66,33	55,57
	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)			
72		दत्तमत	15,07,60,23	8,26,15,37	6,81,44,86
73		*भारित*	*4,00*	*2,56*	*1,44*
	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)			
74		*भारित*	*5,00*	*1,19*	*3,81*
	59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)			
75		दत्तमत	1,22,71,52	1,21,73,32	98,20

	60	वन विभाग			
76		दत्तमत	4,19,98,91	4,18,32,54	1,66,37
77		*भारित*	*13,70*	-	*13,70*
	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)			
78		दत्तमत	69,59,78,28	68,94,33,00	65,45,28
79		*भारित*	*2,65,01,79,10*	*2,48,56,65,74*	*16,45,13,36*
	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन)			
80		दत्तमत	1,42,08,55,76	1,35,30,79,95	6,77,75,81
	63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)			
81		दत्तमत	2,02,62,01	1,40,47,49	62,14,52
	65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)			
82		दत्तमत	1,71,07,52	1,57,74,71	13,32,81
	66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)			
83		दत्तमत	22,89,19	22,81,65	7,54
84		*भारित*	*1,64,06,13*	*1,64,06,12*	*1*
	67	विधान परिषद सचिवालय			
85		दत्तमत	29,65,32	24,72,14	4,93,18
86		*भारित*	*78,79*	*47,84*	*30,95*
	68	विधान सभा सचिवालय			
87		दत्तमत	82,58,93	72,14,97	10,43,96
88		*भारित*	*1,08,89*	*72,81*	*36,08*
	69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग			
89		दत्तमत	2,36,77,13	1,98,43,08	38,34,05
	70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग			
90		दत्तमत	68,05,97	67,91,66	14,31
	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)			
91		दत्तमत	2,40,80,46,77	2,22,14,66,27	18,65,80,50
	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)			
92		दत्तमत	85,31,31,10	72,54,54,47	12,76,76,63
93		*भारित*	*2,70*	*50*	*2,20*
	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)			
94		दत्तमत	22,87,87,76	14,71,78,74	8,16,09,02
95		*भारित*	*1,00*	-	*1,00*
	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)			
96		दत्तमत	85,61,28	74,62,60	10,98,68
	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)			
97		दत्तमत	10,23,95,40	2,08,80,20	8,15,15,20
98		*भारित*	*10*	-	*10*
	77	श्रम विभाग (सेवायोजन)			
99		दत्तमत	7,71,36,91	5,68,90,12	2,02,46,79
	78	सचिवालय प्रशासन विभाग			
100		दत्तमत	4,76,80,26	4,06,72,42	70,07,84
	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)			
101		दत्तमत	19,12,01,19	18,49,69,19	62,32,00
	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)			
102		दत्तमत	34,41,79,46	33,91,25,48	50,53,98

	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)			
103		दत्तमत	59,84,57	46,51,64	13,32,93
104		*भारित*	*10*	-	*10*
	82	सतर्कता विभाग			
105		दत्तमत	33,86,96	28,48,10	5,38,86
106		*भारित*	*3,60,37*	*3,52,33*	*8,04*
	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)			
107		दत्तमत	71,74,37,26	54,12,26,80	17,62,10,46
	84	सामान्य प्रशासन विभाग			
108		दत्तमत	64,80,76	2,93,48	61,87,28
	85	सार्वजनिक प्रतिष्ठान विभाग			
109		दत्तमत	4,47,85	3,84,55	63,30
	86	सूचना विभाग			
110		दत्तमत	1,44,94,18	56,83,62	88,10,56
	87	सैनिक कल्याण विभाग			
111		दत्तमत	42,94,06	34,29,91	8,64,15
	88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)			
112		दत्तमत	5,27,84	4,88,59	39,25
	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्यिक कर)			
113		दत्तमत	4,67,61,09	4,31,77,93	35,83,16
	90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन एवं बाजी कर)			
114		दत्तमत	70,43,45	69,82,45	61,00
	91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)			
115		दत्तमत	2,43,33,02	2,38,99,94	4,33,08
116		*भारित*	*4*	-	*4*
	92	संस्कृति विभाग			
117		दत्तमत	39,93,58	36,03,17	3,90,41
118		*भारित*	*5*	-	*5*
	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)			
119		दत्तमत	21,81,42,80	19,82,63,73	1,98,79,07
	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)			
120		दत्तमत	27,14,52,21	22,31,11,72	4,83,40,49
121		*भारित*	*50,00*	*27,67*	*22,33*
		योग दत्तमत	**12,75,32,54,76**	**11,27,68,90,20**	**1,47,63,64,56**
		योग *भारित*	***2,69,72,15,62***	***2,52,86,06,27***	***16,86,09,35***
		योग राजस्व	**15,45,04,70,38**	**13,80,54,96,47**	**1,64,49,73,91**
		पूँजीगत			
	1	आबकारी विभाग			
1		दत्तमत	2,89,19	1,18,20	1,70,99
	2	आवास विभाग			
2		दत्तमत	4,78,76,24	4,76,33,38	2,42,86
	3	उद्योग विभाग (लघु एवं निर्यात प्रोत्साहन)			
3		दत्तमत	3,49,15	3,35,35	13,80
	4	उद्योग विभाग (खानें एवं खनिज)			
4		दत्तमत	7,00,00	5,36,16	1,63,84

	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)			
5		दत्तमत	1,55,01,07	1,54,94,61	6,46
	8	उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री)			
6		दत्तमत	5,00,00	1,76,50	3,23,50
	9	ऊर्जा विभाग			
7		दत्तमत	31,92,52,00	31,63,58,78	28,93,22
	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)			
8		दत्तमत	8,20,00	7,28,25	91,75
	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)			
9		दत्तमत	7,17,01,56	5,39,29,00	1,77,72,56
	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)			
10		दत्तमत	25,85,71,28	23,82,49,12	2,03,22,16
	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)			
11		दत्तमत	6,25,78,97	3,02,50,75	3,23,28,22
	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)			
12		दत्तमत	17,40,60	7,05,53	10,35,07
	16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)			
13		दत्तमत	20,00,00	..	20,00,00
	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)			
14		दत्तमत	22,52,58	6,94,58	15,58,00
15		*भारित*	*10,32,82*	*9,66,57*	*66,25*
	19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)			
16		दत्तमत	9,00,00	..	9,00,00
	21	खाद्य एवं रसद विभाग			
17		दत्तमत	96,44,12,57	86,04,63,45	10,39,49,12
18		*भारित*	*9,17,68,60*	*9,16,07,77*	*1,60,83*
	22	खेल विभाग			
19		दत्तमत	89,90,09	89,90,06	3
	25	गृह विभाग (कारागार)			
20		दत्तमत	1,30,10,31	1,29,10,59	99,72
	26	गृह विभाग (पुलिस)			
21		दत्तमत	7,14,11,75	3,50,87,44	3,63,24,31
	27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)			
22		दत्तमत	13,37,46	5,46,65	7,90,81
	28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)			
23		दत्तमत	30,00	..	30,00
	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)			
24		दत्तमत	7,11,45,58	6,90,96,18	20,49,40
	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)			
25		दत्तमत	5,83,68,94	3,53,00,82	2,30,68,12
	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)			
26		दत्तमत	35,38,71	28,08,33	7,30,38
	34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी)			
27		दत्तमत	30,31,74	29,39,78	91,96
	36	चिकित्सा विभाग (लोक स्वास्थ्य)			

28		दत्तमत	26,53,00	-	26,53,00
	37	नगर विकास विभाग			
29		दत्तमत	33,88,11,39	26,50,11,98	7,37,99,41
	38	नागरिक उड्डयन विभाग			
30		दत्तमत	55,00,00	23,97,82	31,02,18
	40	नियोजन विभाग			
31		दत्तमत	19,59,49,99	14,99,79,88	4,59,70,11
	42	न्याय विभाग			
32		दत्तमत	4,14,22,30	3,92,99,18	21,23,12
33		*भारित*	*62,79,51*	*10,91,76*	*51,87,75*
	43	परिवहन विभाग			
34		दत्तमत	12,91,74	11,47,85	1,43,89
	44	पर्यटन विभाग			
35		दत्तमत	99,13,12	71,24,21	27,88,91
	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग			
36		दत्तमत	2,66,95,88	1,34,65,34	1,32,30,54
	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग			
37		दत्तमत	6,96,06,74	5,31,33,57	1,64,73,17
	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग			
38		दत्तमत	28,00,00	25,15,31	2,84,69
	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)			
39		दत्तमत	1,24,76,79	1,08,16,29	16,60,50
	51	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के सम्बन्ध में राहत)			
40		दत्तमत	20,00,00	8,39	19,91,61
	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)			
41		दत्तमत	7,92,94	5,24,06	2,68,88
42		*भारित*	*10,51*	-	*10,51*
	53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग			
43		दत्तमत	1,00	-	1,00
	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)			
44		*भारित*	*1,05,00*	*1,04,94*	*6*
	56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम)			
45		दत्तमत	2,70,00,00	2,51,39,53	18,60,47
	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)			
46		*भारित*	*6,55,00*	*1,85,42*	*4,69,58*
	59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)			
47		दत्तमत	1,01,52,52	1,01,45,61	6,91
	60	वन विभाग			
48		दत्तमत	1,46,03,94	1,40,50,31	5,53,63
	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)			
49		दत्तमत	3,31,40,05	1,08,76,43	2,22,63,62
50		*भारित*	*1,80,44,06,40*	*81,09,90,44*	*99,34,15,96*
	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन)			
51		दत्तमत	1,50,00,00	56,68,33	93,31,67
	63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)			

52		दत्तमत	16,99,34	13,90,03	3,09,31
	65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)			
53		दत्तमत	8,00	-	8,00
	67	विधान परिषद सचिवालय			
54		दत्तमत	14,00	10,00	4,00
	68	विधान सभा सचिवालय			
55		दत्तमत	76,27	63,94	12,33
	69	व्यवसायिक शिक्षा विभाग			
56		दत्तमत	90,35,79	32,16,05	58,19,74
	70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग			
57		दत्तमत	1,02,00,00	-	1,02,00,00
	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)			
58		दत्तमत	38,71,50	35,34,25	3,37,25
	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)			
59		दत्तमत	2,15,93,53	92,17,51	1,23,76,02
	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)			
60		दत्तमत	10,04	-	10,04
	77	श्रम विभाग (रोजगार)			
61		दत्तमत	26,25	25,25	1,00
	78	सचिवालय प्रशासन विभाग			
62		दत्तमत	8,45,00	-	8,45,00
	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)			
63		दत्तमत	1,71,89,90	73,58,29	98,31,61
	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)			
64		दत्तमत	22,66,63	12,46,67	10,19,96
	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)			
65		दत्तमत	34,77,89,80	28,89,06,16	5,88,83,64
	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)			
66		दत्तमत	9,71,74	9,49,17	22,57
	91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)			
67		दत्तमत	1,53,00	1,29,79	23,21
	92	संस्कृति विभाग			
68		दत्तमत	36,36,60	35,50,81	85,79
	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)			
69		दत्तमत	30,33,62,05	22,27,85,52	8,05,76,53
70		*भारित*	*15,00,00*	*9,15,91*	*5,84,09*
योग दत्तमत			**3,56,10,68,58**	**2,93,52,38,99**	**62,58,29,59**
योग भारित			***1,90,97,09,40***	***90,98,14,37***	***99,98,95,03***
योग पूँजीगत			**5,47,07,77,98**	**3,84,50,53,36**	**1,62,57,24,62**
महायोग (राजस्व एवं पूँजीगत)			**20,92,12,48,36**	**17,65,05,49,83**	**3,27,06,98,53**

परिशिष्ट

2.2 अनुदानों / विनियोगों का विवरण, जहाँ प्रत्येक में बचत ₹ 10 करोड़ से अधिक अथवा कुल प्रावधान के 20 *प्रतिशत* से अधिक थी

(संदर्भः प्रस्तर 2.3.1; पृष्ठ 46)

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान / विभाग का नाम	कुल प्रावधान	बचत	*प्रतिशत*
		राजस्व –दत्तमत			
1	2	आवास विभाग	138.49	23.51	17
2	6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	104.53	40.21	38
3	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	69.85	51.79	74
4	8	उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री)	134.03	12.25	9
5	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	196.61	27.79	14
6	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	2,690.05	644.92	24
7	12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	306.00	88.54	29
8	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	1,428.23	103.79	7
9	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	3,873.89	907.53	23
10	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	507.06	23.06	5
11	16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	84.50	12.39	15
12	17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	80.11	33.17	41
13	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	1,153.56	21.05	2
14	19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण एवं अन्य व्यय)	8.85	4.20	47
15	21	खाद्य एवं रसद विभाग	72.58	11.08	15
16	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	141.35	24.54	17
17	26	गृह विभाग (पुलिस)	9,691.40	793.40	8
18	27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	476.52	70.43	15
19	28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	141.32	27.91	20
20	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	1,169.99	86.09	7
21	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	3,212.19	403.79	13
22	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	2,556.89	221.25	9
23	36	चिकित्सा विभाग (लोक स्वास्थ्य)	439.69	45.48	10
24	37	नगर विकास विभाग	1,150.51	238.51	21
25	40	नियोजन विभाग	178.96	66.44	37
26	41	निर्वाचन विभाग	236.93	36.78	16
27	42	न्याय विभाग	1,162.79	178.52	15
28	43	परिवहन विभाग	115.70	18.57	16
29	44	पर्यटन विभाग	23.77	5.53	23
30	46	प्रशासनिक सुधार विभाग	9.82	3.14	32

31	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	236.19	66.09	28
32	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	1,649.02	104.26	6
33	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	4,376.44	372.97	9
34	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	650.14	155.47	24
35	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	2,140.51	353.02	16
36	53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	1.22	0.56	46
37	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	1,507.60	681.45	45
38	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	6,959.78	65.45	1
39	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	14,208.56	677.76	5
40	63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	202.62	62.15	31
41	65	वित्त विभाग (लेखापरीक्षा, अल्प बचत आदि)	171.08	13.33	8
42	68	विधान सभा सचिवालय	82.59	10.44	13
43	69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	236.77	38.34	16
44	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	24,080.47	1,865.81	8
45	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	8,531.31	1,276.77	15
46	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2,287.88	816.09	36
47	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	85.61	10.99	13
48	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	1,023.95	815.15	80
49	77	श्रम विभाग (रोजगार)	771.37	202.47	26
50	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	476.80	70.08	15
51	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	1,912.01	62.32	3
52	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	3,441.79	50.54	1
53	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	59.85	13.33	22
54	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	7,174.37	1,762.10	25
55	84	सामान्य प्रशासन विभाग	64.81	61.87	95
56	86	सूचना विभाग	144.94	88.11	61
57	87	सैनिक कल्याण विभाग	42.94	8.64	20
58	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्यिक कर)	467.61	35.83	8
59	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	2,181.43	198.79	9
60	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	2,714.52	483.40	18
		निवल योग	**1,19,440.35**	**14,649.24**	**-**
		राजस्व –भारित			
1	1	आबकारी विभाग	0.20	0.14	70
2	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	0.15	0.08	53
3	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	0.16	0.06	38
4	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	0.01	0.01	100
5	25	गृह विभाग (कारागार)	0.10	0.10	100
6	26	गृह विभाग (पुलिस)	0.75	0.20	27
7	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	0.20	0.20	100
8	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	0.16	0.15	94

9	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	0.02	0.02	100
10	42	न्याय विभाग	207.64	31.32	15
11	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	0.01	0.01	100
12	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	0.01	0.01	100
13	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	0.17	0.04	24
14	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	0.04	0.01	25
15	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	0.05	0.04	80
16	60	वन विभाग	0.14	0.14	100
17	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	26,501.79	1,645.13	6
18	67	विधान परिषद सचिवालय	0.79	0.31	39
19	68	विधान सभा सचिवालय	1.09	0.36	33
20	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	0.03	0.02	67
21	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	0.01	0.01	100
22	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	0.50	0.22	44
		निवल योग	**26,714.02**	**1,678.58**	**-**
		पूंजीगत –दत्तमत			
1	1	आबकारी विभाग	2.89	1.71	59
2	4	उद्योग विभाग (खानें एवं खनिज)	7.00	1.64	23
3	8	उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री)	5.00	3.24	65
4	9	ऊर्जा विभाग	3,192.52	28.93	1
5	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	717.02	177.73	25
6	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	2,585.71	203.22	8
7	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	625.79	323.28	52
8	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	17.41	10.35	59
9	16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	20.00	20.00	100
10	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	22.53	15.58	69
11	19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण एवं अन्य व्यय)	9.00	9.00	100
12	21	खाद्य एवं रसद विभाग	9,644.13	1,039.49	11
13	26	गृह विभाग (पुलिस)	714.12	363.24	51
14	27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	13.37	7.91	59
15	28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	0.30	0.30	100
16	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	711.46	20.49	3
17	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	583.69	230.68	40
18	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	35.39	7.30	21
19	36	चिकित्सा विभाग (लोक स्वास्थ्य)	26.53	26.53	100
20	37	नगर विकास विभाग	3,388.11	737.99	22
21	38	नागरिक उड्डयन विभाग	55.00	31.02	56
22	40	नियोजन विभाग	1,959.50	459.70	23
23	42	न्याय विभाग	414.22	21.23	5
24	44	पर्यटन विभाग	99.13	27.89	28
25	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	266.96	132.31	50
26	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	696.07	164.73	24
27	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	124.77	16.61	13

28	51	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के सम्बन्ध में राहत)	20.00	19.92	99
29	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	7.93	2.69	34
30	53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	0.01	0.01	100
31	56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम)	270.00	18.60	7
32	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	331.40	222.64	67
33	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	150.00	93.32	62
34	65	वित्त विभाग (लेखापरीक्षा, अल्प बचत आदि)	0.08	0.08	100
35	67	विधान परिषद सचिवालय	0.14	0.04	29
36	69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	90.36	58.20	64
37	70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	102.00	102.00	100
38	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	215.94	123.76	57
39	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	0.10	0.10	100
40	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	8.45	8.45	100
41	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	171.90	98.32	57
42	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	22.67	10.20	45
43	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	3,477.90	588.84	17
44	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	3,033.62	805.77	27
		निवल योग	**33,840.12**	**6,235.04**	**-**
		पूंजीगत –भारित			
1	42	न्याय विभाग	62.80	51.88	83
2	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	0.11	0.11	100
3	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	6.55	4.70	72
4	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	18,044.06	9,934.16	55
5	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	15.00	5.84	39
		निवल योग	**18,128.52**	**9,996.69**	**-**
		महायोग	**1,98,123.01**	**32,559.55**	**-**

परिशिष्ट 2.3

अनुदानों/विनियोगों का विवरण, जहाँ प्रत्येक के अन्तर्गत व्यय ₹ 10 करोड़ से अधिक अथवा कुल प्रावधान के 20 *प्रतिशत* से अधिक था

(संदर्भः प्रस्तर 2.3.3; पृष्ठ 50)

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान/विभाग का नाम	कुल अनुदान	कुल व्यय	अधिक व्यय की प्रतिशतता
राजस्व –दत्तमत					
1	51	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के सम्बन्ध में राहत)	638.93	1,107.85	73.00
2	57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सेतु)	16.00	20.02	25.00
3	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	1,798.08	1,964.20	9.00
		योग	**2,453.01**	**3,092.07**	**-**
राजस्व –भारित					
1	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	0.19	0.48	153.00
2	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	16.51	54.77	232.00
		योग	**16.70**	**55.25**	**-**
पूंजीगत –दत्तमत					
1	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	40.92	112.89	176.00
2	57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सेतु)	1,189.10	1,289.83	8.47
3	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	3,444.10	5,596.47	62.00
		योग	**4,674.12**	**6,999.19**	**-**
		महायोग	**7,143.83**	**10,146.51**	**-**

परिशिष्ट

2.4 प्रकरण, जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(संदर्भः प्रस्तर 2.3.6; पृष्ठ 52)

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	अनुपूरक प्रावधान	मूल प्रावधान के विरूद्ध बचत
		राजस्व –दत्तमत				
1	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	186.61	168.82	10.00	17.79
2	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	2,688.55	2,045.13	1.50	643.42
3	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	1,420.93	1,324.44	7.30	96.49
4	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	501.23	483.99	5.83	17.24
5	26	गृह विभाग (पुलिस)	9,663.33	8,898.00	28.07	765.33
6	28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	124.92	113.42	16.40	11.50
7	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	1,168.49	1,083.90	1.50	84.59
8	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	3,207.14	2,808.40	5.05	398.74
9	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	2,476.89	2,335.64	80.00	141.25
10	37	नगर विकास विभाग	1,126.51	912.00	24.00	214.51
11	41	निर्वाचन विभाग	218.59	200.15	18.34	18.44
12	42	न्याय विभाग	1,146.36	984.27	16.43	162.09
13	44	पर्यटन विभाग	22.27	18.24	1.50	4.03
14	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	4,307.44	4,003.46	69.00	303.98
15	65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा,अल्प बचत आदि)	164.95	157.75	6.12	7.20
16	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	23,680.47	22,214.66	400.00	1,465.81
17	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	8,228.70	7,254.54	302.62	974.16
18	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	451.30	406.72	25.50	44.58
19	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	54.79	46.52	5.06	8.27
20	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	6,626.97	5,412.27	547.40	1,214.70
21	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	2,514.47	2,231.12	200.05	283.35
		योग	**69,980.91**	**63,103.44**	**1,771.67**	**6,877.47**

राजस्व –भारित						
1	42	न्याय विभाग	196.06	176.33	11.58	19.73
		योग	**196.06**	**176.33**	**11.58**	19.73
पूंजीगत–दत्तमत						
1	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	716.02	539.29	1.00	176.73
2	21	खाद्य एवं रसद विभाग	8,796.21	8,604.63	847.92	191.58
3	40	नियोजन विभाग	1,549.50	1,499.80	410.00	49.70
4	44	पर्यटन विभाग	98.13	71.24	1.00	26.89
5	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	238.24	134.65	28.72	103.59
6	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	214.19	92.18	1.75	122.01
7	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	3,018.62	2,227.86	15.00	790.76
		योग	**14,630.91**	**13,169.65**	**1,305.39**	**1,461.26**
पूंजीगत–भारित						
1	42	न्याय विभाग	15.80	10.92	47.00	4.88
		योग	**15.80**	**10.92**	**47.00**	**4.88**
		महायोग	**84,823.68**	**76,460.34**	**3,135.64**	**8,363.34**

परिशिष्ट 2.5

अनुदानों/विनियोगों का विवरण, जहाँ प्रत्येक में ₹ दो करोड़ से अधिक के अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुए

(सन्दर्भः प्रस्तर 2.3.6; पृष्ठ 52)

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान सं0	अनुदान/विनियोग का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक अनुदान	कुल प्रावधान	कुल व्यय	आधिक्य
पूंजीगत–दत्तमत							
1	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	3,134.10	310.00	3,444.10	5,596.47	2,152.37
		योग	**3,134.10**	**310.00**	**3,444.10**	**5,596.47**	**2,152.37**

परिशिष्ट 2.6

निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोग

(सन्दर्भः प्रस्तर 2.3.7; पृष्ठ 52)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	पुनर्विनियोग	आधिक्य	बचत
1.	**01**	आबकारी विभाग	2039-001-05	30.00	00	13.12
2.	**03**	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	2852-001-03	80.00	00	0.44
3.	**07**	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	6885-190-03	98.82	00	100.00
4.	**08**	उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री)	2058-001-03	5.91	0.22	00
5.			2058-103-03	12.30	00	29.48
6.			2058-103-04	0.73	00	11.68
7.	**11**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	2401-001-05	280.00	00	1.78
8.			2401-109-03	200.00	00	13.76
9.			2401-109-06	5.44	00	5.44
10.			2402-101-05	100.83	00	0.76
11.			2402-103-07	235.75	00	0.09
12.			2415-120-09	100.00	0.24	00
13.	**13**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	2702-005-03	189.38	35.36	00
14.			2702-005-06	38.77	00	0.15
15.			2515-102-06	628.78	00	96.29
16.	**14**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	2070-800-03	30.40	15.77	00
17.			2070-800-05	8.20	00	2.28
18.			2070-800-06	111.40	00	4.96
19.	**15**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	2403-001-03	111.85	00	6.18
20.			2403-104-01	25.00	25	00
21.			2403-113-01	180.00	0.02	00
22.	**21**	खाद्य तथा रसद विभाग	4059-051-06	365.08	00	365.08
23.	**25**	गृह विभाग (कारागार)	2056-101-03	143.57	00	3.95
24.			2056-800-04	2.90	00	0.13
25.	**26**	गृह विभाग (पुलिस)	2055-001-03	11.29	00	80.83
26.			2055-003-04	34.35	00	5,816.16
27.			2055-101-03	34.20	00	2,232.08
28.			2055-101-04	404.33	00	2,035.87

29.			2055-104-03	1,420.39	00	5,337.82
30.			2055-104-06	89.70	00	426.71
31.			2055-108-03	15.17	00	298.97
32.			2055-109-03	3,280.66	00	38,566.98
33.			2055-109-05	1,257.47	00	1,371.72
34.			2055-111-03	133.14	00	682.20
35.			2055-114-03	2.00	00	226.92
36.			2055-116-03	40.87	00	384.57
37.			2055-800-03	1.13	00	358.01
38.			2070-105-03	26.28	00	8,094.93
39.			2055-109-04	1,196.63	00	150.15
40.			2055-109-07	195.42	00	127.39
41.			2055-800-04	1,100.00	00	624.15
42.			2235-200-03	220.00	23.11	00
43.			4055-207-04	900.00	00	5,918.19
44.	**27**	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	2070-106-03	4.98	00	14.60
45.			2070-107-03	28.91	00	4,964.98
46.			2070-107-04	24.85	00	212.88
47.			2070-107-09	234.57	00	176.25
48.			2070-800-03	3.31	31. 23	00
49.			2235-200-03	6.72	00	0.25
50.			4070-800-06	0.47	00	106.93
51.	**28**	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	3055-190-03	36.08	00	0.28
52.	**29**	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	2012-103-03	0.20	00	4.44
53.	**31**	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	2210-110-15	629.55	00	749.91
54.			2210-105-05	60.00	00	38.22
55.			4210-105-51	120.12	00	124.29
56.			4210-105-21	1,400.00	00	0.02
57.			4210-105-53	5,308.98	00	100.12
58.	**32**	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	4210-110-64	5,476.36	00	8,690.66
59.			4210-110-78	1,155.41	00	0.91
60.	**33**	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	2210-02-103-03	22.69	00	25.53
61.			2210-05-103-03	54.92	00	29.98
62.	**35**	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	2211-200-01	600.00	00	126.03
63.			2211-102-01	1,200.00	00	97.54
64.			2211-800-01	1,469.21	00	328.61

65.	**37**	नगर विकास विभाग	2053-094-04	118.47	00	3.92
66.			2015-800-04	250.50	00	192.33
67.			2217-800-01	60.21	00	0.01
68.			4215-191-03	2,127.00	00	106.68
69.			4215-192-03	1,315.17	00	42.54
70.			4070-800-03	19,000.00	00	123.40
71.			4217-192-03	254.52	5,078.02	00
72.	**40**	नियोजन विभाग	2575-800-04	102.00	00	1,195.48
73.			2575-105-03	58.00	5.00	00
74.			4215-101-03	2,000.00	00	2,204.75
75.			4575-800-04	7,514.48	00	34,029.31
76.			4575-800-11	62.48	00	62.48
77.			5054-101-03	500.00	00	3,164.05
78.			4215-106-03	2,000.00	00	0.01
79.			4575-337-03	117.54	28.68	00
80.			4575-800-09	47.81	50.25	00
81.			4575-800-10	35.07	62.48	00
82.			4702-800-03	100.00	00	4.86
83.			4801-800-03	600.00	00	70.32
84.			5054-337-03	39,162.71	00	292.46
85.	**41**	निर्वाचन विभाग	2015-103-05	23.46	0.30	00
86.			2015-105-03	32.49	00	0.01
87.			2015-106-04	8.99	00	0.04
88.			2015-106-06	6.18	17.62	00
89.	**42**	न्याय विभाग	2014-105-03	215.00	00	2,073.78
90.			2014-114-03	35.00	00	52.11
91.			2014-800-10	95.00	00	2,428.78
92.			2235-200-04	2.72	00	328.61
93.			2014-110-03	20.00	00	15.89
94.			2014-800-03	74.64	00	21.39
95.			2014-800-12	615.00	00	519.48
96.			2071-800-03	150.00	00	85.36
97.			4059-051-01	1,700.00	00	166.80
98.			4059-051-05	150.00	00	0.02
99.			4216-700-03	100.00	00	10.98
100.	**43**	परिवहन विभाग	4059-051-03	62.32	00	106.19
101.	**44**	पर्यटन विभाग	3452-800-03	80.00	00	0.09
102.			3452-800-16	2.32	2.32	00

103.			3452-800-01	55.00	2.32	00
104.	**47**	प्राविधिक शिक्षा विभाग	2203-105-18	120.40	00	3.34
105.			2203-105-19	36.00	00	1.85
106.	**49**	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	2235-102-01	1,800.00	00	26,306.55
107.	**50**	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	2053-101-03	24.57	00	13.53
108.	**52**	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	2029-800-05	1,080.00	00	448.39
109.	**54**	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	2059-001-04	1,101.00	00	995.80
110.	**55**	लोक निर्माण विभाग (भवन)	4059-051-21	400.00	257.75	00
111.			4059-051-23	136.97	00	106.58
112.	**57**	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सेतु)	5054-101-34	10,000.00	2,400.37	00
113.	**58**	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	5054-337-03	2,100.00	7,003.27	00
114.			5054-337-13	4,932.93	59.86	00
115.			5054-337-14	2,300.00	14,426.51	00
116.			5054-337-57	13,873.00	11,521.52	00
117.			5054-337-75	500.00	437.07	00
118.			5054-337-84	10,500.00	00	547.38
119.			5054-800-04	3,000.00	2,190.69	00
120.	**59**	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	2013-800-03	24.56	00	14.84
121.			2052-090-03	190.26	00	28.65
122.			2052-090-04	28.00	00	1.16
123.			2070-115-03	15.00	00	1.14
124.			2216-700-09	43.00	00	0.01
125.			4059-051-04	364.80	00	0.01
126.	**60**	वन विभाग	2406-02-110-01	38.26	15.74	00
127.			4406-02-110-01	19.76	37.81	00
128.	**61**	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	2049-101-05	19.23	00	2.25
129.	**69**	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	2230-003-14	42.70	00	3.58
130.	**72**	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	2202-001-03	3.70	00	404.35
131.			2202-101-03	3.23	00	298.97
132.			2202-109-08	1,260.00	00	931.92
133.			4202-202-08	60.00	00	60.00

134.	**73**	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2202-102-01	49.63	00	0.01
135.			2202-103-03	275.00	00	583.01
136.			2202-104-03	4,520.00	00	4,526.84
137.			2202-800-03	176.43	11.34	00
138.	**75**	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	2202-003-03	30.50	0.04	00
139.			2202-003-07	74.57	0.25	00
140.			2202-003-09	29.60	7.83	00
141.			2202-003-15	19.01	00	0.63
142.			2202-003-20	44.07	00	5.63
143.			2202-800-01	35.11	00	4.94
144.			2202-800-05	12.00	12.89	00
145.	**76**	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	2230-001-03	4.51	7.36	00
146.			2230-004-03	0.06	0.46	00
147.			2230-103-03	7.02	0.45	00
148.			2230-103-04	2.39	00	40.48
149.			2230-800-03	0.05	00	0.81
150.			2210-102-05	98.80	00	5.06
151.			2230-102-03	4.70	00	2.36
152.	**78**	सचिवालय प्रशासन विभाग	2052-090-03	210.50	743.20	00
153.			2251-090-03	15.00	4.62	00
154.			3451-090-03	15.00	00	121.84
155.			2220-800-03	37.04	00	1.94
156.	**79**	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	2235-101-22	15.54	00	15.54
157.			2225-277-03	4,054.00	92.56	00
158.			2235-101-07	350.00	133.72	00
159.			2235-101-25	3.86	2.74	00
160.	**80**	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	2225-277-04	30.00	00	152.48
161.			2235-105-04	5.79	00	61.09
162.			2225-277-03	84.76	00	55.04
163.			2225-277-13	100.00	113.07	00
164.			2225-793-03	600.00	00	214.36
165.	**83**	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	2209-789-06	87.23	00	2,476.90
166.			2225-789-12	4,000.00	00	426.49
167.			2230-789-04	230.00	00	481.76
168.			2225-789-01	31,451.12	00	11,655.04
169.			2403-789-01	228.11	00	5.38
170.			4406-789-03	1,718.98	00	0.01
171.			5054-789-10	43,008.40	00	1,425.57

172.	**86**	सूचना विभाग	2220-106-03	67.46	0.32	00
173.	**90**	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन एवं बाजीकर)	2045-101-03	19.08	00	0.33
174.	**91**	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	2030-001-03	1.84	00	0.02
175.	**92**	संस्कृति विभाग	2205-103-01	15.96	0.01	00
176.			4202-106-04	197.60	00	4.77
177.	**94**	सिंचाई विभाग (निर्माण)	4700-051-11	43.00	00	0.40
178.			4700-04-051-10	686.23	00	0.01
179.			4700-26-051-10	1,500.00	00	0.04
180.			4700-27-051-10	1,050.00	00	797.14
181.			4700-052-07	500.00	00	13.60
182.			4700-051-10	555.55	1,197.56	00
183.			4701-051-10	8.49	00	3.28
184.			4701-005-10	130.10	00	15.47
185.			4702-101-04	1,000.00	00	9.46
186.			4711-103-06	96.40	3,135.45	00
			योग	**2,61,557.40 अथवा 2,615.57 करोड़**	**49,161.17 अथवा 491.61करोड़**	**1,89,761.80 अथवा 1,897.62 करोड़**

परिशिष्ट 2.7

वर्ष 2012-13 में अत्यधिक धनराशियों का समर्पण

(सन्दर्भः प्रस्तर 2.3.8; पृष्ठ 52)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखाशीर्ष)	प्रावधान	अभ्यर्पित धनराशि	अभ्यर्पित धनराशि (*प्रतिशत* में)	अभ्यर्पण का कारण
1	**1**	आबकारी विभाग	4059-051-03 आबकारी विभाग में कार्यालय और गोदाम के निर्माण हेतु एकमुश्त प्रावधान	289.19	170.75	59	प्रस्ताव आदि के अनुमोदन न होने के कारण
2	**2**	आवास विभाग	2217-800-06 स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थानों, पार्कों एवं उद्यानों के रख– रखाव एवं स्वच्छता	100.00	100.00	100	कॉर्पस निधि पर अर्जित ब्याज के उपयोग के कारण
3	**3**	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	2851-102-06 जिला उद्योग केन्द्र	4.00	3.60	90	वास्तविक आधार पर भुगतान के कारण
4	**7**	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	2852-800-06 न्यायालय में सूट्स का अनुसरण	50.00	45.55	91	कम व्यय के कारण
5			2852-800-08 पी.पी.पी. परियोजना तथा सार्वजनिक क्षेत्र एवं सहकारी इकाईयों में विनिवेश एवं निजीकरण	655.00	655.00	100	परिपक्व प्रस्ताव की प्राप्ति न होने के कारण
6	**8**	उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री)	4058-103-03 शासकीय मुद्रणालयों के लिए मशीनरी तथा उपकरण एवं संयंत्रों का क्रय	500.00	323.50	65	प्राप्त निविदा में मशीनों का दर अधिक होने के कारण
7	**10**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	2401-119-01 केंद्रीय योजना / केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	2,763.35	1,873.25	68	कारण नहीं बताया गया
8	**11**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	2401-103-06 मक्का के संकर बीज के उत्पादन हेतु प्रोत्साहन योजना	3,301.01	2,684.12	81	लक्ष्य में कटौती के कारण
9			2401-103-07 ग्रीष्म मूँगफली के उत्पादन हेतु प्रोत्साहन योजना	250.00	149.03	60	कार्य योजना को विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण
10			2401-108-01 केंद्रीय योजना / केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	134.80	90.71	67	प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण

11			2401-109-01 केंद्रीय योजना / केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	1,700.00	875.47	52	कार्य योजना में कटौती के कारण
12			2401-109-07 कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु कृषि विस्तार / कृषि निवेश एवं तकनीकी प्रबंधन	3,050.00	1,877.84	62	किसान सेवा रथ का संचालन न होने के कारण
13			2401-109-08 कृषि विकास हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग	819.28	819.28	100	कार्य योजना के अनुमोदन की प्राप्ति न होने के कारण
14			2401-110-04 भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लि0 को फसल बीमा के किस्तों का भुगतान	5,500.00	5,052.51	92	प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति होने के कारण
15			2401-111-01 केंद्रीय योजना / केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	948.92	480.36	51	पद रिक्त रहने के कारण
16			2401-111-05 फसल उत्पादन के बैंक आँकड़े एवं सांख्यिकी का उत्पादन	2,226.76	2,226.76	100	कार्य योजना के अनुमोदन की प्राप्ति न होने के कारण
17			2401-112-04 दलहन / तिलहन उत्पादन में वृद्धि हेतु अंतर्फसल कृषि योजनाएँ	2,500.00	2,375.67	95	कार्य योजना में कटौती के कारण
18			2401-800-01 केंद्रीय योजना / केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	118.44	118.44	100	भारत सरकार से धनराशि की अवमुक्ति न होने के कारण
19			2402-102-03 बुंदेलखण्ड क्षेत्र में सिंचाई एवं वर्षा जल संचयन योजना	1,859.43	1,859.43	100	दरों का अनुमोदन न होने के कारण
20			2402-103-06 मृदा के सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने तथा भूमि सुधार हेतु जिप्सम का वितरण	1,748.00	972.35	56	जिप्सम उपलब्ध न होने के कारण
21			2415-120-23 कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों में शोध कार्यक्रम	255.33	150.12	59	वांछनीय प्रस्ताव की प्राप्ति न होने के कारण
22			2415-120-26 उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद में कृषि अनुसंधान सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण	170.69	170.69	100	वांछनीय प्रस्ताव की प्राप्ति न होने के कारण
23			4401-800-03 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	4,000.00	3,412.76	85	एसएलएससी द्वारा अनुमोदन के कारण

24			4415-277-09 फैजाबाद कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत मत्स्य महाविद्यालय की स्थापना	6.89	6.89	100	प्रस्ताव की प्राप्ति न होने के कारण
25	**13**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	2515-102-01 केंद्रीय योजना / केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	198.00	132.00	67	कारण नहीं बताया गया
26			2702-005-04 भूमि जल संसाधनों को मानचित्रित करना एवं गहरे भूमि जल संसाधनों का पैरामीटर परीक्षण	60.00	51.11	85	कारण नहीं बताया गया
27			2702-005-05 जी.आई.एस. आधारित मानचित्र	70.00	54.43	78	कारण नहीं बताया गया
28			2702-005-06 वर्षा जल संचयन / रिचार्जिंग	70.00	58.79	84	कारण नहीं बताया गया
29			2702-800-01 केंद्रीय योजना / केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	148.45	127.97	86	निधि का उपयोग न किये जाने के कारण
30	**14**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	2070-800-01 केंद्रीय योजना / केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	8,825.99	6,417.13	73	कारण नहीं बताया गया
31			2204-104-01 केंद्रीय योजना / केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	1,623.20	1,089.08	67	कारण नहीं बताया गया
32			2575-800-03 पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम	6,337.05	5,116.05	81	कारण नहीं बताया गया
33			4070-800-04 अपूर्ण ग्रामीण स्टेडियमों का निर्माण	40.00	40.00	100	कारण नहीं बताये गये
34			4575-192-03 पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम	5,622.96	3,082.72	55	कारण नहीं बताया गया
35			4575-196-03 पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम	9,152.15	5,925.63	65	कारण नहीं बताया गया
36			4575-197-03 पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम	4,576.08	2,727.25	60	कारण नहीं बताया गया
37			4575-198-03 पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम	32,032.53	18,028.95	56	कारण नहीं बताये गये

38	**15**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	2403-103-01 केंद्रीय योजना / केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	700.00	474.00	68	केंद्रांश की प्राप्ति न होने के कारण
39			4403-106-04 राज्य पशुधन एवं कृषि फॉर्म	23.50	12.68	54	प्रशासनिक स्वीकृति की प्राप्ति न होने के कारण
40			4403-107-01 केंद्रीय योजना / केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	750.00	699.30	93	केंद्रांश की कम प्राप्ति होने के कारण
41	**16**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	2404-191-01 केंद्रीय योजना / केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	1,000.00	809.76	81	भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण
42	**17**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	2405-109-01 केंद्रीय योजना / केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	28.00	28.00	100	भारत सरकार से निधि की प्राप्ति न होने के कारण
43	**18**	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	2425-800-04 एकीकृत विकास परियोजनाएँ (एन.सी. डी.सी. से वित्तपोषित)	812.64	546.00	67	एनसीडीसी द्वारा परियोजनाओं का अनुमोदन न होने के कारण
44			4425-200-05 एकीकृत सहकारी विकास योजना के अंतर्गत सहकारी साझा पूँजी में निवेश	1,271.36	940.00	74	एनसीडीसी द्वारा परियोजनाओं का अनुमोदन न होने के कारण
45			6425-800-04 एकीकृत सहकारी विकास योजना के अंतर्गत ऋण (एन.सी. डी.सी. से वित्तपोषित)	981.22	618.00	63	आईसीडीपी द्वारा परियोजनाओं का अनुमोदन न होने के कारण
46	**19**	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण एवं अन्य व्यय)	2070-003-11 उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, लखनऊ	734.13	376.61	51	प्रशिक्षणार्थी की कम संख्या होने के कारण
47			4070-003-03 उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, लखनऊ	900.00	900.00	100	अनुमोदन की अवमुक्ति न होने के कारण
48	**22**	खेल विभाग	2204-104-10 विशिष्ट खिलाड़ियों को राजकीय पुरस्कार	6.00	6.00	100	लक्ष्मण एवं रानी लक्ष्मी बाई पुरस्कार नहीं दिये जाने के कारण
49	**28**	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	3055-190-04 मीसा एवं डीआरआई के आपात अवधि में राजनीतिक कैदियों को बस से मुफ्त यात्रा सुविधा देने के लिए यू.पी.एस.आर.टी.सी. को भुगतान	400.00	383.62	96	कारण नहीं बताया गया

50	**35**	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	2211-001-01 केंद्रीय योजना/केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	10.00	10.00	100	पद रिक्त रहने के कारण
51	**37**	नगर विकास विभाग	2070-800-04 उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड	400.00	379.72	95	बोर्ड में सदस्य/कर्मचारियों की नियुक्ति न होने के कारण
52			2217-800-01 केंद्रीय योजना/केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	5.00	5.00	100	केंद्रांश की प्राप्ति न होने के कारण
53			2217-800-08 राजीव आवास योजना (आर.ए.वाई.)	733.00	677.51	92	केंद्रांश की प्राप्ति न होने के कारण
54			2217-800-06 आई.आर.एम..ए. (इरमा)	27.00	27.00	100	नये आई.आर.एम.ए. पर नियुक्ति न होने के कारण
55			2230-101-01 केंद्रीय योजना/केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	7,705.76	6,611.96	86	द्वितीय किश्त की प्राप्ति न होने के कारण
56			4217-800-01 केंद्रीय योजना/केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	1,100.00	1,100.00	100	संयुक्त वित्त विकास निधि का गठन न होने के कारण
57			4217-051-04 शहरी गरीब हेतु जे.एन.एन.यू. आर.एम. आधारभूत सेवाओं में सहायता (केंद्रीय 50/राज्य 50)	26,420.00	23,296.93	88	ए.सी.ए. की किश्तों की प्राप्ति न होने के कारण
58			4217-800-01 केंद्रीय योजना/ केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	525.00	525.00	100	केन्द्रांश की प्राप्ति न होने के कारण
59	**38**	नागरिक उड्डयन विभाग	5053-800-03 हेलीकॉप्टर/ वायुयान का क्रय	3,500.00	3,500.00	100	नये हवाई जहाज के क्रय न होने के कारण
60	**39**	भाषा विभाग	2202-104-07 संस्कृत विद्वानों को पुरस्कृत करने के लिए संस्कृत संस्थान,उ0प्र0 को अनुदान	16.00	16.00	100	चयन प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण
61	**40**	नियोजन विभाग	3451-092-07 राज्य नियोजन संस्था द्वारा विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों के मूल्यांकन प्रक्रिया में विशेषज्ञों की सेवाओं के उपयोग हेतु व्यवस्था (मूल्यांकन अनुभाग)	50.00	39.76	80	वास्तविक व्यय के कारण
62			3454-001-04 राज्य रणनीति सांख्यिकी योजना	490.00	490.00	100	कारण नहीं बताया गया

63			3454-001-06 जिला योजना की संरचना (जिला नियोजन योजना)	18.00	9.17	51	सलाहकार उपलब्ध न होने के कारण
64			3454-800-01 केंद्रीय योजना/केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	203.25	164.71	81	कारण नहीं बताया गया
65			4059-051-05 पुराने हैदराबाद, लखनऊ में कालाकांकर भवन के निकट कार्यालय भवन का निर्माण	500.00	500.00	100	कारण नहीं बताया गया
66	**41**	निर्वाचन विभाग	2015-106-05 राज्य विधान सभा उप चुनाव	210.50	112.95	54	कम संख्या में उप चुनाव निष्पादित होने के कारण
67			2015-105-04 उप चुनाव	162.00	116.39	72	उप चुनाव के कारण
68	**43**	परिवहन विभाग	3055-190-03 संसद सदस्यों को अपनी बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा देने के कारण राज्य सड़क परिवहन निगम को प्रतिपूर्ति भुगतान	29.00	18.96	65	आवश्यकता न होने के कारण
69	**44**	पर्यटन विभाग	3452-104-01केंद्रीय योजना/केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	30.00	30.00	100	कारण नहीं बताया गया
70			3452-800-07 'डिस्कवर योर रूट्स' योजना	7.00	7.00	100	कारण नहीं बताया गया
71			3452-800-97 वाह्य सहायतित योजनाएँ	50.00	50.00	100	कारण नहीं बताया गया
72			5452-800-04 कुशीनगर जनपद में पर्यटन विकास हेतु सार्वजनिक सहभागिता से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना	500.00	384.00	77	कारण नहीं बताया गया
73			5452-104-16 सैफई, इटावा में पर्यटन कॉम्प्लेक्स का निर्माण	325.00	200.32	62	कारण नहीं बताया गया
74			5452-104-17 सिद्धार्थनगर जनपद में बुद्ध संग्रहालय का निर्माण	50.00	50.00	100	कारण नहीं बताया गया
75			5452-800-18 आगरा में ताजगंज से ताजगंज वार्ड तक मुख्य सड़क का पुनर्निर्माण/उन्नयन	50.00	50.00	100	कारण नहीं बताया गया
76	**45**	पर्यावरण विभाग	3435-003-04 पर्यावरण अनुसंधान एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन	5.00	5.00	100	वास्तविक व्यय के कारण

77			3435-001-05 पर्यावरण निदेशालय में प्रयोगशाला की स्थापना	5.55	5.55	100	स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण
78			3435-103-01 केंद्रीय योजना / केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	40.00	20.00	50	केन्द्रांश की प्राप्ति न होने के कारण
79	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	2203-103-01 केंद्रीय योजना / केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	1,662.00	1,364.93	82	भारत सरकार द्वारा वित्तीय अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण
80			2203-104-01 केंद्रीय योजना / केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	487.00	358.98	74	भारत सरकार द्वारा वित्तीय अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण
81			2203-104-03 प्रेम डिग्री कॉलेज, बहुव्यावसायिक संस्थान, मथुरा	128.47	84.07	65	पद रिक्त रहने के कारण
82			2203-104-04 मुरलीधर गजानंद बहुव्यावसायिक संस्थान, हाथरस	142.15	93.27	66	पद रिक्त रहने के कारण
83			2203-104-05 हंडिया बहुव्यावसायिक संस्थान, हंडिया	106.06	76.38	72	पद रिक्त रहने के कारण
84			2203-104-06 चंदौली बहुव्यावसायिक संस्थान, चंदौली	97.42	63.86	66	पद रिक्त रहने के कारण
85			2203-104-07 एम.पी. पॉलीटेक्निक, गोरखपुर	127.92	83.92	66	पद रिक्त रहने के कारण
86			2203-105-04 राजकीय पॉलीटेक्निक में दूसरी पाली में प्रशिक्षण	824.27	478.22	58	वास्तविक व्यय के कारण
87			2203-105-11 सहारनपुर के कुम्हारखेड़ा में राजकीय महिला पॉलीटेक्निक की स्थापना	14.10	10.11	72	आवश्यकता शून्य होने के कारण
88			2203-112-17 राज्य में संचालित निजी क्षेत्र में मेडिकल, इंजीनियरिंग संस्थानों में परास्नातक, स्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों तथा शिक्षा विभाग द्वारा संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रवेश परीक्षा एवं फीस निर्धारण हेतु	35.95	26.90	75	वास्तविक व्यय के कारण

89			2203-112-19 वर्चुअल क्लासरूम की स्थापना	100.00	100.00	100	वर्चुअल क्लासरूम की स्थापना हेतु कार्यवाही न करने के कारण
90			2203-112-20 अपीलीय प्राधिकरण	32.61	21.07	65	कारण नहीं बताया गया
91			2203-112-21 इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना	130.01	130.01	100	पद रिक्त रहने के कारण
92			2203-112-97 विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त प्राविधिक शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम	2,000.01	1,137.68	57	भारत सरकार द्वारा द्वितीय किश्त की प्राप्ति न होने के कारण
93			4202-104-01 केंद्रीय योजना/केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	19,127.87	10,167.21	53	भारत सरकार द्वारा धनराशि की प्राप्ति न होने के कारण
94			4202-104-47 राजकीय पॉलीटेक्निक का उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण तथा अन्य स्थापित सुविधाओं का विकास (जिला योजना)	400.00	400.00	100	वित्तीय स्वीकृति न होने के कारण
95			4202-104-59 राजकीय पॉलीटेक्निक में वर्चुअल क्लासरूम की स्थापना	100.00	100.00	100	वित्तीय स्वीकृति न होने के कारण
96			4202-105-11 प्रमण्डल स्तर पर इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना	2,000.00	2,000.00	100	धनराशि का अनुमोदन न होने के कारण
97	**48**	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2235-800-01 केंद्रीय योजना/ केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	500.00	338.10	68	केंद्रांश की प्राप्ति न होने के कारण
98	**51**	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के सम्बन्ध में राहत)	2052-090-03 दैवीय आपदा संबंधी स्थापना	80.06	52.48	66	वास्तविक व्यय के कारण
99			2245-800-06 उ0प्र0 आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	550.00	530.00	96	प्रबंधन अधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण
100			2245-800-07 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	150.00	107.86	72	डीडीएमए का गठन न होने के कारण
101			2245-800-08 विपदा जोखिम कमी कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी. द्वारा सहायता प्राप्त)	150.00	144.80	97	वास्तविक व्यय के कारण
102			4250-101-05 स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड से व्यय	500.00	500.00	100	जिला से माँग की प्राप्ति न होने के कारण
103			4250-101-06 डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मिटिगेशन फंड से व्यय	500.00	500.00	100	जिला से माँग की प्राप्ति न होने के कारण

104			4250-101-08 राज्य में विस्थापितों के पुनर्वास के लिए भूमि की खरीद	1,000.00	991.60	99	जिला से माँग की प्राप्ति न होने के कारण
105	**52**	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	2235-110-01 केंद्रीय योजना / केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	4,000.00	3,010.08	75	माँग न होने के कारण
106			2235-110-03 राज्य के खाता धारक / सहखाता धारक किसानों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के लिए प्रीमियम का भुगतान	29,078.00	22,089.00	76	बीमा कम्पनी से सम्पर्क न होने के कारण.
107			2029-001-03 भूमि अधिग्रहण –सामान्य राजस्व व्यय	5.00	5.00	100	वास्तविक व्यय के कारण
108			2029-101-03 भू–राजस्व (माल गुजारी) तकावी नहर एवं अन्य प्रकीर्ण शासकीय देय धनराशियों का संग्रहण प्रभार	10.50	7.86	75	समायोजन के बाद बचत
109			2049-101-03 प्रतिकर बंधपत्र एवं स्टॉक प्रमाण–पत्र पर ब्याज	0.10	0.10	100	जिला से माँग की प्राप्ति न होने के कारण
110			4059-800-12 इलाहाबाद एवं लखनऊ, राजस्व परिषद में गेस्ट हाउस (अतिथि गृह) का निर्माण	40.00	40.00	100	राजस्व परिषद द्वारा गेस्ट हाउस निर्माण न किए जाने के कारण
111			4059-800-13 राजस्व परिषद इलाहाबाद में ट्यूबेल की रिबोरिंग (पुनः बोरिंग)	12.97	9.08	70	धनराशि का उपयोग न किये जाने के कारण
112			6003-106-03 ब्याज भारित बंधपत्र	5.51	5.51	100	जिला से माँग की प्राप्ति न होने के कारण
113			6003-106-04 ब्याज रहित बंधपत्र	5.00	5.00	100	जिला से माँग की प्राप्ति न होने के कारण
114	**53**	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	2070-800-01 केंद्रीय योजना / केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	15.00	9.99	67	निधि का उपयोग न किये जाने के कारण
115			2070-800-14 राज्य एकीकरण परिषद के अध्यक्ष को सुविधाएँ	12.95	12.95	100	अध्यक्ष की नियुक्ति न होने के कारण
116	**55**	लोक निर्माण विभाग (भवन)	2059-800-03 निर्माण - राज्य विधान मण्डल	10.00	10.00	100	प्रस्ताव की प्राप्ति न होने के कारण
117			4059-051-04 अम्बेडकर नगर में सर्किट हाउस का निर्माण	100.00	100.00	100	प्रस्ताव की प्राप्ति न होने के कारण

118	**58**	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	5054-800-03 अन्य व्यय	550.00	358.87	65	कारण नहीं बताया गया
119	**60**	वन विभाग	2406-001-04 स्थापना	13.70	10.32	75	वास्तविक व्यय के कारण
120			4406-111-04 चिड़िया घर की स्थापना (सी.सी.एल. प्रणाली)	942.74	504.93	54	वित्तीय स्वीकृति निर्गत न होने के कारण
121	**65**	वित्त विभाग (लेखापरीक्षा, अल्प बचत आदि)	2070-105-03 राज्य आयोग एवं समितियाँ	130.52	66.97	51	मितव्ययिता साधनों के कारण
122	**68**	विधान सभा सचिवालय	7610-201-03 राज्य विधान सभा के सदस्यों / पूर्व–सदस्यों को गृह निर्माण अग्रिम	6.00	6.00	100	माँग की प्राप्ति न होने के कारण
123			7610-202-03 राज्य विधान सभा के सदस्यों / पूर्व–सदस्यों को वाहन क्रय हेतु अग्रिम	6.00	6.00	100	माँग की प्राप्ति न होने के कारण
124	**69**	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	2230-003-01 केंद्रीय योजना / केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	107.80	107.80	100	केंद्रांश की प्राप्ति न होने के कारण
125			2230-101-01 केंद्रीय योजना / केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	96.32	67.00	70	केंद्रांश की प्राप्ति न होने के कारण
126			2230-101-04 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में नये व्यावसायिक प्रशिक्षण	75.46	50.48	67	वास्तविक व्यय के कारण
127			2230-101-05 बुंदेलखण्ड क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	504.82	369.93	73	वास्तविक व्यय के कारण
128			2230-101-97 वाह्य सहायतित योजनाएँ	176.65	176.65	100	केंद्रांश की प्राप्ति न होने के कारण
129			2230-800-04 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में ई–कनेक्टिविटी	153.40	153.40	100	उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्राप्ति न होने के कारण
130			2230-800-05 कन्या विद्या धन योजना	200.00	200.00	100	अनुमोदन न होने के कारण
131			2230-800-06 बीपीएल परिवारों की 10वीं पास लड़कियों के आगे की शिक्षा के लिए	100.00	100.00	100	अनुमोदन न होने के कारण
132			4250-203-06 बुंदेलखण्ड क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	450.00	450.00	100	वांछनीय प्रस्ताव की प्राप्ति न होने के कारण

133			4250-203-07 कारीगर प्रशिक्षण योजना (जिला योजना)	3,108.14	2,977.91	96	वांछनीय प्रस्ताव की प्राप्ति न होने के कारण
134			4250-203-13 प्रशिक्षण तथा रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशालय भवन का सुदृढ़ीकरण एवं पुनरोद्धार	300.00	300.00	100	वांछनीय प्रस्ताव की प्राप्ति न होने के कारण
135			4250-203-97 वाह्य सहायतित योजनाएँ	200.00	200.00	100	वांछनीय प्रस्ताव की प्राप्ति न होने के कारण
136	**70**	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	4810-102-03 नए एवं नवीकरण ऊर्जा प्रशिक्षण केन्द्र, कन्नौज	200.00	200.00	100	शून्य व्यय के कारण
137			4810-102-04 सौर ऊर्जा संसाधनों से विद्युत उत्पादन के लिए प्रोत्साहन योजना	10,000.00	10,000.00	100	पूर्व बोली में विलम्ब होने के कारण
138	**71**	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	2202-053-04 प्राथमिक एवं जू0हा0 स्कूलों के भवनों के रख–रखाव हेतु एकमुश्त प्रावधान	500.00	490.40	98	कारण नहीं बताया गया
139			2202-102-24 सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए मुफ्त पुस्तक वितरण	1,970.00	1,794.37	91	कारण नहीं बताया गया
140			2202-62-31 मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा	500.04	500.04	100	कारण नहीं बताया गया
141	**75**	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	4202-201-01 केंद्रीय योजना/ केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	10.03	10.03	100	कारण नहीं बताया गया
142	**76**	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	2230-101-01 केंद्रीय योजना/ केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	29.90	29.90	100	केंद्रीय सहायता की प्राप्ति न होने के कारण
143			2230-101-05 औद्योगिक प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण एवं विकेंद्रीकरण समितियों, सभाओं एवं आयोगों का संयोजन	34.15	24.72	72	पद रिक्त रहने के कारण
144			2230-103-01 केंद्रीय योजना/ केंद्रीय पुरोनिधानित योजनाएँ	712.00	445.20	63	केंद्रांश की प्राप्ति न होने के कारण
145			2230-111-03 उ0प्र0 भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि से व्यय	40,000.00	40,000.00	100	निधि की आवश्यकता न होने के कारण

146			2230-797-03 उ0प्र0 भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण	40,000.00	40,000.00	100	आरक्षित निधि की आवश्यकता न होने के कारण
147	**78**	सचिवालय प्रशासन विभाग	2013-101-04 भारत सरकार को दिये जाने वाले आयकर की बकाया धनराशि जो राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी	25.00	14.97	60	वास्तविक व्यय के कारण
148			2052-090-04 सचिवालय प्रलेखीकरण केंद्र एवं पुस्तकालय के विकास तथा विस्तार	20.00	19.93	99	वास्तविक व्यय के कारण
149			2052-090-08 खुफिया स्रोतों का विकास	12.00	12.00	100	कारण नहीं बताए गये
150			2251-090-04 कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	23.35	20.48	88	मितव्ययिता साधनों के कारण
151			4059-800-04 सचिवालय में सी.सी. टी.वी./निगरानी कैमरा एवं सहायक उपकरणों की स्थापना	845.00	845.00	100	आवश्यक औपचारिकताओं के पूरा न करने के कारण
152	**84**	सामान्य प्रशासन विभाग	2070-800-04 उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद	11.53	10.61	92	वेतन का भुगतान न किये जाने के कारण
153			2070-800-05 जनगणना कार्य 2011	6,251.00	6,022.38	96	प्रस्ताव की प्राप्ति न होने के कारण
154	**86**	सूचना विभाग	2220-110-03 स्थापना	1,470.60	788.85	54	मितव्ययिता साधनों के कारण
155			2220-800-07 फिल्म विकास निधि की स्थापना	50.00	50.00	100	निधि की आवश्यकता न होने के कारण
156	**89**	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्यिक कर)	2040-800-05 व्यवस्थापन आयोग की स्थापना	29.37	29.37	100	पदों की भर्ती न होने के कारण
157	**92**	संस्कृति विभाग	4202-800-03 प्रेक्षागृह/खुले मंच का निर्माण	50.00	28.48	57	वास्तविक आवश्यकता के कारण
158	**94**	सिंचाई विभाग (निर्माण)	2701-101-03 अन्य रख–रखाव व्यय	221.33	121.94	55	कारण नहीं बताया गया
159			4700-051-07 बांध	100.00	60.00	60	माँग शून्य होने के कारण
160			4700-05-050-10 नहरें	100.00	71.66	72	माँग शून्य होने के कारण
161			4700-07-050-10 नहरें	200.00	200.00	100	माँग शून्य होने के कारण

162			4700-07-051-12 वितरण प्रणाली	50.00	50.00	100	पुनरीक्षित परियोजना के अनुमोदन की प्राप्ति न होने के कारण
163			4700-08-050-10 नहरें	200.00	200.00	100	माँग शून्य होने के कारण
164			4700-08-051-10 नहरें	1,756.02	1,756.02	100	केंद्रांश की प्राप्ति न होने के कारण
165			4700-08-051-11 शाखाएँ	691.45	512.74	74	अनुमोदन की प्राप्ति न होने के कारण
166			4700-11-050-10 नहरें	300.00	300.00	100	माँग शून्य होने के कारण
167			4700-13-051-07 बैराज	100.00	64.84	65	माँग शून्य होने के कारण
168			4700-14-050-10 नहरें	10.00	10.00	100	माँग शून्य होने के कारण
169			4700-14-051-10 नहरें	396.00	300.32	76	माँग शून्य होने के कारण
170			4700-15-051-05 बांध एवं संबंधित कार्य	764.30	406.71	53	माँग शून्य होने के कारण
171			4700-16-051-10 नहरें	151.00	151.00	100	अनुमोदन की प्राप्ति न होने के कारण
172			4700-19-051-07 बैराज	100.00	58.00	58	माँग शून्य होने के कारण
173			4700-20-051-10 नहरें	10,000.00	9,000.00	90	केंद्रांश की प्राप्ति न होने के कारण
174			4700-21-051-10 अर्जुन सहायक परियोजना (वाणिज्यिक) नहरें	15,000.00	12,500.00	83	केंद्रांश की प्राप्ति न होने के कारण
175			4700-29-051-10 नहरें	625.00	625.00	100	अनुमोदन की प्राप्ति न होने के कारण
176			4700-30-051-10 नहरें	295.00	295.00	100	अनुमोदन की प्राप्ति न होने के कारण
177			4701-41-051-10 नहरें	1648.00	1623.00	98	अनुमोदन की प्राप्ति न होने के कारण
178			4701-55-050-10 नहरें	500.00	421.41	84	माँग शून्य होने के कारण
179			4701-55-051-10 नहरें	137.03	90.83	66	माँग शून्य होने एवं अनुमोदन की प्राप्ति न होने के कारण
180			4701-69-051-10 नहरें	386.30	211.25	55	अनुमोदन की प्राप्ति न होने के कारण

181			4701-78-051-10 नहरें	5308.97	4981.73	94	केंद्रांश की प्राप्ति न होने के कारण
182			4701-82-051-10 नहरें	1,050.01	1,050.01	100	माँग शून्य होने के कारण
183			4701-84-050-10 नहरें	500.01	258.68	52	माँग शून्य होने के कारण
184			4701-85-051-09 भवन	1,000.00	505.39	51	माँग शून्य होने के कारण
185			4701-92-051-10 नहरें	500.00	500.00	100	अनुमोदन की प्राप्ति न होने के कारण
186			4711-103-01 केंद्रीय योजना / केंद्रीय पुरोनिधानित योजनाएँ	35,000.00	31,072.60	89	केंद्रांश की प्राप्ति न होने के कारण
187			4711-103-07 अप्रत्याशित आपात कार्य	1,100.00	1,100.00	100	अनुमोदन की प्राप्ति न होने के कारण
188			4711-103-08 बैराजों का निर्माण	200.00	145.42	73	पर्याप्त समय के अभाव में
189			4702-101-04 प्रस्यावतन योजनाएँ	750.03	585.36	78	अनुमोदन की प्राप्ति न होने के कारण
190	**95**	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	2701-001-08 उ0प्र0 जल प्रबंधन एवं नियामक आयोग	554.22	511.69	92	उ0प्र0 सरकार द्वारा आयोग को निरस्त करने के कारण
योग				**4,06,282.53 अथवा 4,062.83 करोड़**	**3,35,891.70 अथवा 3,358.92 करोड़**		

2.8 वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण (₹ 50 लाख या अधिक)

(सन्दर्भः प्रस्तर 2.3.9; पृष्ठ 52)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान सं0	अनुदान / विभाग का नाम	कुल अनुदान	बचत	अभ्यर्पित धनराशि	अधिक अभ्यर्पित धनराशि
राजस्व–दत्तमत						
1	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	2,690.05	644.92	647.63	2.71
2	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	1,428.23	103.79	111.92	8.13
3	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	3,873.89	907.53	921.66	14.13
4	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	2,140.51	353.02	353.77	0.75
5	68	विधान सभा सचिवालय	82.59	10.44	13.06	2.62
6	77	श्रम विभाग (रोजगार)	771.37	202.47	203.11	0.64
7	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	476.80	70.08	76.43	6.35
8	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्यिक कर)	467.61	35.83	37.10	1.27
9	91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	243.33	4.33	12.55	8.22
		निवल योग	**12,174.38**	**2,332.41**	**2,377.23**	**44.82**
पूंजीगत–दत्तमत						
10	38	नागरिक उड्डयन विभाग	55.00	31.02	35.00	3.98
11	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	696.07	164.73	165.89	1.16
12	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	3,033.62	805.77	1,298.64	492.87
		निवल योग	**3,784.69**	**1,001.52**	**1,499.53**	**498.01**
		महायोग	**15,959.07**	**3,333.93**	**3,876.76**	**542.83**

2.9 अनुदानों/विनियोगों का विवरण, जिनमें बचतें हुई परन्तु उसका कोई भाग अभ्यर्पित नहीं किया गया

(सन्दर्भः प्रस्तर 2.3.10; पृष्ठ 53)

I– अनुदान				
क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत (₹ करोड़ में)	
			राजस्व	पूँजीगत
1.	9	ऊर्जा विभाग	0.44	28.93
2.	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	0.00	15.58
3.	25	गृह विभाग (कारागार)	0.15	0.99
4.	26	गृह विभाग (पुलिस)	793.40	363.24
5.	27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	70.43	7.91
6.	30	गोपन विभाग (राजस्व विशेष गुप्तचर निदेशालय एवं अन्य व्यय)	0.04	0.00
7.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	86.09	20.49
8.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	403.79	230.68
9.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	49.16	7.30
10.	34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी)	5.02	0.92
11.	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	45.48	26.53
12.	42	न्याय विभाग	178.52	21.23
13.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	372.97	2.85
14.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	65.45	222.64
15.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	677.76	93.32
16.	65	वित्त विभाग (लेखापरीक्षा, अल्प बचत आदि)	0.00	0.08
17.	66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	0.08	0.00
18.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	1,276.77	0.00
19.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	816.09	123.76
20.	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	62.32	98.32
21.	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	50.54	0.00
22.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	13.33	10.20
23.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	1,762.10	588.84
24.	87	सैनिक कल्याण विभाग	8.64	0.00
		योग	**6,738.57**	**1,863.81**

II – विनियोग			राजस्व	पूंजीगत
25.	9.	उर्जा विभाग	6.58	0.00
26.	13.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	0.06	0.00
27.	25	गृह विभाग (कारागार)	0.10	0.00
28.	26	गृह विभाग (पुलिस)	0.20	0.00
29.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	0.20	0.00
30.	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	0.02	0.00
31.	42	न्याय विभाग	31.32	51.88
32.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	0.01	0.00
33.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	1,645.13	9,934.16
34.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	0.02	0.00
35.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	0.01	0.00
		योग	**1,683.65**	**9,986.04**
		महायोग	**8,422.22**	**11,849.85**
		राजस्व और पूंजीगत का योग	**20,272.07**	

परिशिष्ट 2.10

अभ्यर्पित न की गयी ₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक की बचतों का विवरण

(सन्दर्भः प्रस्तर 2.3.10; पृष्ठ 53)

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत	अभ्यर्पण	बचत, जिन्हें अभ्यर्पित नहीं किया गया
		राजस्व –दत्तमत			
1	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	51.79	12.00	39.79
2	17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	33.17	17.92	15.25
3	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	24.54	22.73	1.81
4	26	गृह विभाग (पुलिस)	793.40	0.00	793.40
5	27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	70.43	0.00	70.43
6	28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	27.91	15.91	12.00
7	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	86.09	0.00	86.09
8	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	403.79	0.00	403.79
9	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	49.16	0.00	49.16
10	34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी)	5.02	0.00	5.02
11	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	221.25	205.05	16.20
12	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	45.48	0.00	45.48
13	37	नगर विकास विभाग	238.51	235.59	2.92
14	40	नियोजन विभाग	66.44	43.19	23.25
15	41	निर्वाचन विभाग	36.78	28.24	8.54
16	42	न्याय विभाग	178.52	0.00	178.52
17	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	66.09	59.02	7.07
18	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	104.26	87.08	17.18
19	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	372.97	0.00	372.97
20	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	681.45	22.91	658.54
21	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	65.45	0.00	65.45
22	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	677.76	0.00	677.76
23	65	वित्त विभाग (लेखापरीक्षा, अल्प बचत आदि)	13.33	0.76	12.57
24	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	1,865.81	1,841.23	24.58
25	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	1,276.77	0.00	1,276.77
26	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	816.09	0.00	816.09
27	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	10.99	8.79	2.20
28	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	62.32	0.00	62.32
29	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	50.54	0.00	50.54
30	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	13.33	0.00	13.33
31	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	1,762.10	0.00	1,762.10
32	84	सामान्य प्रशासन विभाग	61.87	60.70	1.17

33	86	सूचना विभाग	88.11	15.60	72.51
34	87	सैनिक कल्याण विभाग	8.64	0.00	8.64
35	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	198.79	39.57	159.22
36	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	483.40	403.06	80.34
		योग	**11,012.35**	**3,119.35**	**7,893.00**
		पूंजीगत–दत्तमत			
1	2	आवास विभाग	2.43	0.79	1.64
2	9	ऊर्जा विभाग	28.93	0.00	28.93
3	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	203.22	138.83	64.39
4	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	15.58	0.00	15.58
5	26	गृह विभाग (पुलिस)	363.24	0.00	363.24
6	27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	7.91	0.00	7.91
7	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	20.49	0.00	20.49
8	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	230.68	0.00	230.68
9	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	7.30	0.00	7.30
10	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	26.53	0.00	26.53
11	37	नगर विकास विभाग	737.99	627.13	110.86
12	40	नियोजन विभाग	459.70	35.00	424.70
13	42	न्याय विभाग	21.23	0.00	21.23
14	43	परिवहन विभाग	1.44	0.38	1.06
15	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	132.31	130.89	1.42
16	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	2.85	0.00	2.85
17	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	16.61	0.05	16.56
18	56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम)	18.60	5.91	12.69
19	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	222.64	0.00	222.64
20	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	93.32	0.00	93.32
21	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	123.76	0.00	123.76
22	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	98.32	0.00	98.32
23	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	10.20	0.00	10.20
24	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	588.84	0.00	588.84
		योग	**3,434.12**	**938.98**	**2,495.14**
		राजस्व–भारित			
1	9	ऊर्जा विभाग	6.58	0.00	6.58
2	42	न्याय विभाग	31.32	0.00	31.32
3	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	1,645.13	0.00	1645.13
		योग	**1,683.03**	**0.00**	**1,683.03**
		पूंजीगत–भारित			
1	42	न्याय विभाग	51.88	0.00	51.88
2	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	9,934.16	0.00	9,934.16
		योग	**9,986.04**	**0.00**	**9,986.04**
		महायोग	**26,115.54**	**4,058.33**	**22,057.21**

परिशिष्ट

2.11 व्यय की अधिकता

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.3.14; पृष्ठ 55)

(₹ करोड़ में)

राजस्व					
मुख्य शीर्ष	व्यय की प्रकृति	कुल बजट	व्यय	मार्च 2013 में व्यय	*प्रतिशत*
2215	जलापूर्ति तथा सफाई	23.10	23.00	15.67	68.13
2425	सहकारिता	1,224.59	1,199.16	561.28	46.81
2810	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	57.60	56.81	24.64	43.37
2501	ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	281.15	120.56	48.72	40.41
2230	श्रम तथा रोजगार	2,629.82	1,102.67	443.78	40.25
2015	निर्वाचन	289.85	250.14	93.69	37.46
3054	सड़क तथा सेतु	1,854.13	2,024.24	713.79	35.26
2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण	4,382.04	4,468.38	1,566.86	35.07
2216	आवास	57.07	59.35	20.52	34.57
2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	5,380.26	4,504.11	1,437.77	31.92
2404	दुग्धशाला विकास	92.51	80.10	23.83	29.75
2220	सूचना तथा प्रचार	145.99	58.24	17.19	29.52
2217	शहरी विकास	1,054.27	877.88	250.47	28.53
3452	पर्यटन	23.77	18.24	4.80	26.32
3425	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	29.29	29.29	7.70	26.29
2058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	134.24	121.90	31.04	25.46
2851	ग्रामीण तथा लघु उद्योग	321.01	267.80	66.73	24.92
2030	स्टाम्प तथा पंजीकरण	241.83	237.57	58.87	24.78
3604	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	6,244.67	6,179.24	1,530.51	24.77
2575	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	102.16	27.38	6.28	22.94
2401	फसल कृषि–कर्म	2,130.11	1,563.65	350.36	22.41
2700	वृहद सिंचाई	567.44	574.09	127.58	22.22
2711	बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास	90.00	148.87	32.44	21.79
2853	अलौह खनन	22.88	19.33	4.10	21.21
3435	विदेश व्यापार तथा निर्यात संवर्धन	3.97	3.37	0.71	21.07
2211	परिवार कल्याण	2,672.05	2,450.65	514.83	21.01
2205	कला एवं संस्कृति	49.08	43.08	9.02	20.94
2202	सामान्य शिक्षा	32,912.43	29,046.91	5,981.71	20.59
2250	अन्य सामाजिक सेवाएँ	8.87	8.00	1.63	20.38
2204	खेल तथा युवा सेवाएँ	154.90	120.98	24.44	20.20
2059	लोक निर्माण	1,577.71	895.10	178.37	19.93
2203	तकनीकी शिक्षा	238.05	171.65	32.60	18.99
2852	उद्योग	98.43	80.69	15.28	18.94

2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	5,628.72	5,068.20	952.16	18.79
3454	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	96.59	60.15	11.09	18.44
3053	नागर विमानन	2.66	2.07	0.37	17.87
3055	सड़क परिवहन	118.56	96.63	16.98	17.57
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	1,108.11	769.92	134.39	17.46
2402	मृदा तथा जल संरक्षण	728.75	597.82	100.16	16.75
2041	वाहनों पर कर	0.69	0.60	0.10	16.67
2705	कमान क्षेत्र विकास	280.00	202.27	32.80	16.22
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	10,226.34	9,114.42	1,459.43	16.01
2011	संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमण्डल	113.91	97.87	15.09	15.42
	योग	**83,399.60**	**72,842.38**	**16,919.78**	
	पूंजीगत				
4058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय	5.00	1.77	1.77	100.00
4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	2.29	2.29	2.29	100.00
4853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	7.00	5.36	5.36	100.00
4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	294.84	82.00	72.95	88.96
4216	आवास पर पूँजीगत परिव्यय	1,276.88	1,312.50	1,026.22	78.19
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	118.39	57.97	40.33	69.57
4055	पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	701.96	348.73	241.60	69.28
5452	पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	99.13	71.24	44.30	62.18
4701	मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	318.64	123.01	73.72	59.93
4202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	972.23	707.08	393.84	55.70
4235	समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	797.13	608.75	336.36	55.25
4415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूँजीगत परिव्यय	128.65	126.83	69.65	54.92
4702	लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	640.91	685.27	375.05	54.73
4401	फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय	595.83	419.90	208.03	49.54
4575	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	1,989.01	846.02	418.94	49.52
4215	जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय	1,781.07	1,612.21	765.58	47.49
4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	1,447.69	1,119.77	523.47	46.75
5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	5,887.33	8,488.58	3,874.44	45.64
4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	724.75	570.30	226.84	39.78
4700	वृहद सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	1,608.24	1,072.18	376.96	35.16
4059	लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय	683.70	687.31	219.67	31.96
4801	ऊर्जा परियोजनओं पर पूँजीगत परिव्यय	3,924.52	3,858.88	1,184.54	30.70
4217	शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	3,255.87	2,334.99	715.02	30.62
5053	नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय	57.00	23.98	4.79	19.97
4406	वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूँजीगत परिव्यय	172.29	173.04	34.06	19.68
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	1,531.76	1,143.91	207.94	18.18
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	418.43	461.50	75.18	16.29
	योग	**29,440.54**	**26,945.37**	**11,518.90**	

2.12 दो समीक्षित अनुदानों का सार

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.4; पृष्ठ 55)

(₹ हजार में)

विवरण	धनराशि	योग	वास्तविक व्यय	बचत	लेखा शीर्ष
अनुदान सं0.11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)					
राजस्व–दत्तमत					
मूल	26,88,55,44	26,90,05,45	20,45,13,40	6,44,92,05	मुख्य शीर्ष 2013, 2401, 2402, 2415, 2435
अनुपूरक	1,50,01				
राजस्व–भारित					
मूल	15,20	15,20	7,37	7,83	मुख्य शीर्ष 2401, 2402
अनुपूरक	शून्य				
पूंजीगत–दत्तमत					
मूल	7,16,01,56	7,17,01,56	5,39,29,00	1,77,72,56	मुख्य शीर्ष 4401,4415
अनुपूरक	1,00,00				
महायोग	**34,07,22,21**	**34.07,22,21**	**25,84,49,77**	**8,22,72,44**	
अभ्यर्पित धनराशि:		राजस्व–दत्तमत		6,47,70,16	
		पूंजीगत–दत्तमत		1,77,46,08	
अनुदान सं0.32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)					
राजस्व –दत्तमत					
मूल	32,07,14,24	32,12,19,24	28,08,40,11	4,03,79,13	मुख्य शीर्ष 2013,2210,2230
अनुपूरक	5,05,00				
राजस्व –भारित					
मूल	20,00	20,00	शून्य	20,00	मुख्य शीर्ष 2210
अनुपूरक	शून्य				
पूंजीगत –दत्तमत					
मूल	5,83,68,94	5,83,68,94	3,53,00,82	2,30,68,12	मुख्य शीर्ष 4210,4216
अनुपूरक	शून्य				
महायोग	**37,96,08,18**	**37,96,08,18**	**31,61,40,93**	**6,34,67,25**	
अभ्यर्पित धनराशि:		राजस्व–दत्तमत		शून्य	
		पूंजीगत–दत्तमत		शून्य	
अनुदान सं0.11 एवं 32 का महायोग					
राजस्व –दत्तमत					
मूल	58,95,69,68	59,02,24,69	48,53,53,51	10,48,71,18	
अनुपूरक	6,55,01				
राजस्व –भारित					
मूल	35,20	35,20	7,37	27,83	
अनुपूरक	शून्य				
पूंजीगत –दत्तमत					
मूल	12,99,70,50	13,00,70,50	8,92,29,82	4,08,40,68	
अनुपूरक	1,00,00				
महायोग	**72,03,30,39**	**72,03,30,39**	**57,45,90,70**	**14,57,39,69**	
अभ्यर्पित धनराशि:		राजस्व–दत्तमत		6,47,70,16	
		पूंजीगत–दत्तमत		1,77,46,08	

परिशिष्ट

2.13 दो समीक्षित अनुदानों के अप्रयुक्त बजट प्रावधानों का विवरण

(सन्दर्भः प्रस्तर 2.4; पृष्ठ 55)

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	बजट प्रावधान	अभ्यर्पित धनराशि
अनुदान संख्या 11 – कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)				
1	2401- 109-08	कृषि विकास हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग	8.19	8.19
2	2401- 111- 05	फसलों की उत्पादकता तथा उत्पाद के आँकड़ों का डाटा बैंक	22.27	22.27
3	2401-800- 01	केंद्रीय योजना/केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	1.18	1.18
4	2402-102- 03	बुंदेलखण्ड क्षेत्र में सिंचाई एवं वर्षा जल संचय योजना	18.59	18.59
5	2415- 80- 120- 26	उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद में कृषि अनुसंधान सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण	1.71	1.71
अनुदान संख्या 32 – चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)				
6	4210- 01- 110- 46	डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल, लखनऊ में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की स्थापना	5.00	5.00
7	4210- 01- 110- 77	जिला/संयुक्त एवं अन्य अस्पतालों हेतु उपकरणों का क्रय	12.00	12.00
8	4210- 02- 110- 09	आजमगढ़ जनपद के तरवान में 100 शैय्या युक्त अस्पताल भवन का निर्माण	0.50	0.50
9	4210- 02- 800- 97	वाह्य सहायतित परियोजनाएँ	5.00	5.00
		योग	**74.44**	**74.44**

2.14 पेंशन की असंवितरित धनराशि जो शासकीय लेखे में जमा नहीं की गई

(सन्दर्भः प्रस्तर 2.5.1; पृष्ठ 56)

क्र0 सं0	कोषागार का नाम	पेंशनरों की संख्या	असंवितरित धनराशि (₹)	क्र0 सं0	कोषागार का नाम	पेंशनरों की संख्या	असंवितरित धनराशि (₹)
1	बस्ती	21	5,16,483.00	2	मुजफ्फरनगर	7	1,39,188.00
3	बलरामपुर	3	16,922.00	4	औरैया	19	3,07,298.00
5	गोंडा	32	4,06,605.00	6	इलाहाबाद (कलेक्ट्रेट)	19	2,83,407.00
7	सीतापुर	12	1,02,928.00	8	बुलंदशहर	18	4,20,979.00
9	रमाबाई नगर	6	68,521.00	10	गाजियाबाद	34	3,85,677.00
11	इटावा	5	62,047.00	12	इलाहाबाद, सिविल लाइन	15	3,37,754.00
13	आगरा	7	47,878.00	14	प्रतापगढ़	4	2,29,257.00
15	एटा	1	3,671.00	16	देवरिया	21	1,54,373.00
17	जालौन	4	26,262.00	18	संत रविदास नगर	41	4,18,735.00
19	फर्रूखाबाद	4	28,761.00	20	गोरखपुर	35	5,62,208.00
21	सोनभद्र	10	3,44,968.00	22	महाराजगंज	6	27,646.00
23	मिर्जापुर	16	4,29,539.00	24	फतेहपुर	14	76,754.00
25	चंदौली	12	3,45,730.00	26	बलिया	33	3,61,005.00
27	फैजाबाद	3	24,924.00	28	अलीगढ़	25	5,71,739.00
29	हमीरपुर	19	4,06,390.00	30	पीलीभीत	11	46,479.00
31	जवाहर भवन	37	8,97,785.00	32	कांशीराम नगर	6	1,31,499.00
33	ज्योतिबा फूले नगर	5	77,263.00	34	महामाया नगर	15	1,02,442.00
35	बिजनौर	4	69,664.00	36	झांसी	14	1,08,994.00
37	मेरठ	31	3,70,316.00	38	आजमगढ़	26	6,19,003.00
39	बागपत	4	69,980.00	40	गाज़ीपुर	76	9,58,072.00
41	वे.एवं ले.अ.दिल्ली	10	2,13,353.00		**योग**	**685**	**1,07,72,499.00**

परिशिष्ट 3.1

31 मार्च 2013 को अवशेष उपभोग प्रमाण–पत्र

(संदर्भः प्रस्तर 3.1; पृष्ठ 59)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	विभाग का नाम	अनुदान के भुगतान का वर्ष	कुल भुगतानित अनुदान		उपभोग प्रमाण–पत्र				उपभोग प्रमाण–पत्रों का अवशेष रहने का कारण
					प्राप्त		अवशेष		
			संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	
1.	महिला कल्याण	2011-12	4	60,272.00	1	59,586.00	3	686.00	कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।
2.	समाज कल्याण	2009-10	उपलब्ध नहीं	2,23,486.98	उपलब्ध नहीं	2,18,822.11[1]	उपलब्ध नहीं	4,664.87	उपभोग प्रमाण पत्र जनपद से प्राप्त किये जा रहे हैं।
		2010-11	उपलब्ध नहीं	2,14,557.11	उपलब्ध नहीं	2,11,224.48[2]	उपलब्ध नहीं	3,332.63	
		2011-12	22	3,03,474.99	3	1,01,991.92	19	2,01,483.07	
3.	प्राविधिक शिक्षा	2010-11	19	287.51	16	208.73	3	78.78	उपभोग प्रमाण–पत्र संस्थानों से प्राप्त किये जा रहे थे।
		2011-12	19	62.97	शून्य	0.00	19	62.97	
4.	उच्च शिक्षा	2010-11	96	1,040.00	70	770.00[3]	23	270.00	स्नातक महाविद्यालय द्वारा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को, उपभोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करने के कारण वसूली हेतु निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं।
		2011-12	56	995.00	11	190.00	45	805.00	
5.	सैनिक कल्याण	2010-11	51	156.50	33	93.60	18	62.90	कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।
		2011-12	97	2,434.45	58	1,595.64[4]	39	838.81	
6.	पंचायती राज	2007-08	71	17,380.00	शून्य	0.00	71	17,380.00	दिनांक 27 जून 2012 के पत्र के माध्यम से उपभोग प्रमाण पत्र मांगा गया था।
		2008-09	71	1,82,290.94	शून्य	0.00	71	1,82,290.94	
		2009-10	71	97,118.19	शून्य	0.00	71	97,118.19	
		2010-11	72	1,25,023.93	शून्य	0.00	72	1,25,023.93	
		2011-12	72	1,50,854.94	शून्य	0.00	72	1,50,854.94	
7.	पर्यटन[5]	2005-06	उपलब्ध नहीं	30.00	उपलब्ध नहीं	23.24	उपलब्ध नहीं	6.76	उपभोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के लिए पत्राचार किए गए हैं।
		2006-07	उपलब्ध नहीं	45.00	उपलब्ध नहीं	36.63	उपलब्ध नहीं	8.37	
		2007-08	उपलब्ध नहीं	45.00	उपलब्ध नहीं	33.61	उपलब्ध नहीं	11.39	

[1]प्राप्त उपभोग प्रमाण पत्रों में ₹ 23,129.81 लाख की अभ्यर्पित धनराशि सम्मिलित।
[2]प्राप्त उपभोग प्रमाण पत्रों में ₹ 24,342.09 लाख की अभ्यर्पित धनराशि सम्मिलित।
[3]प्राप्त उपभोग प्रमाण पत्रों में ₹ 30.00 लाख की अभ्यर्पित धनराशि सम्मिलित।
[4]प्राप्त उपभोग प्रमाण पत्रों में ₹ 259.96 लाख की अभ्यर्पित धनराशि सम्मिलित।
[5]वर्ष 2005–06 से वर्ष 2008–09 के लिए उपभोग प्रमाण–पत्र जिसमें ₹ 27.74 लाख सम्मिलित है, अधीनस्थ कार्यालयों में संकलित कर लिए गए परन्तु महालेखाकार (ले0 एवं ह0)–I, उ0प्र0 इलाहाबाद में प्रस्तुत करने के लिए प्रतीक्षित है।

		2008-09	उपलब्ध नहीं	22.50	उपलब्ध नहीं	21.28	उपलब्ध नहीं	1.22	
8.	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ उ0प्र0	2009-10	09	8,494.97	08	8,488.12	01	6.85	संबंधित परियोजना अधिकारियों द्वारा उपभोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करने के कारण।
		2011-12	15	28,083.67	14	9,761.54	01	18,322.13	
9.	दुग्ध विकास	2007-08	881	11,752.28	564	7,541.52	317	4,210.75	दुग्ध संघ/संस्थानों द्वारा उपभोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करने के कारण।
		2008-09	812	8,385.30	497	5,291.54	315	3,093.76	
		2009-10	552	1,082.07	379	724.07	173	358.00	
		2010-11	317	1,960.64	212	1,525.79	105	434.85	
		2011-12	584	2,801.22	409	1,906.99	175	894.23	
10.	आयुर्वेदिक सेवाएँ उ0प्र0	2010-11	01	6.87	01	6.78	शून्य	0.09	वर्ष 2010–11 में ₹ 0.09 लाख एवं वर्ष 2011–12 में ₹ 0.01 लाख की अवशेष धनराशि बैंक खाते में रखी गयी एवं आगामी वित्तीय वर्ष में उपयोग की जाएगी
		2011-12	01	1.99	01	1.98	शून्य	0.01	
11.	निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क	2005-06	06	46.00	03	26.00	03	20.00	संबंधित संस्थानों द्वारा उपभोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करने के कारण।
		2006-07	18	194.86	14	173.86	04	21.00	
12.	समाज कल्याण (जनजाति विकास)	2006-07	50	122.69	33	99.91	17	22.78	जनपद स्तर के अधिकारियों द्वारा उपभोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करने के कारण।
		2007-08	60	871.30	15	470.70	45	400.60	
		2008-09	50	859.85	13	352.87	37	506.98	
		2009-10	40	575.29	09	373.45	31	201.84	
		2010-11	44	207.08	09	26.43	35	180.65	
		2011-12	39	1,367.59	05	90.88	34	1,276.71	
13.	अल्प संख्यक (उ0प्र0 राज्य हज समिति, लखनऊ)	2006-07	03	186.35	02	176.35	01	10.00	धनराशि व्यय न होने के कारण।
						योग	**1,820**	**8,14,942.00**	

3.2 विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के लेखाओं का अंतिमीकरण और निवेशों का विवरण

(संदर्भः प्रस्तर 3.3; पृष्ठ 60)

क्र0 सं0	उपक्रम का नाम	लेखाओं के अंतिमीकरण का वर्ष	विगत अंतिम लेखे के अनुसार निवेश (₹ करोड़ में)
	सिंचाई विभाग		
1	सिंचाई निर्माण खण्ड, कानपुर	2012-13	0.19
2	सिंचाई निर्माण खण्ड, झाँसी	2012-13	0.44
3	सिंचाई निर्माण खण्ड, बरेली	2012-13	2.15
4	सिंचाई निर्माण खण्ड, मेरठ	2012-13	0.49
5	सिंचाई निर्माण खण्ड, गोरखपुर	2012-13	1.54
6	सिंचाई निर्माण खण्ड, इलाहाबाद	2012-13	1.78
	पशुपालन विभाग		
7	राजकीय पशुधन सह कृषि फार्म	2009-10	17.03
	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग		
8	खाद्यान्न की सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना	2009-10	2,566.73
	स्वास्थ्य विभाग		
9	स्टेट फार्मेसी आफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी मेडिसिन	1987-88	0.09
	समाज कल्याण विभाग		
10	क्रिमिनल ट्राइब्स सेटलमेंट टेलरिंग फैक्ट्री, (कानपुर)	1979-80	0.04
		योग	**2,590.48**

परिशिष्ट

3.3 दुर्विनियोग, गबन आदि के विभागवार/वर्षवार प्रकरणों का विवरण (जिनमें अंतिम कार्यवाही मार्च 2013 तक लम्बित थी)

(संदर्भः प्रस्तर 3.4; पृष्ठ 61)

(कोष्ठक में आँकड़े 'रु लाख में' प्रदर्शित हैं)

क्र0 सं0	विभाग का नाम	5 वर्ष तक	5 से 10 वर्ष तक	10 से 15 वर्ष तक	15 से 20 वर्ष तक	20 से 25 वर्ष तक	25 वर्ष से अधिक	प्रकरणों का योग
1	कृषि विभाग	-	4 (9.09)	-	-	-	-	4 (9.09)
2	पशुपालन विभाग	-	1 (3.20)	1 (0.26)	8 (1.25)	5 (1.82)	1 (0.02)	16 (6.55)
3	सहकारिता विभाग	-	-	1(1.28)	1(0.17)	-	-	2 (1.45)
4	शिक्षा विभाग	5 (112.94)	-	1 (5.00)	-	-	-	6 (117.94)
5	मत्स्य विभाग	1 (1.01)	-	-	2 (0.85)	1 (1.22)	-	4 (3.08)
6	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग	-	1(3.06)	-	1 (0.30)	4 (22.10)	3 (3.32)	9 (28.78)
7	सिंचाई विभाग	6 (110.96)	10 (0.56)	5 (3.60)	20 (5.91)	-	-	41 (121.03)
8	न्याय विभाग	-	1 (4.44)	-	-	-	-	1 (4.44)
9	भूमि अध्याप्ति विभाग	-	-	-	-	-	3 (331.78)	3 (331.78)
10	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	-	-	-	2 (3.95)	6 (4.57)	3 (7.37)	11 (15.89)
11	पुलिस विभाग	2 (4.00)	-	-	-	1 (1.21)	3 (2.89)	6 (8.10)
12	पी.ए.सी.	-	-	1 (47.48)	-	1 (0.51)	-	2 (47.99)
13	लोक निर्माण विभाग	6 (118.12)	5 (35.43)	1 (0.98)	-	-	-	12 (154.53)
14	राजस्व विभाग	2 (9.29)	-	1 (1.72)	-	-	3 (6.09)	6 (17.10)
15	ग्राम्य विकास विभाग	-	-	-	3 (1.65)	-	9 (2.19)	12 (3.84)
16	समाज कल्याण विभाग	1 (4.44)	-	-	1 (0.25)	-	2 (0.70)	4 (5.39)
17	प्राविधिक शिक्षा विभाग	-	-	1 (11.59)	-	-	-	1 (11.59)
18	बाट एवं माप विभाग	-	-	-	-	1 (1.01)	-	1 (1.01)
19	उद्यान विभाग	-	1 (3.59)	-	-	-	-	1 (3.59)
20	वित्त विभाग	-	-	-	-	1 (0.67)	-	1 (0.67)
	योग	**23 (360.76)**	**23 (59.37)**	**12 (71.91)**	**38 (14.33)**	**20 (33.11)**	**27 (354.36)**	**143 (893.84)**

3.4 चोरी, दुर्विनियोग, सरकारी सामग्रियों की हानि एवं गबन के कारण राज्य सरकार को हुई क्षति के प्रकरणों का विभागवार/श्रेणीवार विवरण

(संदर्भः प्रस्तर 3.4; पृष्ठ 61)

(₹ लाख में)

विभाग का नाम	चोरी के प्रकरण		दुर्विनियोग के प्रकरण		हानि के प्रकरण		गबन के प्रकरण		योग	
	प्रकरण की संख्या	धनराशि	प्रकरण की संख्या	धनराशि	प्रकरण की संख्या	धनराशि	प्रकरण की संख्या	धनराशि	प्रकरण की संख्या	धनराशि
कृषि विभाग	1	1.47	1	5.45	2	2.17	-	-	4	9.09
पशुपालन विभाग	11	1.78	-	-	3	1.55	2	3.22	16	6.55
सहकारिता विभाग	1	1.28	-	-	-	-	1	0.17	2	1.45
शिक्षा विभाग	2	6.60	1	6.19	-	-	3	105.15	6	117.94
मत्स्य विभाग	-	-	-	-	2	1.70	2	1.38	4	3.08
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग	-	-	-	-	4	10.15	5	18.63	9	28.78
सिंचाई विभाग	33	15.84	3	29.72	3	5.28	2	70.19	41	121.03
न्याय विभाग	-	-	-	-	-	-	1	4.44	1	4.44
भूमि अध्याप्ति विभाग	-	-	2	5.78	-	-	1	326.00	3	331.78
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	8	11.91	-	-	-	-	3	3.98	11	15.89
पुलिस विभाग	-	-	-	-	2	4.01	4	4.09	6	8.10
पी.ए.सी.	-	-	-	-	-	-	2	47.99	2	47.99
लोक निर्माण विभाग	3	1.63	2	6.16	7	146.74	-	-	12	154.53
राजस्व विभाग	-	-	-	-	-	-	6	17.10	6	17.10
ग्राम्य विकास विभाग	5	1.38	-	-	1	0.14	6	2.32	12	3.84
समाज कल्याण विभाग	-	-	-	-	-	-	4	5.39	4	5.39
प्राविधिक शिक्षा विभाग	-	-	1	11.59	-	-	-	-	1	11.59
बाट एवं माप विभाग	1	1.01	-	-	-	-	-	-	1	1.01
उद्यान विभाग	-	-	-	-	-	-	1	3.59	1	3.59
वित्त विभाग	-	-	-	-	-	-	1	0.67	1	0.67
योग	**65**	**42.90**	**10**	**64.89**	**24**	**171.74**	**44**	**614.31**	**143**	**893.84**

3.5 वर्ष 2012-13 में विभागवार निस्तारित/अपलेखित किए गए प्रकरणों का विस्तृत विवरण

(संदर्भः प्रस्तर 3.4; पृष्ठ 61)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	विभाग का नाम	प्राधिकारी	संक्षिप्त विवरण	प्रकरणों की संख्या	धनराशि
1	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	नकद की डकैती, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, रामपुर	एक	0.47
2	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	डीडीटी के 20 किग्रा0 के 73 ड्रमों की चोरी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, रामपुर	एक	0.20
3	राजस्व विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	अमीन द्वारा डी.एम. कार्यालय, बलिया में गबन	एक	0.33
4	सिंचाई विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	खैरा स्टोर में चोरी, अधिशासी अभियंता, बहराइच,1994	एक	0.30
5	सिंचाई विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	शासकीय नलकूप से शासकीय सामग्रियों की चोरी, अधिशासी अभियंता कार्यालय, बुलंदशहर	एक	0.13
6	सिंचाई विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	नलकूप सं0 30 एसबी से सामग्रियों की चोरी, बुलंदशहर 2007	एक	0.05
7	सिंचाई विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	नलकूप सं0 98 एसबी से मोटर वायर की चोरी, अधिशासी अभियंता कार्यालय, बुलंदशहर 2008	एक	0.04
8	सिंचाई विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	नलकूप सं0 165 एसबी से मोटर वायर की चोरी, अधिशासी अभियंता कार्यालय, बुलंदशहर 2007	एक	0.03
9	सिंचाई विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	नलकूप सं0 126 जेबी से सामग्रियों एवं मोटर वायर की चोरी, अधिशासी अभियंता कार्यालय, बुलंदशहर 2008	एक	0.04
10	सिंचाई विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	नलकूप सं0 47 एसबी से सामग्रियों एवं कापर वायर की चोरी, अधिशासी अभियंता कार्यालय, बुलंदशहर 2007	एक	0.06
11	सिंचाई विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	नलकूप सं0 131 एसबी से सामग्रियों एवं कापर वायर की चोरी, अधिशासी अभियंता कार्यालय, बुलंदशहर 2007	एक	0.06
12	सिंचाई विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	नलकूप सं0 37 एसबी से कॉपर वायर की चोरी, अधिशासी अभियंता कार्यालय, बुलंदशहर 2007	एक	0.03
13	सिंचाई विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	नलकूप सं0 46 डीवी में रि–वाइंडिंग वायर की चोरी, अधिशासी अभियंता कार्यालय, बुलंदशहर 2007	एक	0.08
14	सिंचाई विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	नलकूप सं0 55 एसबी में कॉपर वायर की चोरी, अधिशासी अभियंता कार्यालय, बुलंदशहर 2007	एक	0.06
15	सिंचाई विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	रि–वाइंडिंग वायर की चोरी, अधिशासी अभियंता कार्यालय, बुलंदशहर 2007	एक	0.03
16	सिंचाई विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	रि–वाइंडिंग वायर की चोरी, अधिशासी अभियंता कार्यालय, बुलंदशहर 2008	एक	0.04
17	सिंचाई विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	रि–वाइंडिंग कापर वायर की चोरी, अधिशासी अभियंता कार्यालय, बुलंदशहर 2008	एक	0.05
18	सिंचाई विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	नलकूप सं0 51 एसबी से रि–वाइंडिंग कापर वायर की चोरी, अधिशासी अभियंता कार्यालय, बुलंदशहर 2008	एक	0.03
				योग	2.03

4 शब्दावली (अतिरिक्त आँकड़े)

गणना का आधार

पद	गणना का आधार
प्राचल की उत्प्लावनता	प्राचल की वृद्धि/सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि
प्राचल (एक्स) की उत्प्लावनता अन्य प्राचल (वाई) के संदर्भ में	प्राचल (एक्स) की वृद्धि दर/प्राचल (वाई) की वृद्धि दर
वृद्धि दर (आर.ओ.जी.)	[(वर्तमान वर्ष की धनराशि/विगत वर्ष की धनराशि) –1] x 100
विकास पर व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
राज्य द्वारा औसत ब्याज भुगतान	ब्याज भुगतान/[(विगत वर्ष की राजकोषीय देयताएं + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएं)/2] x 100
ब्याज विस्तार	सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि – आकलित ब्याज दर
मात्रा विस्तार	ऋण स्टाक x ब्याज विस्तार
बकाया ऋण से ब्याज प्राप्ति का *प्रतिशत*	प्राप्ति ब्याज [(प्रारम्भिक अवशेष + ऋण एवं अग्रिम का अंतिम अवशेष)/2] x 100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियां – राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + शुद्ध ऋण एवं अग्रिम – राजस्व प्राप्तियां – विविध पूंजीगत प्राप्तियां
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा – ब्याज भुगतान
वर्तमान राजस्व से शेष (बी. सी. आर.)	राजस्व प्राप्तियां – लेखाशीर्ष 2048 – ऋण की कमी अथवा परिहार हेतु विनियोग के अंतर्गत व्यय को छोड़कर समस्त आयोजनागत अनुदान तथा आयोजनेत्तर व्यय

पदों की व्याख्या

पद	व्याख्या
उत्प्लावनता अनुपात	उत्प्लावनता अनुपात राजकोषीय चर की, आधार चर में दिये गये परिवर्तन के सापेक्ष प्रतिक्रियाशीलता/लचीलापन की मात्रा को इंगित करता है। उदाहरणार्थ वर्ष 2008–09 के लिए राजस्व उत्प्लावनता का मान 0.8 का अर्थ है कि जी.एस.डी.पी. की एक *प्रतिशत* की बढ़त होने पर राजस्व प्राप्ति में 0.8 *प्रतिशत* की बढ़त होगी।
कोर पब्लिक गुड्स एवं मेरिट गुड्स	कोर पब्लिक गुड्स ऐसी सामग्रियॉं जिनका उपभोग सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति करता है एवं किसी व्यक्ति द्वारा उस सामग्री के प्रयोग से दूसरे व्यक्ति को उस सामग्री के उपभोग पर कोई प्रभाव नही पड़ता है जैसे कानून एवं व्यवस्था का आरोहण, हमारे अधिकारों की संरक्षा एवं सुरक्षा, प्रदूषण मुक्त वायु एवं अन्य पर्यावरणीय सामग्रियां तथा सड़क अवसंरचना इत्यादि। मेरिट गुड्स ऐसी सामग्रियां हैं जिसे सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा मुफ्त या सहायतित दरों पर इसलिए उपलब्ध कराये जाते हैं, क्योंकि लोगों अथवा संस्थाओं को उन वस्तुओं की आवश्यकता है तथा जिसके भुगतान के लिए उनके पास न ही क्षमता है और न ही इच्छाशक्ति। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र उन वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देती है। उदाहरणार्थ गरीबों को पोषण प्रदान करने हेतु सहायतित या मुफ्त भोजन को उपलब्ध कराना, मृत्यु दर को घटाने एवं जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना, सभी को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, पेयजल एवं स्वच्छता इत्यादि।
विकास व्यय	व्ययों के आँकड़ों का विश्लेषण विकास एवं गैर विकास के कार्यो पर हुए व्यय में विभाजित किया गया है। राजस्व लेखा पूंजीगत परिव्यय एव ऋण तथा अग्रिमों से संबंधित व्यय को सामाजिक सेवा, आर्थिक सेवा एवं सामान्य सेवाओं से विभाजित किया गया है। वृहद् रूप से सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर किया गया व्यय विकास व्यय होता है जबकि सामान्य सेवाओं पर किया गया व्यय गैर व्यय है।
ऋण एवं संवहनीयता	राज्य द्वारा ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात को स्थिर रखने की क्षमता को परिभाषित करता है एवं संबंधित के ऋण वापसी की क्षमता को भी प्रदर्शित करता है। तरल संपत्तियों की पर्याप्तता, चालू या वचनबद्ध बाध्यताओं को पूरा करने, तथा अतिरिक्त उधारी की लागत तथा उधारी के प्रतिफल में संतुलन बनाये रखने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। इसका अर्थ यह है कि राजकोषीय घाटा में वृद्धि ऋण वापसी की क्षमता से सुमेल होना चाहिए।
ऋण स्थिरता	यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर, ब्याज की लागत दर या सार्वजनिक उधारी से अधिक है तो ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात संभवतः स्थिर होगा। बशर्ते प्राथमिक अवशेष या तो शून्य या धनात्मक या मामूली ऋणात्मक हो। आगणित दर विस्तार (सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर–ब्याज दर) एवं प्रमात्रा विस्तार (ऋण*दर विस्तार), के आधार पर यदि प्राथमिक घाटा के साथ प्रमात्रा विस्तार शून्य है तो ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर होगा या अंततोगत्वा ऋण में स्थिरता होगी। दूसरी स्थिति में यदि प्रमात्रा विस्तार के साथ प्राथमिक घाटा ऋणात्मक हो जाय तो ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में वृद्धि होगी एवं यदि किसी स्थिति में यह धनात्मक हो तो ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात अंततः गिरेगा।
गैर–ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता	वृद्धिमान ब्याज देयताओं एवं वृद्धिमान प्राथमिक व्यय को आच्छादित करने के आधार पर राज्य की वृद्धिमान गैर–ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता सुनिश्चित होती है। यदि वृद्धिमान गैर–ऋण प्राप्तियाँ वृद्धिमान ब्याज भार एवं वृद्धिमान प्राथमिक व्यय को वहन कर लेती है तो ऋण की संवहनीयता में पर्याप्त मात्रा में मदद मिल सकेगी।
उधार निधियों की निवल उपलब्धता	उधार निधियों की निवल उपलब्धता, ऋण विमोचन (मूलधन+ब्याज भुगतान) एवं कुल ऋण प्राप्तियों के अनुपात के रूप में परिभाषित है तथा उधार निधियों की निवल उपलब्धता प्रदर्शित करती है कि ऋण प्राप्तियों का किस सीमा तक ऋण विमोचन हेतु प्रयोग किया गया है।
विनियोग लेखे	विधान सभा द्वारा प्रत्येक दत्तमत अनुदानों एवं भारित विनियोगों के अंतर्गत बजट अनुदान में प्राधिकृत कुल निधियों (मूल एवं अनुपूरक) की धनराशि की तुलना में प्रत्येक के विरूद्ध व्यय धनराशि एवं प्रत्येक अनुदान या विनियोग के अंतर्गत बचत या आधिक्य का विवरण विनियोग लेखे में होता है। अनुदान से अधिक किसी भी व्यय को विधायिका द्वारा विनियमन अपेक्षित होता है।

स्वायत्त निकाय	जब कभी सरकारी व्यवस्था से अलग कुछ सीमा तक स्वतंत्रता एवं सरकारी कार्य प्रणाली के दिन–प्रतिदिन के हस्तक्षेप के बगैर लचीलेपन के साथ कुछ क्रियाओं को संपादित करने की आवश्यकता महसूस होती है तब स्वायत्त निकायों (प्रायः पंजीकृत समितियां या सांविधिक निगमों) की स्थापना की जाती है।
वचनबद्ध व्यय	राजस्व लेखों पर मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, पेंशन एवं सब्सिडी, जिस पर वर्तमान कार्यकारिणी का सीमित नियंत्रण होता है, राज्य सरकार के वचनबद्ध व्यय होते हैं।
राज्य क्रियान्वयन अभिकरण	राज्य सरकार द्वारा जिसमें कोई संगठन/संस्था, अशासकीय संगठनों को सम्मिलित कर राज्य में विशेष कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से निधियों को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है राज्य क्रियान्वयन अभिकरण होते है। जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु उ.प्र. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण इत्यादि।
आकस्मिक देयतायें	किसी के द्वारा भविष्य में घटने वाली घटनाओं के परिणामस्वरूप आकस्मिक देयताओं का सृजन किया/नहीं किया जा सकता है जैसे न्यायालयी प्रकरण।
सिंकिंग फण्ड (शोधन निधि)	सरकार द्वारा एक निधि की स्थापना अपने ऋणों से मुक्ति हेतु की जाती है जिसमें समयान्तर्गत धन आरक्षित किया जाता है।
प्रत्याभूति विमोचन निधि	राज्य के समेकित निधि पर ऋणी जिसके लिए प्रत्याभूति विस्तारित की गयी, ऋणी द्वारा ऋण वापस न करने की स्थिति में उत्पन्न आकस्मिक प्रत्याभूति देयतायें होती है। प्रत्याभूति विमोचन निधि की शर्तों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा बकाया प्रत्याभूतियों के प्राप्त न हुए एवं वर्तमान वर्ष में वृद्धिमान प्रत्याभूतियों के प्राप्त न होने वाली धनराशि की स्थिति में उसके कम से कम पांचवें हिस्से के योगदान निधि में होना चाहिए।
आन्तरिक ऋण	भारत में लोगों द्वारा नियमित प्राप्त ऋणों को आंतरिक ऋण कहते हैं। जिसे "भारत में एकल ऋण" भी कहा जाता है। यह समेकित निधि को क्रेडिट किये जाने वाले ऋण तक सीमित होता है।
प्राथमिक राजस्व व्यय	राजस्व व्यय से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राथमिक राजस्व व्यय आता है।
पुनर्विनियोग	मूल विनियोग के इकाई से अन्य उसी प्रकार की इकाई को धनराशि का हस्तांतरण।
लोक लेखा समिति	विधान सभा द्वारा गठित समिति जो भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के, राज्य के विनियोग लेखों, राज्य के वार्षिक वित्तीय लेखों या इस प्रकार के अन्य लेखों या वित्तीय मामलों पर, रिपोर्ट की जाँच करें एवं यह समिति जिसकी जाँच करना आवश्यक समझें।

प्रथमाक्षरी

प्रथमाक्षरी	पूर्ण विस्तार
ए सी बिल	सार आकस्मिक बिल
ए ई	कुल व्यय
बी ई	बजट अनुमान
सी ए जी	भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
सी ई	पूंजीगत व्यय
डी सी सी बिल	विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिल
डी सी आर एफ	ऋण संकलन एवं राहत सुविधा
डी ई	विकास व्यय
एफ सी पी	राजकोषीय सुधार पथ
एफ आर बी एम	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन
जी ओ आई	भारत सरकार
जी एस डी पी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
आई पी	ब्याज भुगतान
एम टी एफ आर पी एस	मध्यकालिक राजकोषीय पुनर्संरचना नीति विवरण
एन पी आर ई	आयोजनेत्तर राजस्व व्यय
ओ एण्ड एम	संचालन एवं रख–रखाव
पी ए सी	लोक लेखा समिति
पी आर आई	पंचायती राज संस्थायें
आर ई	राजस्व व्यय
आर आर	राजस्व प्राप्तियाँ
एस एण्ड डब्ल्यू	वेतन एवं मजदूरी
एस ए आर	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
एस एस ई	सामाजिक सेवा व्यय
टी ई	कुल व्यय
टी एफ सी	तेरहवां वित्त आयोग
यू सी	उपभोग प्रमाण–पत्र
यू एल बी	नगरीय स्वायत्त निकाय